सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

पहल (डीबीटीएल) योजना का कार्यान्वयन

(प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना)

संघ सरकार (वाणिज्यिक)

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय

2016 की प्रतिवेदन संख्या 25

(अनुपालन लेखापरीक्षा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

पहल (डीबीटीएल) योजना का कार्यान्वयन
(प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना)

31 मार्च 2016 को समाप्त अवधि के लिए

संघ सरकार (वाणिज्यिक)
पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय

2016 की प्रतिवेदन संख्या 25

(अनुपालन लेखापरीक्षा)

विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	i
	कार्यकारी सार	iii से x
1	प्रस्तावना	1
2	पहल (डीबीटीएल) योजना	7
3	विपथन हेतु प्रोत्साहन हटाना	18
4	जाली/दोहरे कनेक्शनों को समाप्त करना	23
5	वास्तविक उपयोगकर्ताओं को सिलेंडरो का वितरण	51
6	हकदारी का संरक्षण तथा सब्सिडी सुनिश्चित करना	56
7	सब्सिडी में स्व–चयन	62
8	अन्य मुद्दे	64
9	पहल (डीबीटीएल) योजना के माध्यम से सब्सिडी में बचत	67
10	निष्कर्ष एवं सिफारिशें	75
	अनुबन्ध	79
	संक्षेपणों की सूची और विशेष पदों की शब्दावली	86

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए बनाया गया है। लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखाकरण मानकों के अनुरूप की गई है।

इस प्रतिवेदन में उपभोक्ताओं को उनके आधार संख्या, बैंक खाते तथा एलपीजी उपभोक्ता आईडी के साथ जोड़कर प्रत्यक्ष रूप से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) पर आर्थिक सहायता के हस्तांतरण हेतु नवम्बर 2014 में भारत सरकार द्वारा जारी 'प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना (पहल (डीबीटीएल) योजना) के कार्यान्वयन' की लेखापरीक्षा के परिणाम निहित है। योजना को भारत सरकार की तीन तेल विपणन कम्पनियों अर्थात इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) तथा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) द्वारा कार्यान्वित किया गया है। योजना में तीन तेल विपणन कम्पनियों के 16,781 एलपीजी वितरकों द्वारा सेवा प्रदत 16.17 करोड़ घरेलू एलपीजी उपभोक्ता सम्मिलित है। योजना के महत्व तथा इसके व्यापक प्रभाव को देखेते हुए, इसके कार्यान्वयन पर एक लेखापरीक्षा की गई।

प्रतिवेदन में पहल (डीबीटीएल) योजना के क्रियान्वयन में देखे गए कुछ मामलों को दर्शाया तथा योजना के वित्तीय प्रभाव की चर्चा भी की गई है।

लेखापरीक्षा तीन तेल विपणन कम्पनियों (बीपीसीएल, एचपीसीएल तथा आईओसीएल) तथा पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा को पूरा करने में अभिलेखो, सूचना तथा स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने में दिए सहयोग का आभार व्यक्त करती है।

कार्यकारी सार

प्रस्तावना:

तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) एक विशुद्ध ईंधन है तथा इसीलिए भारत सरकार (जीओआई) इसे उपभोक्ताओं के लिए सस्ता बनाकर घरेलू उपयोग के लिए इस ईंधन के प्रयोग को लोकप्रिय बनाना चाहती है। अधिक परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों से उपभोक्ताओं का संरक्षण करने के लिए घरेलू एलपीजी की सब्सिडी प्राप्त आपूर्ति अभिप्रेत थी। सब्सिडी से उत्पन्न तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) अर्थात इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की कम वूसली की प्रतिपूर्ति अंशत: भारत सरकार से बजटीय सहायता के माध्यम से तथा अंशत: कच्चे तेल की खरीद पर अपस्ट्रीम कम्पनियों द्वारा दी गई सब्सिडी के माध्यम से की गई थी। भारत सरकार ने 54 जिलों में (पहला चरण) उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से एलपीजी पर सब्सिडी का हस्तांतरण करने के लिए 'प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना' (पहल (एलपीजी हेतु प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) योजना) प्रारम्भ की (15 नवम्बर 2014) और तथा बाद में 1 जनवरी 2015 को शेष 622 जिलों में विस्तारित किया गया (दूसरा चरण)। पहल (डीबीटीएल) योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाने हेतु एक उपभोक्ता के लिए आधार संख्या अनिवार्य नहीं थी।

पहल योजना के उद्देश्य :

पहल (डीबीटीएल) योजना के उद्देश्य निम्नलिखित थे:

- विपथन हेतु प्रोत्साहन हटाना
- झूठे/नकली कनेक्शनों को हटना
- हकदारी की सुरक्षा तथा उपभोक्ताओं को सब्सिडी सुनिश्चित करना
- वास्तविक उपयोगकर्त्ताओं को एलपीजी सिलेंडरो की उपलब्धता/वितरण सुधारना
- सब्सिडी में स्व-चयन मंजूर करना

पहल (डीबीटीएल) योजना में योग्य उपभोक्ताओं के बैंक खाते में प्रत्यक्ष रूप से सब्सिडी का प्रभावी हस्तांतरण करके ओएमसीज की घरेलू एलपीजी वितरण प्रक्रिया में चोरी तथा विपथन रोकने की परिकल्पना की गई थी। योजना को एलपीजी वितरको, जिन्होंने उपभोक्ताओं के साथ इंटरफेस बनाया, के अपने नेटवर्क के माध्यम से ओएमसीज द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

विशेषताएं

यद्यपि पहल (डीबीटीएल) योजना वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्राप्त एलपीजी सिलेंडरो के विपथन के संदर्भ में प्रयोजन को सम्बोधित करती प्रतीत होती है तथापि, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को गैर-सहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी के विपथन का जोखिम अभी भी विद्यमान है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2015-16 के प्रथम सात महीनों में 24 से अधिक सिलेंडरो का उपभोग करने वाले अधिकतर घरेलू उपभोक्ता 2014-15 के सम्पूर्ण वर्ष से 2.6 गुना है। यह भी देखा गया था कि आईओसीएल में 23,104, एचपीसीएल में 5,662 तथा बीपीसीएल में 7,993 घरेलू उपभोक्ताओं ने 2015-16 के प्रथम सात महीनों में 12 से अधिक सिलेंडरो का उपभोग किया था। चूंकि इसमें उपभोक्ताओं की दो श्रेणियों पर उद्ग्रहित अन्तरीय करों तथा शुल्को के कारण गैर सहायता प्राप्त आर्थिक घरेलू एलपीजी की लागत में अधिक भिन्नता है अत: घरेलू गैर-सब्सिडी प्राप्त सिलेंडरो के अधिक उपभोग से जुडे विपथन का जोखिम है।

(पैराग्राफ 3.1 एवं 3.2)

लेखापरीक्षा ने ओएमसीज द्वारा अनुरक्षित उपभोक्ता डाटाबेस में एक ही आधार संख्या या एक ही बैंक खाते के कई एलपीजी कनेक्शन देखें। कई कनेक्शनों के कुछ मामलों में दो या दो से अधिक कनेक्शनों वाले कई कनेक्शनों ने सब्सिडी तथा स्थाई अग्रिम लिए जबकि शेष मामलो में, कई कनेक्शनों में से एक 'चालू' रहा जबकि अन्य कनेक्शनो को 'हस्तांतरित' 'इनट्रांजिट' के रूप में दर्शाया गया था। यद्यपि, सब्सिडी का भुगतान केवल 'चालू' कनेक्शन के लिए किया गया था तथापि, भविष्य में 'हस्तांतरित' या 'इन-ट्रांजिट' कनेक्शनों को सब्सिडी के भुगतान की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

(पैराग्राफ 4.1.1 (i) एवं (ii))

नेशनल इनफॉरमेटिक्स सेंटर द्वारा किए गए प्रतिलिपिकरण को कम करने का कार्य वर्तमान में वास्तविक समयाधार पर है, इस बात को ध्यान में रखते हुए यह अपेक्षा करना उचित था कि ओएमसीज द्वारा दिया गया उपभोक्ताओं का डाटाबेस 'एक ही नाम एक ही पते' (एसएनएसए) वाला कोई नकली कनेक्शन नहीं होगा। लेखापरीक्षा ने वितरक डाटाबेस के 34 प्रतिशत नमूनों की संवीक्षा की तथा एसएनएसए मामलों के बिल्कुल समान (100 प्रतिशत मेल) संख्या पाई। ऐसा सभी तीन ओएमसीज में देखा गया। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने डाटाबेस में कई कनेक्शनो का पता लगाने के लिए 'एक ही नाम, एक ही जन्मतिथि तथा एक ही पंजीकृत मोबाइल नम्बर' वाले कनेक्शनों की मौजूदगी का भी जांच की। लेखापरीक्षा जांच में इन मानदंडों के आधार पर कई कनेक्शनों की मौजूदगी दर्शायी। ओएमसीज के प्रथम मानदण्ड के प्रति 34,729 कनेक्शनों से जुडे कुल 15,885 उपभोक्ता पाए गए, द्वितीय मानदण्ड के प्रति 24,329 कनेक्शनों से जुडे 11,171 उपभोक्ता पाए गए।

(पैराग्राफ 4.1.1 (iii) एवं (iv))

लेखापरीक्षा ने 'एक ही आधार नम्बर' तथा 'एक ही बैंक आईएफएससी तथा एक ही बैंक खाता संख्या' वाले विविध कनेक्शनो की मौजूदगी सत्यापित की। सत्यापन ने विविध करनेक्शनो की मौजूदगी को दर्शाते हुए 37,090 आधार नम्बरों से जुडे 74,180 एलपीजी उपभोक्ताओं की पहचान की । 'एक ही बैंक आईएफएससी तथा एक ही बैंक खाता संख्या वाले मामले में, 17,694 एलपीजी 'चालू' उपभोक्ता आईडी 8,847 समान बैंक आईएफएससी तथा समान बैंक खाता संख्या से जुड़े थे।

(पैराग्राफ 4.1.2 (i) एवं (ii))

लेखापरीक्षा ने देखा कि उपभोक्ताओं की जन्मतिथि को एलपीजी डाटाबेस में सही प्रकार से नहीं डाला गया। इसके अलावा एलपीजी कनेक्शनो को एलपीजी नियंत्रण आर्डर के उल्लंघन में अवयस्कों को जारी किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने अनुपयुक्त इनपुट नियंत्रणो के अभाव को दर्शाते हुए ओएमसी के उपभोक्ता डाटाबेस में पिन कोडो, आधार संख्या को गलत डालने तथा आईएफएससी की गलत प्रविष्टि को भी उजागर किया। उपभोक्ता डाटाबेस मे ऐसी विसंगतियां डाटाबेस में अमान्य प्रविष्टियों तथा खराब इनपुट नियंत्रण का प्रमाण है

जिसमें उपभोक्ता डाटाबेस की सत्यता तथा समेकितता निहित है। इसके अलावा, यह योजना के तहत सब्सिडी का लाभ लेने में उपभोक्ताओं को असमर्थ भी बना सकता है।

(पैराग्राफ 4.4)

यद्यपि ओएमसीज ने उपभोक्ताओं की शिकायतो से संबंधित अधिकतर योजना की चर्चा की है तथापि, सात दिनो के अन्दर उपचारात्मक कार्रवाई नही की जा सकी। लेखापरीक्षा ने पाया कि सात दिनों के अन्दर उपचारात्मक कार्रवाई की उपलब्धि दर आईओसीएल में 86 प्रतिशत, एचपीसीएल में 76 प्रतिशत तथा बीपीसीएल में 82 प्रतिशत थी। हालांकि, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत डाटा के अनुसार 1 जनवरी 2015 से 15 अगस्त 2015 तक सम्पूर्ण उपलब्धि दर पहल (डीबीटीएल) योजना के संदर्भ में प्राप्त शिकायतो के 97.8 प्रतिशत थी। यद्यपि इसमें ऐसे मामले थे जहां पर शिकायतो के निपटान में लिया गया समय एक माह से लेकर छः माह से अधिक के बीच था (आईओसीएल में 1,611 मामले, एचपीसीएल में 2,292 तथा बीपीसीएल में 11,740 मामलें)।

(पैराग्राफ 5.1)

लेखापरीक्षा जांच में प्रतिवर्ष 12 सिलेंडरों के कोटे से अधिक सब्सिडी प्राप्त एलपीजी सिलेंडरो का मामला तथा विविध कनेक्शनों के लिए स्थाई अग्रिम के भुगतान के मामले देखे गए। 2014-15 में प्रतिवर्ष 12 सब्सिडी प्राप्त सिलेंडरो की सीमा को तोडा गया था तथा अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक 15.57 लाख चालू घरेलू उपभोक्ताओं ने 12 से अधिक सब्सिडी प्राप्त सिलेंडर प्राप्त किए थे जिसके परिणामस्वरूप सब्सिडी का अधिक भुगतान हुआ। जांच किए गए नमूने में इन्ट्रा ओएमसी के प्रतिलिपिकरण को कम करने ने दर्शाया कि वर्ष 2014-15 के दौरान विविध कनेक्शन वाले 37,499 उपभोक्ताओं तथा वर्ष 2015-16 (31 अक्तूबर 2015 तक) के दौरान 8,707 उपभोक्ताओं ने अपने 12 से अधिक सब्सिडी प्राप्त सिलेंडरो का लाभ प्राप्त किया था। इसके अलावा, 51,443 उपभोक्ताओं ने विविध कनेक्शनो पर ₹ 1.30 करोड़ की स्थाई अग्रिम राशि प्राप्त की थी।

(पैराग्राफ 5.2)

लेखापरीक्षा ने देखा कि 751 विफल संव्यवहारों में से 485 की असफलता की वजह वितरक थे जो ओएमसीज द्वारा डाटा प्रविष्टि की प्रभावी मॉनीटरिंग तथा पर्याप्त इनपुट नियंत्रण तथा डाटाबेस में इसकी यथार्थता सुनिश्चित करने के लिए वैद्यता की आवश्यकता पर जोर देते है। इसके अलावा, कुछ संव्यवहार विफल हुए क्योंकि कुछ ग्रामीण बैंक भारत के सिस्टम के भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) पर नहीं थे। एलपीसीआई के भुगतान ब्रिज के साथ सभी उपभोक्ता बैंको का एकीकरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

(पैराग्राफ 6.1)

हालांकि उपभोक्ता पहल (डीबीटीएल) योजना में शामिल हुए है तथा उन्होंने अपने बैंक खाते तथा कुछ मामलों में आधार संख्या को घरेलू उपभोक्ता डाटाबेस से जोड़ा है। तथापि, स्थाई अग्रिम के हस्तांतरण हेतु संव्यवहार विफल हुए है। इसकी लेखापरीक्षा जांच ने दर्शाया कि 31 अक्तूबर 2015 तक कुल 47.23 लाख उपभोक्ताओं ने ₹ 169.09 करोड़ की राशि के स्थाई अग्रिम प्राप्त नहीं किए। चूंकि स्थाई अग्रिम के भुगतान का उद्देश्य किसी वित्तीय भार के बिना बाजार मूल्य पर एलपीजी सिलेंडरों को खरीदने में उपभोक्ता की सहायता करना है अत: यह अनिवार्य है कि सभी योग्य एलपीजी उपभोक्ता अपने सिलेंडरो को पहली बार भरने पर अग्रिम प्राप्त करें। उपभोक्ताओं को स्थाई अग्रिम का हस्तांतरण न करने से पहल (डीबीटीएल) योजना के अन्तर्गत स्थाई अग्रिम की व्यवस्था करने का प्रयोजन विफल हुआ।

(पैराग्राफ 6.2)

गैर नकदी हस्तांतरण अनुवर्ती (एनसीटीसी) के उपभोक्ता वे उपभोक्ता है जिन्होंने पहल (डीबीटीएल) योजना में भाग नही लिया है। बीपीसीएल द्वारा कार्यबद्ध एक विपणन अन्वेषण एजेंसी (मई 2015) ने दर्शाया कि अधिकतर 77 प्रतिशत एनसीटीसी उपभोक्ता योजना का एक भाग बनना चाहते थे परन्तु उन्हें जानकारी के अभाव, लम्बी प्रक्रिया, कम प्रक्रिया स्पष्टता, संसाधन हेतु लिया गया समय आदि से रोका गया। इसने इस संभावना पर जोर दिया कि सभी एलपीजी उपभोक्ताओं को बढाने के लिए अधिक प्रयास किए जाएं ताकि हकदार उपभोक्ता सब्सिडी से वंचित न हो, विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 28 प्रतिशत एनसीटीसी उपभोक्ता ग्रामीण उपभोक्ता है।

(पैराग्राफ 7.1)

घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को एकमुश्त अग्रिम दिया जाता है ताकि पहल (डीबीटीएल) योजना में शामिल होने पर बाजार दर पर वितरित प्रथम सिलेंडर के लिए भुगतान करने हेतु उपभोक्ताओं को समर्थ बनाया जा सके। यह अग्रिम तब तक उपभोक्ता के पास होता है जब तक कि कनेक्शन समाप्त न हो, तब तक ओएमसी के पास प्रतिभूति जमा से अग्रिम को वसूल किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने देखा कि ओएमसी द्वारा रखी गई प्रतिभूति जमा 29.92 लाख मामलों में भुगतान किए गए अग्रिम से काफी कम थी, कमी की राशि ₹ 68.39 करोड़ थी। जैसाकि इन मामलो में स्थाई अग्रिम (पीए) की वसूली संभव नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता द्वारा पीए रखना जारी था भले ही उपभोक्ता की अवस्था गैर नकदी हस्तांतरण शिकायत (एनसीटीसी) से परिवर्तित हो गई हो। लेखापरीक्षा ने सामूहिक रूप से स्थाई अग्रिम के रूप में ₹ 49.21 करोड़ रखने वाले 9.58 लाख एनसीटीसी उपभोक्ता पाए।

(पैराग्राफ 8.1)

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 2015-16 की एलपीजी सब्सिडी में ₹ 9,211 करोड़ तक संभावित बचतो का आकलन किया (फरवरी 2016) जबकि ओएमसीज ने इसी अवधि के लिए ₹ 5,107.48 करोड़ की बचतो का आकलन किया। मंत्रालय तथा ओएमसीज द्वारा अपनाई गई कार्य प्रणालियां भिन्न थी। हालांकि दोनों आकलनो में, लेखापरीक्षा ने अन्तर्निहित विसंगतियां देखी जो अनुमानित बचतो से कम होगी। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उन निष्क्रिय या अवरूद्ध उपभोक्ताओं को माना जो सब्सिडी के हकदार नहीं थे, उन्होने 2014-15 में 6.27 सिलेंडरो की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति औसत खपत के प्रति 12 सिलेंडरो के सम्पूर्ण कोटे का लाभ उठाया होगा। 6.27 सिलेंडर (ओएमसीज द्वारा उनके आकलन में उपयुक्त रूप में) की राष्ट्रीय औसत कुल खरीद को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2015-16 के लिए सब्सिडी में अनुमानित बचत केवल ₹ 4,813 करोड़ होगी।

(पैराग्राफ 9.1)

आईओसीएल (एलपीजी के लिए ओएमसी की समायोजन एजेंसी) ने 2015-16 के लिए सब्सिडी बचत की संगणना करते समय 2014-15 में औसत आर्थिक सहायता दर पर विचार किया। इसके परिणामस्वरूप 2014-15 की तुलना में 2015-16 में मूल्यों में अधिक गिरावट के संदर्भ में आर्थिक सहायता की बचतो को अधिक बताया गया है। यदि 2015-16 में

₹ 169.45 प्रति सिलेंडर की औसत सब्सिडी पर विचार किया जाए (पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा उनके आकलन में उपयुक्त रूप में) तथा 67.27 लाख उपभोक्ताओं (29 फरवरी 2016 तक) द्वारा 'गिव-इट अप' को अपनाने के कारण सब्सिडी में बचतो पर विचार करने के पश्चात सब्सिडी बचतें ओएमसीज द्वारा अनुमानित ₹ 5,107.48 करोड़ की बजाय ₹ 3,473.48 करोड़ तक कम होगी।

(पैराग्राफ 9.2)

अप्रैल 2015 से दिसम्बर 2015 तक की समयावधि के दौरान वास्तविक सब्सिडी अदायगी अप्रैल 2014 से दिसम्बर 2014 तक की समयावधि के दौरान ₹ 35,400.46 करोड़ के प्रति ₹12,084.24 करोड़ थी। सब्सिडी अदायगी में ₹ 23,316.21 करोड़ की महत्वपूर्ण कमी उपभोक्ताओं द्वारा सब्सिडी प्राप्त सिलेंडरों की कुल खरीद में कमी तथा 2015-16 में कच्चे तेल की कीमतो में अधिक गिरावट से उत्पन्न कम सब्सिडी दरों के संयुक्त प्रभाव के कारण थी। लेखापरीक्षा जांच ने दर्शाया कि कच्चे तेल की कीमतो में गिरावट के कारण कम हुई सब्सिडी दर के परिणामस्वरूप ₹ 21,552.28 करोड़ का कम सब्सिडी का भुगतान हुआ जबकि उपभोक्ताओं द्वारा सिलेंडरो की कम हई कुल खरीद के कारण इस पर प्रभाव ₹ 1,763.93 करोड़ तक निकला। इसलिए यह प्रमाणित होता है कि सब्सिडी बचतों के फलस्वरूप अधिक महत्वपूर्ण कारक 2015-16 में कम सब्सिडी दर है।

(पैराग्राफ 9.3)

लेखापरीक्षा इस प्रतिवेदन में दर्शाए गए मामलो को सम्बोधित करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तावित करता है:

(i) वाणिज्यिक वर्ग को गैर-सब्सिडी प्राप्त घरेलू एलपीजी सिलेंडरो के विपथन को निरूत्साहित करने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाएं।

(ii) चयनित नमूने की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने विविध कनेक्शनों की मौजूदगी दर्शायी, इसे ध्यान में रखते हुए ओएमसीज द्वारा सम्पूर्ण डाटाबेस की संवीक्षा की जाने की आवश्यकता है तथा प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। डाटाबेस की समेकितता को अनुरक्षित करने की आवश्यकता है। हालांकि, ओएमसीज ने उपभोक्ता डाटाबेस में नई वृद्धि के लिए उचित

जांच की संस्था को आश्वास्त किया है तथापि मौजूदा डाटाबेस की यथार्थता तथा समेकितता सुनिश्चित करने की अधिक आवश्यकता है। संदेहास्पद विविध कनेक्शनों के अवरोधन तथा गैर अवरोधन के उपयुक्त तथा पारदर्शी प्रलेखन को भी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

(iii) वितरक इंटरफेस में उपयुक्त इनपुट नियंत्रण, डाटा वैधीकरण तथा कठोर निगरानी अनिवार्य है जो केवल उपभोक्ता डाटाबेस की समेकितता ही नहीं सुधारेगा अपितु गलत सूचना से उत्पन्न विफल संव्यवहारो को भी हटाएगा।

(iv) लेखापरीक्षा ने गैर नकदी हस्तांतरण अनुवर्ति उपभोक्ता की संख्या में कमी का उल्लेख किया है। तथापि, अधिक ध्यान केन्द्रित सामाजिक आउटरीच प्रयासों की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का ज्ञान और प्रक्रिया के संबंध में स्पष्टता न होने की वजह से पात्र उपभोक्ता सब्सिडी से वंचित न रह जाए।

(v) गैर नकदी हस्तांतरण अनुवर्ति उपभोक्ताओं के पास स्थाई अग्रिम अवरूद्ध करने और इसकी तुलना में कम सुरक्षा जमा राशि वाले उपभोक्ताओं से स्थाई अग्रिम की वसूली के मामलों के समाधान के लिए उचित नीति निर्णय की आवश्यकता है।

अध्याय 1
प्रस्तावना

1.1 प्रस्तावना

तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) एक स्वच्छ ईंधन है। भारत सरकार (जीओआई) घरेलू उपयोग के लिए इस ईंधन के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए एलपीजी की घरेलू आपूर्ति को सब्सिडी प्रदान कर रही है तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इसे सस्ता करके प्रस्तुत कर रही है। सामान्य तौर पर एलपीजी को भारत सरकार की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) द्वारा सब्सिडी प्राप्त मूल्य पर घरेलू ग्राहको को उपलब्ध कराया गया। सब्सिडी प्राप्त एलपीजी से उत्पन्न ओएमसीज की कम वसूलियों की क्षतिपूर्ति अंशत: भारत सरकार से बजटीय समर्थन के माध्यम से तथा अंशत: कच्चे तेल की खरीद पर अपस्ट्रीम कम्पनियों द्वारा दी गई सब्सिडी के माध्यम से की गई थी। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से एलपीजी गैस पर सब्सिडी का हस्तांतरण करने के लिए ''प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना'' (पहल (एलपीजी हेतु प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) योजना) प्रारंभ की (15 नवम्बर 2014)। योजना को तीन ओएमसीज अर्थात इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) तथा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) द्वारा एलपीजी वितरकों के अपने नेटवर्क के माध्यम से लागू किया जा रहा है। योजना तथा इसके क्रियान्वयन के महत्व को ध्यान में रखते हुए, पहल (डीबीटीएल) योजना के क्रियान्वयन की जांच करने के लिए एक लेखापरीक्षा की गई थी।

1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा उद्देश्यों में यह सम्मिलित है कि क्या योजना के क्रियान्वयन से:

- एलपीजी सिलेंडरों के विपथन हेतु प्रोत्साहन को प्रभावी रूप से हटाया गया;
- नकली/झूठे एलपीजी कनेक्शनों को प्रभावी रूप से हटाया गया;
- उपभोक्ताओं की हकदारी की रक्षा के लिए व्यवस्था की गई तथा सब्सिडी सुनिश्चित की गयी;

- वास्तविक उपयोगकर्ताओं को एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता/ वितरण में प्रभावी रूप से सुधार किया गया;
- सब्सिडी में स्व-चयन को अनुमति दी (अर्थात सब्सिडी छोड़ना);
- क्या दक्षतापूर्ण और वर्णित प्रक्रिया के अनुपालन में किया गया।

लेखापरीक्षा ने 1 जनवरी 2015 से 31 अक्तूबर 2015 तक की समयावधि के लिए तीन ओएमसीज द्वारा योजना के क्रियान्वयन को शामिल किया।

1.3 लेखापरीक्षा नमूना तथा नमूनाकरण प्रक्रिया

31 अक्तूबर 2015 तक, देश में 19.26 करोड़ पंजीकृत घरेलू एलपीजी उपभेक्ताओं को सेवा प्रदान करने वाले 16,781 एलपीजी वितरक थे। ओएमसी वार एलपीजी वितरकों तथा उपभोक्ताओं को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका-1: ओएमसी-वार एलपीजी वितरकों तथा उपभोक्ताओं का विवरण

विवरण	आईओसीएल	एचपीसीएल	बीपीसीएल	कुल
एलपीजी वितरकों की कुल संख्या	8,343	4,271	4,167	**16,781**
चालू एलपीजी घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या (करोड़ में)				
आधार नकद हस्तांतरण अनुवर्ती (एसीटीसी) उपभोक्ता	4.17	2.08	2.25	**8.50**
बैंक नकद हस्तांतरण अनुवर्ती (बीसीटीसी) उपभोक्ता	2.82	1.58	1.55	**5.95**
कुल नकद हस्तांतरण अनुवर्ती (सीटीसी) उपभोक्ता	6.99	3.66	3.81	**14.45**
गैर नकदी हस्तांतरण अनुवर्ती (एनसीटीसी) उपभोक्ता	0.83	0.40	0.48	**1.72**
कुल चालू घरेलू एलपीजी उपभोक्ता	**7.82**	**4.06**	**4.29**	**16.17**
चालू उपभोक्ताओं के अलावा अन्य की संख्या	1.58	0.76	0.74	**3.09**
कुल पंजीकृत घरेलू एलपीजी उपभोक्ता	**9.40**	**4.82**	**5.03**	**19.26**
कुल सक्रिय उपभोक्ताओं के लिए नकद हस्तांतरण अनुवर्ती (%)	89.34	90.08	88.75	**89.37**
कुल सक्रिय उपभोग्ताओं के लिए गैर नकद हस्तांतरण अनुवर्ती (%)	10.66	9.92	11.25	**10.63**

लेखापरीक्षा ने जोखिम आधारित नमूनाकरण को अपनाया तथा आगे संवीक्षा के लिए 34 प्रतिशत एलपीजी वितरकों का चयन किया।

ऐसे चयन के लिए विचार किए गए जोखिम मानदण्ड निम्नानुसार थे:

- अधिक जोखिम वर्ग के रूप में विचार की जा रही अधिक सब्सिडी भुगतान लेने वाले वितरकों सहित वितरक से संबंधित सब्सिडी अदा करना।
- अधिक जोखिम वर्ग पर विचार करने वाले बीसीटीसी उपभोक्ताओं की अधिक संख्या वाले वितरकों के पास बैंक नकद हस्तांतरण अनुवर्ती (बीसीटीसी) उपभोक्ताओं की संख्या क्योंकि ऐसे उपभोक्ताओं के पास आधार संख्या जांच की अतिरिक्त सुरक्षा नहीं है।
- नाम, पते या बैंक खाते में किए गए परिवर्तनों की अधिक बारंवारता, अधिक ज्ञात जोखिम की संभावना पर आधारित थे।
- अधिक जोखिम लेने वाली शिकायतो की अधिक संख्या सहित शिकायतों की संख्या ।
- विफल संव्यवहारों[1] की संख्या, विफल संव्यवहारों की अधिक संख्या, अग्रिम या सब्सिडी से वंचित उपभोक्ताओं का अधिक जोखिम।

वितरकों का चयन करते समय, नमूने में भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिनिधि को उचित महत्व दिया गया। प्रत्येक ओएमसी के डाटाबेस को जोन-वार (उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम) आदेशित किया तथा शीर्ष 34 प्रतिशत नमूनों का चयन किया गया। यह भी सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक ओएमसी में वितरकों को कम्पनी के बाजार शेयर की सीमा तक नमूने में दर्शाया गया। आईओसीएल के पास आधे वितरक शामिल हैं जबकि अन्य दो ओएमसीज में प्रत्येक के पास एक चौथाई शेयर है तथा इस अनुपात को नमूने के चयन में अनुरक्षित किया गया।

31 अक्टूबर 2015 को तीन ओएमसीज के केन्द्रीय सर्वरों से प्राप्त डाटा को उपर्युक्त जोखिम पैरामीटरों के अनुसार सुव्यवस्थित किया गया था तथा 34 प्रतिशत वितरकों का चयन किया गया था।

वितरकों की ओर से विस्तृत सत्यापन के लिए शीर्ष एक प्रतिशत वितरक (165 एलपीजी वितरक) का भी चयन किया गया था।

---

[1] प्रत्येक संव्यवहार जिसे भारत के बैंक/राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा वापिस/अस्वीकृत किया जाता है, को एक विफल संव्यवहार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एलपीजी ग्राहकों के मामले में, 19.26 करोड़ ग्राहकों की कुल जनसंख्या में से चयनित 34 प्रतिशत वितरकों के अन्तर्गत आने वाले 11.89 करोड़ घरेलु एलपीजी ग्राहकों (9.94 करोड़ सक्रिय तथा 1.95 करोड़ सक्रिय ग्राहकों के अलावा) के नमूने की लेखापरीक्षा जाँच की। लेखापरीक्षा में जाँच के लिए चयनित नमूने का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

तालिका-2: लेखापरीक्षा के लिए चयनित ओएमसी-वार नमूना

ओएमसी का नाम	एलपीजी वितरकों की संख्या			पंजीकृत एलपीजी घरेलू ग्राहक (करोड़ में)		
	कुल	चयनित	%	कुल	चयनित	%
आईओसीएल	8,343	2,840	34.04	9.40	5.80	61.70
बीपीसीएल	4,271	1,460	34.18	4.82	3.25	64.61
एचपीसीएल	4,167	1,416	33.98	5.03	2.84	56.46
जोड़	**16,781**	**5,716**	**34.06**	**19.26**	**11.89**	**61.73**

1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा के लिए मानदंड़ निम्नलिखित के प्रावधानों से लिए गए है:

i) पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ग्राहक योजना 'पहल' प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ (डीबीटीएल) (संस्करण 2) पर हस्तपुस्तिका।

ii) एलपीजी योजना पर प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना की समीक्षा पर धांडे समिति रिपोर्ट (मई 2014)।

iii) द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति तथा वितरण विनियम) आदेश, 2000 तथा उसपर संशोधित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति तथा वितरण विनियम) आदेश, 2009।

iv) पहल (डीबीटीएल) योजना के कार्यान्वयन तथा प्रचालन से संबंधित पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा पेट्रोलियम योजना तथा विश्लेषण सैल (पीपीएसी) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन तथा परिपत्र।

1.5 लेखापरीक्षा कार्य-प्रणाली

केन्द्रीय सर्वर से डाटा का, (पहल (डीबीटीएल) का लागू करने का मुख्य बिन्दु होने के कारण) जैसा 34 प्रतिशत एलपीजी वितरकों के संबंध में तीन ओएमसीज द्वारा उपलब्ध कराया गया, लेखापरीक्षा में नमूना जाँच तथा विश्लेषण किया गया। आरंभ में 15 अगस्त 2015 को वितरकों की जनसंख्या के एक प्रतिशत को लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए चयनित किया गया। इस नमूने में बहु-कनेक्शनों के दृष्टांतों ने एक बड़े नमूना आकार के विस्तृत विश्लेषण को आवश्यक बना दिया तथा इस कारण से, बाद में नमूना आकार को 31 अक्टूबर 2015 को डाटा से संबंधित 33 प्रतिशत बकाया के साथ 34 प्रतिशत बढ़ा दिया गया। डाटा विश्लेषण को इंटरएक्टिव डाटा एक्स्ट्रेक्शन एंड एनालिसिस (आईडीईए) सॉफ्टवेयर की सहायता से कार्यान्वित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने ग्राहक डाटाबेस की विशिष्टता तथा विशुद्धता, दोहरीकरण में कमी सुनिश्चित करने के लिए ओएमसीज द्वारा स्थापित किए गए तंत्रों की उपयुक्तता, तथा स्थायी अग्रिम के भुगतान तथा कैश ट्रांसफर कम्पलाइंट ग्राहकों के लिए रिफिल सब्सिडी से संबंधित लेन-देनों की विशुद्धता की जाँच की। लेखापरीक्षा ने वितरकों की ओर से पालन की जा रही कार्य-प्रणाली तथा बनाए जा रहे प्रलेखन की जाँच के लिए देश के चार क्षेत्रों तथा तीन ओएमसीज में फैले 165 एलपीजी वितरकों (एलपीजी वितरकों की कुल जनसंख्या का एक प्रतिशत) के अभिलेखों का प्रत्यक्ष सत्यापन भी आयोजित किया। 'सक्रिय ग्राहकों' के नमूने का प्रयोग अधिकतर लेखापरीक्षा जाँच के लिए किया गया था, जबकि 'सक्रिय ग्राहको के अलावा' के संबंध में डाटा का प्रयोग, 'सक्रिय ग्राहकों' के संबंध में डाटा के साथ संयोजन में, बहु-कनेक्शनों पर विशिष्ट जाँचों के लिए किया गया था।

लेखापरीक्षा ने जैसा पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा ओएमसीज द्वारा सुझाया गया था पहल (डीबीटीएल) योजना के समग्र वित्तीय प्रभाव को वैध करने का भी प्रयास किया।

ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्ष निहित है, को 22 फरवरी 2016 को तीन ओएमसीज को जारी किया गया। ड्राफ्ट लेखापरीक्षा के लिए उत्तर अप्रैल 2016 (बीपीसीएल) तथा मई 2016 (आईओसीएल तथा एचपीसीएल), में प्राप्त किए गए थे, जो इस

रिपोर्ट में यथावत शामिल किए गए थे। ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) को जारी की गई थी (जून 2016)। प्रस्तुत किए गए उत्तर (जून 2016) यथावत् इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए थे।

अध्याय 2
पहल (डीबीटीएल) योजना

2.1 एलपीजी योजना के लिए प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ का आरंभ

2011 में, ओएमसीज के लिए कम वसूली तथा सब्सिडी पर प्रभाव डालने वाले घरेलु सब्सिडी युक्त सिलेंडर का वाणिज्यिक क्षेत्र में विचलन की बढ़ती समस्या को रोकने के लिए तरीके तथा साधन सुझाने के लिए एक कार्य बल गठित किया गया था। कार्यबल के विचारार्थ विषय में आधार संख्या के आधार पर ग्राहको को सब्सिडी के प्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए एक रूपरेखा की पहचान शामिल थी। कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट (जुलाई 2011) में निम्नलिखित तीन चरणों में एलपीजी सब्सिडी के कार्यान्वयन की सिफारिश की थी:

चरण I: सब्सिडी युक्त सिलेंडरों की खपत पर सीमा लगाना

चरण II: आधार समर्थ बैंक खाते में ग्राहकों को सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण

चरण III: केवल अपेक्षित लाभार्थियों तक सब्सिडी सीमित करने के लिए लक्ष्य विभाजित ग्राहक

कुशल सब्सिडी प्रबंध प्राप्त करने के लिए, एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ (डीबीटीएल) को नौ सिलेंडरों की सीमा के साथ भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया था (1 जून 2013)। इस सीमा को फरवरी 2014 में 11 तथा 2014-15 के लिए 12 तक संशोधित किया गया था। योजना ने पात्र उपभोक्ताओं के बैंक खाते में सब्सिडी का प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण करके ओएमसीज की घरेलु एलपीजी वितरण प्रणाली में चोरी तथा विचलन रोकना अभिकल्पित किया था। योजना ने एलपीजी उपभोक्ताओं द्वारा घरेलु सिलेंडर के लिए बाजार कीमत के भुगतान तथा सब्सिडी राशि का उपभोक्ता के बैंक खाते में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरण की अभिकल्पना की। योजना के अनुसार घरेलु एलपीजी उपभोक्ताओं को घरेलु एलपीजी सिलेंडरो पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए उनकी आधार संख्या तथा बैंक खाता संख्या को उनके एलपीजी उपभोक्ता आईडी के

साथ जोड़ना अपेक्षित था। उपभोक्ता, जिन्होंने उनके बैंक खाता तथा आधार संख्या को उनके एलपीजी ग्राहक आईडी के साथ जोड़ दिया था, को कैश ट्रांसफर कंम्पलाइंट (सीटीसी) का नाम दिया गया तथा वे ₹ 435/- के एकमुश्त स्थायी अग्रिम (पीए) को प्राप्त करने के लिए पात्र थे जो उन्हे पहले सिलेंडर की बाजार कीमत तथा बाद में रिफिल की आपूर्ति पर लागू सब्सिडी को चुकाने में समर्थ बनाता है। योजना देश के 291 जिलों में कार्यान्वित की गई थी।

2.2 डीबीटीएल योजना का स्थगन

डीबीटीएल योजना के अन्तर्गत सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए एक आधार संख्या होना पहली आवश्यकता थी। इसके कारण उपभोक्ता शिकायते हुई, विशेष रूप से उन जिलों में जहाँ आधार की समझ कम थी। डीबीटीएल योजना को मार्च 2014 में स्थगित किया गया था तथा योजना की कार्यपद्धति की समीक्षा के लिए श्री एस.जी.धांडे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन (मार्च 2014) किया गया था। बाद में, 15 नवम्बर 2014 को, घरेलु एलपीजी पर सब्सिडी के लिए प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ को ''प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना'' (पहल (डीबीटीएल) योजना) के अन्तर्गत पुन: आरंभ किया गया था।

2.3 पहल (डीबीटीएल) योजना का आरंभ

पहल (डीबीटीएल) योजना को 15 नवम्बर 2014 को 54 जिलों में आरंभ किया गया था (पहला चरण) तथा बाद में 1 जनवरी 2015 को शेष 622[1] जिलों में विस्तारित किया गया (दूसरा चरण)। डीबीटीएल योजना के विपरीत, एक उपभोक्ता के लिए पहल योजना के अन्तर्गत सब्सिडी लाभ उठाने के लिए आधार संख्या अनिवार्य नहीं थी। एक एलपीजी उपभोक्ता के पास उसके बैंक खाते को उसकी एलपीजी उपभोक्ता आईडी के साथ आधार संख्या प्रस्तुत किए बिना जोड़ने तथा उस बैंक खाते में सब्सिडी प्राप्त करने का अधिकार था।

पहल (डीबीटीएल) योजना तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) द्वारा इसके एलपीजी वितरकों जो उपभोक्ताओं के साथ इंटरफेस बनाते है, के नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित की

[1] योजना देश में सभी जिलों में 1 जनवरी 2015 को विस्तारित की गई थी। परन्तु ओएमसीज पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पूर्व अनुमति के साथ कनेक्टिविटी विषयों इत्यादि जैसे कारणों के लिए योजना से कुछ जिलों/जिलों के भाग या वितरकों को छोड़ने के लिए अधिकृत थे।

जा रही है। वितरक, वितरण अधिकार के लिए निश्चित किए गए क्षेत्र के लिए, एक विशिष्ट ग्राहक डाटाबेस (एक विशिष्ट एलपीजी आईडी, नाम, पता, जन्मतिथि, बैंक खाता वितरण तथा यदि उपलब्ध हो तो आधार संख्या सहित घरेलु एलपीजी उपभोक्ता के ब्यौरे निहित) बनाते है तथा समय-समय पर इसका ओएमसीज द्वारा बनाए गए केन्द्रीय तंत्र के साथ संकलन करते है। उपभोक्ता द्वारा एक निवेदन की प्रतिक्रिया में वितरक बाजार कीमत पर एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति करते है तथा ग्राहक द्वारा प्राप्ति का प्रमाण (लेन-देन की पूर्णता दर्शाने वाला) केन्द्रीय तंत्र में अपलोड़ करते हैं। उपभोक्ता को सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए कार्रवाई ओएमसी (केन्द्रीय तंत्र) द्वारा आरंभ की जाती है जो प्रायोजक बैंक (भारतीय स्टेट बैंक) को सूचना भेजती है और आगे बढते हुए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) एलपीजी उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा करने के लिए भुगतान प्लेटफार्म को सक्षम बनाता है। उपभोक्ता को सब्सिडी हस्तांतरण से संबंधित सूचना ओएमसीज के केन्द्रीय सिस्टम द्वारा प्राप्त हो जाती है जो तब प्रतिपूर्ति के लिए सरकार के पास एक सब्सिडी दावे को वरीयता देता है।

2.4 पहल (डीबीटीएल) योजना की विशेषताएं

- पहल (डीबीटीएल) योजना के उद्देश्य हैं:

  क. विपथन के लिए प्रोत्साहन को हटाना

  ख. जाली/नकली कनेक्शनों को अलग करना

  ग. पात्रता की सुरक्षा तथा उपभोक्ता को सब्सिडी सुनिश्चित करना

  घ. वास्तविक उपभोक्ता को एलपीजी सिलेंडर की उपलब्ध/आपूर्ति में सुधार

  ङ. सब्सिडी में स्व-चयन की अनुमति

- योजना के अन्तर्गत सब्सिडी की प्राप्ति के लिए शर्तें निम्नलिखित हैं:

  उपभोक्ता, जो योजना में शामिल होने के इच्छुक है, को एलपीजी सब्सिडी राशि को प्राप्त करने के लिए कैश ट्रांसफर कंपलाइंट (सीटीसी) होना होगा तथा उसके पास दो विकल्प थे:

- **विकल्प I** (प्राथमिक):

  जहॉ भी आधार संख्या उपलब्ध है; यह नकद हस्तांतरण का माध्यम बना रहेगा। इसलिए, एक एलपीजी उपभोक्ता, जिसके पास आधार संख्या है, को उसके बैंक खाता संख्या तथा एलपीजी उपभोक्ता संख्या से जोड़ना है। इन ग्राहकों का एसीटीसी (आधार कैश ट्रांसफर कम्पलाइंट) ग्राहकों के रूप में उल्लेख किया जाएगा।

- **विकल्प II** (गौण):

  यदि एक एलपीजी उपभोक्ता के पास आधार संख्या नहीं है, तब वह आधार संख्या के प्रयोग के बिना प्रत्यक्ष रूप से सब्सिडी उसके बैंक खाते में प्राप्त कर सकता/सकती है। इन ग्राहकों का बीसीटीसी (बैंक कैश ट्रांसफर कंपलाइंट) उपभोक्ता के रूप में उल्लेख किया जाएगा।

- घरेलु एलपीजी ग्राहक, जो पहले ही उनके आधार संख्या तथा बैंक संख्या को एलपीजी डाटाबेस में जोड़कर पहली डीबीटीएल योजना में जुड़ चुके है, को सब्सिडी प्राप्त करने के लिए नई कार्रवाई करने की आवश्यकता नही होगी क्योंकि सब्सिडी पिछली प्रविष्टि के आधार पर आधार संख्या के द्वारा उनके बैंक खाते में हस्तांतरित हो जायेगी।
- उन जिलों में जहाँ योजना आरंभ की जा चुकी है, घरेलु एलपीजी सिलेंडर योजना के आरंभ की तिथि से बाजार निर्धारित कीमत (यानी कीमत जिसमें सब्सिडी शामिल नहीं है) पर बेचे जाएंगे।
- एलपीजी पर लागू कुल नकद ('कुल नकद' आपूर्ति की तिथि पर लागू बाजार निर्धारित कीमत तथा सब्सिडी युक्त खुदरा विक्रय कीमत के बीच का अन्तर है) तब पूरे वर्ष के लिए 12 सिलेंडरों की सीमा तक आपूर्ति किए गए प्रत्येक सब्सिडीयुक्त सिलेंडर के लिए सीटीसी उपभोक्ता को उसकी पात्रता के अनुसार बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
- गैर-सीटीसी उपभोक्ता को सीटीसी बनने के लिए पहल (डीबीटीएल) योजना के आंरभ की तिथि से 3 महीने की छूट अवधि (पहले चरण के लिए 14 फरवरी 2015 तक

तथा दूसरे चरण के लिए 31 मार्च 2015 तक) की अनुमति थी। इस अवधि के दौरान, ऐसे उपभोक्ता को उनके पात्र सिलेंडर तब के लागू सब्सिडीयुक्त खुदरा विक्रय कीमत पर प्राप्त होंगे।

- तीन महीनों की छूट अवधि के बाद, सभी गैर-सीटीसी एलपीजी उपभोक्ताओं को अतिरिक्त तीन महीने की पार्किंग अवधि (यानी, पहले चरण के लिए 14 मई 2015 तक तथा दूसरे चरण के लिए 30 जून 2015 तक) प्राप्त होगी, जिस समय के दौरान, सभी एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए विक्रय बाजार निर्धारित कीमत पर होगा। इस अवधि के दौरान, सीटीसी उपभोक्ताओं को उनकी सब्सिडी उनके बैंक में मिलेगी तथा गैर-सीटीसी ग्राहकों के लेन-देनों से संबंधित सब्सिडी को संबंधित ओएमसी के साथ रोका जाएगा। इस रोकी गई सब्सिडी राशि को ऐसे एलपीजी उपभोक्ताओं को हस्तांतरित कर दिया जाएगा जो इस पार्किंग अवधि के दौरान किसी समय सीटीसी बने थे। ऐसे एलपीजी उपभोक्ताओं से संबंधित रोकी गई सब्सिडी राशि, जो पार्किंग अवधि के दौरान सीटीसी नहीं बने, समाप्त हो जाएगी तथा उनको रिफिल सिलेंडरों का विक्रय बाजार निर्धारित कीमत पर जारी रहेगा उस समय तक जब तक उपभोक्ता सीटीसी दर्जा प्राप्त करता है।
- एकमुश्त स्थायी अग्रिम (पीए) उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा जो पहले रिफिल की बुकिंग के पश्चात योजना में सम्मिलित हो गया था। अग्रिम समय-समय पर सूचित किया जाएगा, तथा जैसे ही योजना से जुड़ने के बाद उपभोक्ता, एक सिलेंडर के लिए पहली बुकिंग करता है तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ता के पास पहले एलपीजी सिलेंडर के लिए भुगतान के लिए आवश्यक पर्याप्त धन है, चुका दिया जाएगा। 15 नवम्बर 2014 से 31 मार्च 2015 अवधि के लिए पीए राशि ₹ 568 है। उसके बाद, पीए राशि प्रत्येक महीने सशोधित की जाती है तथा इसमें क्षेत्र[1] के अनुसार भिन्नता आती है।
- एलपीजी उपभोक्ता, जिन्हें पिछले स्केल पर स्थायी अग्रिम प्रदान किया गया था, स्थायी अग्रिम में संशोधन के आधार पर भिन्न भुगतान के लिए पात्र नही होगा।

---

[1] कीमत में, आपूर्ति बिन्दू से दूरी की दृष्टि में शामिल परिवहन शुल्क पर निर्भर करते हुए विक्रय स्थल तथा राज्य के साथ-साथ इस विशिष्ट विक्रय स्थल पर लागू स्थानीय करों के अनुसार अंतर होता है।

2.5 योजना की भुगतान प्रक्रिया

योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता को अग्रिम तथा सब्सिडी के हस्तांतरण की प्रक्रिया निम्न प्रवाह आरेख में दर्शायी गई है:

Figure-1: Transfer of one time cash advance (Permanent Advance)

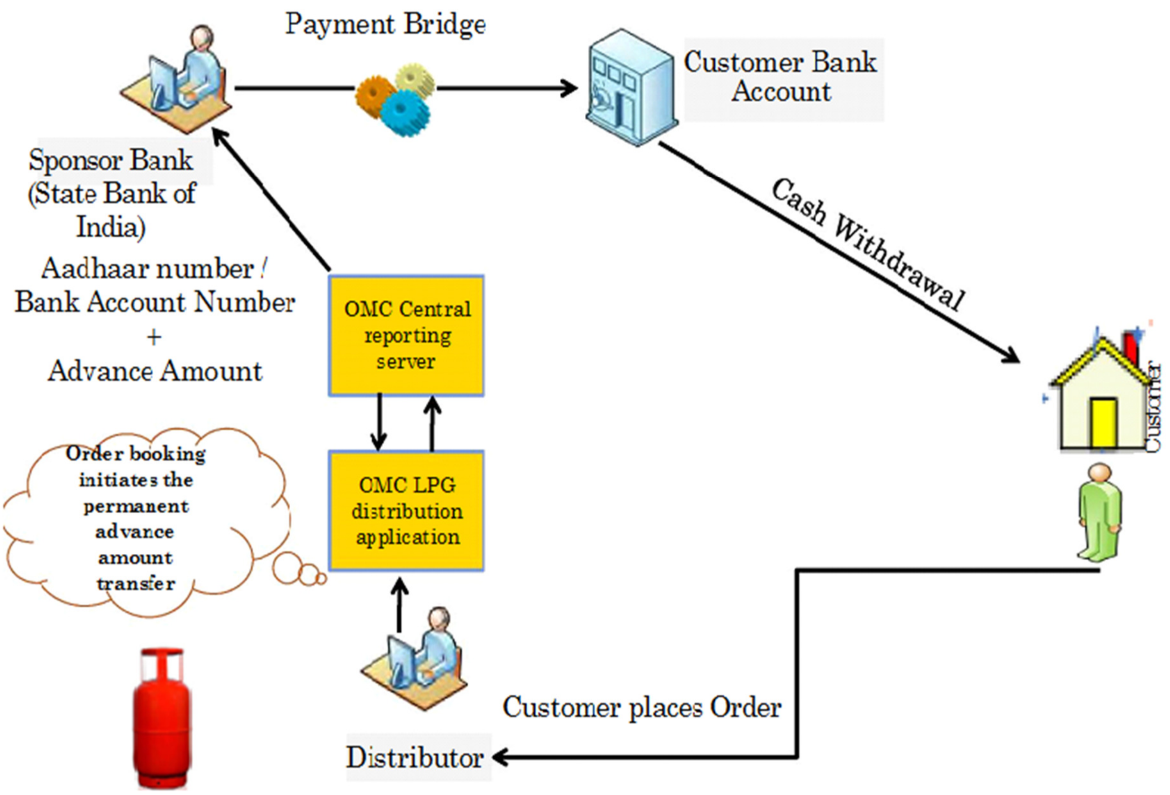

Figure-2: Transfer of Refill Subsidy

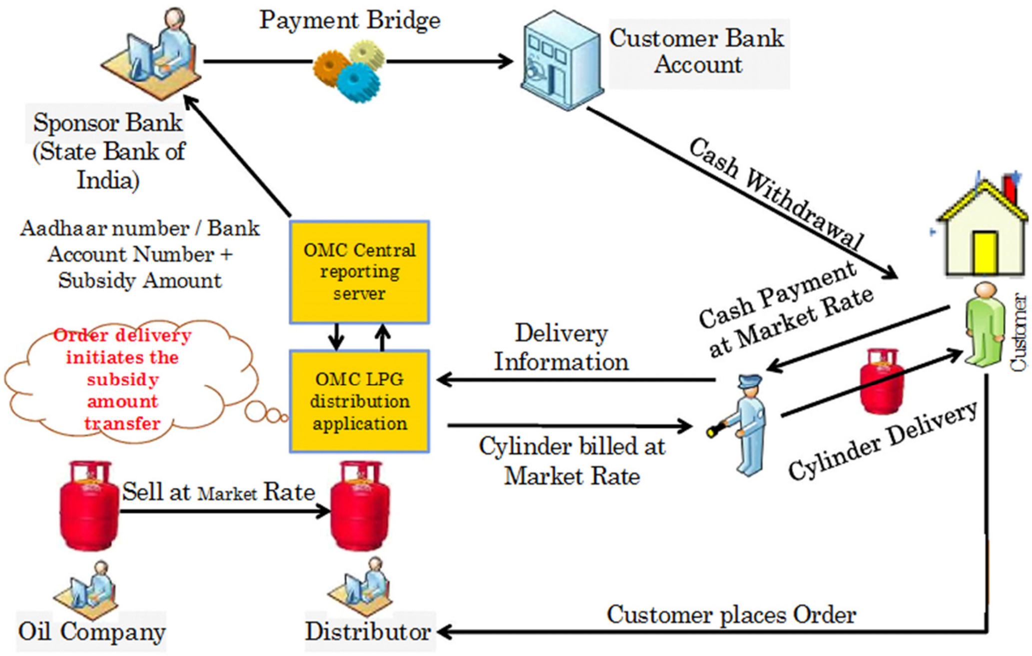

2.6 ओएमसीज के पहल (डीबीटीएल) दावों के समाधान के लिए प्रक्रिया

योजना के आरंभ के समय ओएमसीज को सभी सीटीसी उपभोक्ताओं के संबंध में पीए दावे की अनुमति दी गई थी, परन्तु बाद में, पीए दावे को अतिरिक्त उपभोक्ता, जो योजना से जुड़े थे, को केवल पीए राशि के लिए संवितरण के बाद ही किया जाना था। उसी प्रकार, ओएमसीज को भारत सरकार के पास, त्रैमासिक आधार पर, एलपीजी उपभोक्ताओं के बैंक खाते में सफलतापूर्वक हस्तांतरित सब्सिडी राशि के प्रति दावे दायर करने अपेक्षित थे। यद्यपि, ऐसे दावे दायर करते समय ओएमसीज, उपभोक्ताओं को हस्तांतरित सम्पूर्ण सब्सिडी राशि के दावे के लिए पात्र नहीं हैं। ओएमसी केवल क्षतिपूरित न की गई कीमत[1] घटाने के बाद ही सब्सिडी राशि के दावे के पात्र थी। इसके अलावा, ओएमसीज त्रैमासिक आधार पर ₹ 50 लाख प्रति जिले तक सीमित परियोजना प्रबंधन व्यय[2] के दावे की पात्र हैं।

[1] क्षतिपूरित न की गई कीमते, आयात हानि/गैर-संशोधित हॉनि इत्यादि जैसे लागत तत्व है जो लागत मूल्य निर्धारण की कार्य-प्रणाली में शामिल नहीं है, जैसा योजना के साथ संलग्न अनुलग्नक में उल्लिखित है।

[2] परियोजना प्रबंधन व्यय में प्रविष्टि व्यय, सॉफ्टवेयर शुल्कअपग्रेड/, फॉर्मय पर व्यप्रविष्टि/एसएमएस/, आधार निर्माण शिविर इत्यादि शामिल है।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने (एमओपीएनजी/मंत्रालय) पत्र दिनांक 7 अगस्त 2015, वर्ष 2015-16 के लिए पहल (डीबीटीएल) सब्सिडी के लिए समाधान तंत्र आरंभ किया, जिसमें ओएमसीज को नकद सब्सिडी प्राप्त करने के लिए 'बफर खाता' नामक एक अलग बैंक खाता खोलना अपेक्षित था। तब ओएमसीज को अखिल भारत आधार पर बनाई गई डीबीटीएल बिक्रियों के लेखापरीक्षित विवरण पेट्रोलियम योजना तथा विश्लेषण सैल (पीपीएसी) को जमा कराने थे जो ओएमसीज द्वारा बताए गए बिक्री आंकड़ों की संवीक्षा करेगा तथा मंत्रालय को भेज देगा। एमओपीएनजी प्रस्ताव को अपनी सिफारिशों के साथ तैयार अपने मंत्रालय की एकीकृत वित्त डिवीजन (आईएफडी) को भेजेगा, जो जाँच के बाद प्रत्येक महीने के लिए लागू नकद सब्सिडी के भुगतान के लिए इसकी सहमति देगा। एमओपीएनजी प्रत्येक ओएमसी के बफर खाते में राशियों का भुगतान करेगा। प्रत्येक ओएमसी को अवधि के दौरान पहल योजना के अन्तर्गत बेची गई एलपीजी मात्रा के आधार पर बफर खाते से सब्सिडी राशि को निकालने की अनुमति होगी। डीबीडीएल/पहल योजना के अन्तर्गत एमओपीएनजी को ओएमसीज द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों की स्थिति तथा बफर खाते में जमा करने के लिए भारत सरकार (जीओआई) द्वारा स्वीकृत सब्सिडी राशि अनुलग्नक I में दर्शायी गई है।

अध्याय 10 के उत्तर में, एमओपीएनजी ने बताया (जून 2016) कि स्थायी अग्रिम 1 अप्रैल 2016 से बंद किया जा चुका है। व्यय विभाग ने बफर खाते में उपलब्ध अधिशेष से योजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 में ओएमसीज द्वारा चुकाए गए ₹ 6702.96 करोड़ के एकमुश्त नकद प्रोत्साहन (स्थायी अग्रिम) के समाधान को स्वीकृत किया।

2.7 पहल (डीबीटीएल) योजना के अन्तर्गत कवरेज

पहल (डीबीटीएल) योजना सभी घरेलु एलपीजी उपभोक्ताओं को कवर करने का अभिप्राय रखती है जो 31 अक्टूबर 2015 को 16,781 वितरकों द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले 16.17 करोड़ तक है। इंडियन ऑयल कोर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के पास 7.82 करोड़ उपभोक्ताओं तथा 8,343 वितरकों के साथ बाजार शेयर का लगभग आधा है। अन्य दो ओएमसी, दोनों के मध्य लगभग समान रूप से विभाजित बाजार शेयर के साथ शेष

उपभोक्ताओं को कवर करती हैं (यानी, 4271 वितरकों द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले 4.06 करोड़ उपभोक्ताओं वाली भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) तथा 4167 वितरकों द्वारा सेवा प्रदान किए गए 4.29 करोड़ उपभोक्ताओं वाली हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल))। कुल 16.17 करोड़ घरेलु एलपीजी उपभोक्ताओं में से 10.63 प्रतिशत योजना में सम्मिलित नहीं हुए तथा नॉन कैश ट्रांसफर कंपलाइंट (एनसीटीसी) उपभोक्ताओं के रूप में नामित किए गए थे। (31 अक्टूबर 2015) 14.45 करोड़ सीटीसी उपभोक्ताओं में से 8.50 करोड़ (59 प्रतिशत) सीटीसी उपभोक्ताओं (एसीटीसी उपभोक्ता) थे। शेष 5.95 करोड़ आधार अनुवर्ति उपभोक्ताओं (41 प्रतिशत) ने केवल बैंक खाता ब्यौरे प्रस्तुत किए थे तथा बीसीटीसी उपभोक्ता थे (31 अक्टूबर 2015)।

2.8 पहल (डीबीटीएल) योजना कार्यान्यन के लिए आईटी सिस्टम

तीन ओएमसीज (आईओसीएल, बीपीसीएल तथा एचपीसीएल) के पास पहल (डीबीटीएल) योजना के कार्यान्वयन के लिए पृथक आईटी सिस्टम तथा आईटी संरचना थी। आईओसीएल तथा एचपीसीएल के पास एक विकेन्द्रीकृत सर्वर संरचना, वितरकों की ओर से एक सर्वर तथा ओएमसी के साथ एक केन्द्रीय सर्वर था। आईओसीएल के वितरक सर्वरों पर प्रयोग किया गया सॉफ्टवेयर इंडसॉफ्ट है जबकि एचपीसीएल द्वारा प्रयोग किया गया सॉफ्टवेयर वितरण तथा उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली (डीसीएमएस) है। प्रत्येक वितरक उसके वितरण अधिकार से संबंधित उपभोक्ता डाटाबेस को बनाता/बनाती है तथा विशिष्ट सॉफ्टवेयर प्रणाली (आईओसीएल के लिए इंडसॉफ्ट तथा एचपीसीएल के लिए डीसीएमएस) पर सचालित सर्वर पर लेन देनों को पूरा करती है।

आईओसीएल के मामले में, कोई भी उपभोक्ता बनाने/बदलने के अनुरोध उपभोक्ता अनुरोध के आधार पर वितरक परिसर में प्राप्त किये जाते हैं और ऐसे अनुरोध निष्पादन हेतु केन्द्रीय सर्वर में आगे भेजे जाते हैं। केन्द्रीय सर्वर ऐसे अनुरोधों को प्रमाणित करता है व्यावसायिक तर्क के आधार पर उनका निष्पादन करता है और पहले केन्द्रीय सर्वर में उपभोक्ता का डाटा बनाता/बदलता है। इसके बाद, पारिवर्तन अनुरोध निष्पादन स्थिति सहित वितरक सॉफ्टवेयर में वापस प्रसारित किये जाते हैं। यह तंत्र वितरक स्तर पर उपभोक्ता डाटाबेस में कोई भी

अनाधिकृत परिवर्तन न होना सुनिश्चित करता है और केन्द्रीय सर्वर के पास हमेशा उपभोक्ता विवरण बनाने/परिवर्तन पर पहली सूचना होती है। वितरक की ओर से लेन-देन का डेटा आवधिक अंतरालों पर केन्द्रीय सर्वर के साथ सिंक्रोनाइज किया जाता है।

एचपीसीएल के मामले में, कोई भी उपभोक्ता बनाने/बदलने के अनुरोध उपभोक्ता अनुरोध के आधार पर वितरक परिसर में प्राप्त किये जाते हैं और कार्यवाही स्थानीय डीसीएसएम प्रणाली में की जाती है। आवधिक रूप से, अनुरोध केन्द्रीय सर्वर में सिंक्रोनाइज होता है। इस प्रक्रिया के अनुसार, सभी परिवर्तन वितरक स्तर पर उपभोक्ता डाटाबेस में किये जाते हैं और फिर डाटा आवधिक आधार पर केन्द्रीय सर्वर के साथ सिंक्रोनाइज किया जाता है। केन्द्रीय सर्वर को लेन-देन के संचयन के लिये और विभिन्न आवधिक और एमआइएस रिपोर्ट बनाने के लिये प्रयोग किया जाता है।

दूसरी ओर, बीपीसीएल के पास एकल एकीकृत केन्द्रीय सर्वर है जो एलपीजी नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पर कार्य करता है और वास्तविक समय आधार पर वितरक के दैनिक लेन-देन के अभिलेख के साथ-साथ उपभोक्ता मुख्य डाटा का रखरखाव करता है।

2.9 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

यह नोट किया जा सकता है कि आपत्तियों में उजागार किये गये डाटा में अनियमितता का महत्व जुडे हुये मामलों की संख्या या राशि के संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं हो सकते जब लेखापरीक्षा में जांच किये गये नमूना आकार से तुलना की जाये। तथापि, निष्कर्षों को योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने की सीमा दर्शाने और प्रणाली योजना से कुछ प्राप्त करने की सीमा दर्शाने और प्रणाली योजना से कुछ अनियमितताओं को उजागर करने के लिये प्रतिवेदित किया गया है ताकि योजना और प्रणाली को एलपीजी उपभोक्ताओं को और भी अच्छी सेवा देने के लिये सुसंगत बनाया जा सके। लेखापरीक्षा की राय है कि केवल डाटा प्रसंस्करण या प्रबंधन या फ्रेमवर्क जिसके अंतर्गत वो क्रियान्वित किया गया हो में अनियमितता होने के कारण पहल (डीबीटीएल) योजना जैसे सामाजिक सुरक्षा और कलयाण के कार्य में किसी भी लाभार्थी को उसका उचित लाभ देने से इंकार नहीं किया जाना चाहिये।

पहल (डीबीटीएल) योजना के प्रत्येक उद्देश्य पर लेखापरीक्षा निषकर्ष निम्नलिखित अध्यायों के अंतर्गत वर्गीकृत किये गये हैं।

अध्याय 3: विपथन हेतु प्रोत्साहन हटाना

अध्याय 4: जाली/दोहरे कनेक्शन को समाप्त करना

अध्याय 5: वास्तविक उपयोगकर्ताओं को सिलेंडरों का वितरण

अध्याय 6: हकदारी का संरक्षण और सब्सिडी सुनिश्चित करना

अध्याय 7: सब्सिडी का स्व-चयन

अध्याय 8: अन्य मुद्दे

अध्याय 9: पहल (डीबीटीएल) योजना के माध्यम से सब्सिडी में बचत

अध्याय 10: निष्कर्ष एवं सिफारिशें

अध्याय 3
विपथन हेतु प्रोत्साहन हटाना

3.1 वाणिज्यिक एलपीजी की विकास दर में वृद्धि और घरेलू एलपीजी की विकास दर में कमी

देश में एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं की तीन व्यापक श्रेणियों में अर्थात घरेलू उपभोक्ताओं, गैर-घरेलू गैर-छूट प्राप्त (एनडीएनई) उपभोक्ताओं और ऑटो एलपीजी उपभोक्ताओं को बेचे जाते हैं। लेखापरीक्षा ने 2014 में समान अवधि के प्रति अप्रैल से अक्टूबर 2015 (योजना के क्रियान्वयन के बाद) की अवधि के दौरान बिक्री में वृद्धि के संबंध में इन तीन श्रेणियों के बिक्री पैटर्न की तुलना की। परिणाम नीचे तालिकाबद्ध हैं:

तालिका-3: अप्रैल-अक्टूबर 2014-15 की तुलना में अप्रैल-अक्टूबर 2015-16 के दौरान उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों की बिक्री में वृद्धि

(प्रतिशत में)

माह	घरेलू बिक्री		एनडीएनई पैक्ड सेल[1]		ऑटो एलपीजी बिक्री	
	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16
अप्रैल	12.0	7.8	-13.3	41.2	-23.0	14.5
मई	17.4	3.5	-11.0	37.0	-24.8	10.2
जून	12.8	10.3	-11.1	28.3	-21.3	6.5
जुलाई	5.8	9.6	-15.8	38.8	-26.0	6.2
अगस्त	11.1	5.2	-13.3	43.7	-25.8	4.5
सितम्बर	17.2	2.5	-3.7	40.0	-20.1	7.8
अक्टूबर	7.5	10.4	-9.9	66.3	-23.8	7.2

पहल (डीबीटीएल) योजना शुरू होने के बाद एनडीएनई और ऑटो एलपीजी सिलेंडरों के कुल बिक्री में काफी वृद्धि हुई। वर्ष 2014-15 में एनडीएनई और ऑटो एलपीजी श्रेणियों की नकारात्मक वृद्धि दर 2015-16 में सकारात्मक हो गई और एनडीएनई बिक्री काफी बढ़ गई।

[1] भरे सिलेंडरों में एलपीजी की बिक्री पैक्ड सेल कहलाती है। गैर-घरेलू गैर छूट प्राप्त (एनडीएनई) उपभोक्ताओं के मामले में एलपीजी की बिक्री या तो पैक पैक्ड के रूप में (अर्थात सिलेंडरों में) या थोक बिक्री के रूप में (अर्थात टैंकरों के माध्यम से-मुख्य रूप से औद्योगिक उपभोक्ताओं को)।

यह विशेष रूप से योजना की पार्किंग अवधि समाप्त होने के बाद अर्थात् जुलाई 2015 से घरेलू श्रेणी में बिक्री के विकास में कमी के साथ हुआ।

लेखापरीक्षा की राय में गैर-घरेलू भाग की तुलना में घरेलू भाग में कुल व्यापार में वृद्धि दर्शाते हुये विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के बिक्री पैटर्न में परिवर्तन पहल (डीबीटीएल) योजना के सकारात्मक प्रभाव के कारण हो सकता हैं क्योंकि पहल (डीबीटीएल) योजना ने दोहरा मूल्य निर्धारण समाप्त कर दिया है जिससे गैर-घरेलू प्रयोग के लिये घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में विपथन के लिये प्रोत्साहन पर रोक लगाई।

यद्यपि इस मुद्दे पर आईओसीएल और एचपीसीएल (मई 2016) मौन थे, बीपीसीएल लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से सहमत था (अप्रैल 2016)।

3.2 गैर-सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी की व्यापक रूप से बिक्री

घरेलू सीटीसी उपभोक्ता पहल (डीबीटीएल) योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र है। उपभोक्ता 12 के कोटे से अधिक की खपत कर सकता है, लेकिन 12 सिलेंडरों से अधिक की खपत करने के लिये उपभोक्ता को बाजार मूल्य का भुगतान करना होगा और वो सब्सिडी प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। यह मानते हुये कि प्रति घर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की राष्ट्रीय औसत खपत 2014-15 में 6.27 थी, यह अनुमान लगाना उचित होगा कि घर में एलपीजी की आवश्यकता सामान्य रूप से वर्ष में 24 सिलेंडर से अधिक नहीं होगी (सब्सिडी के लिये अनुमत कोटे की दोगुनी)। घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा गैर-सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कुल बिक्री में वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से योजना के उद्देश्य के सकारात्मक परिणाम की ओर इशारा करती है बशर्ते विपथन हेतु प्रोत्साहन हटाया जाये।

लेखापरीक्षा ने, लेखापरीक्षा में जांच किये गये 34 *प्रतिशत* नमूनों में वर्ष 2014-15 की तुलना में 2015-16 के दौरान घरेलू गैर-सब्सिडी वाले सिलेंडर की कुल बिक्री में काफी वृद्धि देखी। 2015-16 (अप्रैल से अक्टूबर 2015) के पहले सात महीनों के दौरान 24 एलपीजी सिलेंडरों से अधिक की खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 2014-15 में पूरे वर्ष 261.34 *प्रतिशत* की समान संख्या से बढ़ी जैसा नीचे दर्शाया गया है।

तालिका-3: अप्रैल-अक्टूबर 2014-15 की तुलना में अप्रैल-अक्टूबर 2015-16 के दौरान गैर सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कुल बिक्री का विवरण

ओएमसी का नाम	सक्रिय एलपीजी घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या जिन्होंने 2014-15 के दौरान 24 सिलेंडरों से अधिक की खपत की	सक्रिय एलपीजी घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या जिन्होंने 2015-16 के पहले सात महीनों (अप्रैल से अक्टूबर 2015) में 24 सिलेंडरों से अधिक की खपत की
आईओसीएल	1,506	5,056
एचपीसीएल	353	1,332
बीपीसीएल	1,211	1,635
कुल	**3,070**	**8,023**
खपत में प्रतिशत वृद्धि		**261.34**

इस प्रकार, 2015-16 में पहले सात महीनों में 24 सिलेंडरों से अधिक की खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 2014-15 के पूर्ण वर्ष का 2.6 गुना है। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि आईओसीएल में 23,104 घरेलू उपभोक्ताओं (2014-15 के दौरान 12 सिलेंडरों की न्यूनतम खपत करने वाले), एचपीसीएल में 5,662 और बीपीसील में 7,993 ने 12 सिलेंडरों से अधिक की खपत की और 2015-16 के पहले सात महीनों के दौरान उनकी खपत 2014-15 के पूर्ण वर्ष से अधिक थी।

यद्यपि लेखापरीक्षा घरेलू गैर-सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की अधिक खपत से जुडे जोखिम को उजागर करेगी क्योंकि अतिरिक्त शुल्क और लेवी (अर्थात सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क और मूल्य वर्धित कर अंतर) के कारण वाणिज्यिक और घरेलू गैर-सब्सिडी वाली एलपीजी के बीच मूल्य का काफी अंतर है। शुल्क अंतर को ध्यान में रखते हुये, 14.2 कि.ग्रा. का समान एलपीजी सिलेंडर वाणिज्यिक उपभोक्ता की तुलना में घरेलू गैर-सब्सिडी प्राप्त उपभोक्ता (अक्टूबर 2015 में मुंबई में लागू मूल्य पर) के लिये ₹ 233.20 अधिक होगा। यह अंतर सब्सिडी प्राप्त और गैर-सब्सिडी घरेलू एलपीजी सिलेंडर के बीच मूल्य अंतर से काफी अधिक था, जो अक्टूबर 2015 में ₹ 99.86 था। इसलिये, वाणिज्यिक उपयोग के लिये गैर-सब्सिडी प्राप्त घरेलू एलपीजी के विपथन का जोखिम है।

ओएमसीज ने अपने उत्तर में (अप्रैल/मई 2016) कहा कि उपभोक्ताओं ने निर्धारित अवधि में 12 सब्सिडी वाले सिलेंडरों से अधिक की खपत नहीं की है, जो नियंत्रण आदेश के अनुसार तय सीमा है। इसके अतिरिक्त एचपीसीएल ने कहा कि उपभोक्ताओं ने अधिक सिलेंडर लिये क्योंकि उनकी खपत अधिक है और वितरक को उनकी यथार्थता स्थापित करने के लिये ऐसे उपभोक्ताओं की निगरानी करने की सलाह दी गई है। बीपीसीएल ने कहा कि मामले जहां खपत काफी अधिक है घरों की संख्या के आधार पर उच्च कोटे वाले अलग किये गये उपभोक्ता थे।

बीपीसीएल का उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि लेखापरीक्षा ने विशेष रूप से अलग निकाले हुये उपभोक्ताओं के नमूना डाटा को अलग किया। ओएमसीज का तर्क कि 12 सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की सीमा न बढ़ाना सराहनीय है। तथापि, गैर-सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों को वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिये विपथित करने की संभावना दोनों के बीच दिये गये अधिक मूल्य अंतर पर ध्यान देने की आवश्यकता को दोहराया गया है।

उपरोक्त पहलू पर अध्याय 10 में दिये गये निष्कर्ष के उत्तर में, एमओपीएनजी ने कहा (जून 2016) कि वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री ने पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अप्रैल 2015 से मार्च 2016 की अवधि में 39.3 *प्रतिशत* की वृद्धि दर दर्ज की; जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों ने केवल 7.1 *प्रतिशत* वृद्धि दर्ज की। यह पहल (डीबीटीएएल) योजना के क्रियान्वयन के साथ घरेलू सब्सिडी वाले एलपीजी के परिवर्तन को कम करने के कारण हो सकता है।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिये कि यद्‌यपि, वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों में वृद्धि हुई थी, वर्ष 2014-15 की तुलना में 2015-16 के दौरान घरेलू गैर-सब्सिडी वाले सिलेंडरों के संबंध में भी काफी वृद्धि दर्ज की गई थी। ऐसे मामले में, लेखापरीक्षा ने वाणिज्यिक और घरेलू गैर-सब्सिडी वाली एलपीजी के बीच मूल्य अंतर को ध्यान में रखते हुये घरेलू गैर-सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की अधिक खपत से जुडे जोखिम को उजागार किया।

लेखापरीक्षा ने पहल (डीबीटीएल) योजना के क्रियान्वयन के बाद वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री में काफी वृद्धि देखी। तथापि, सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र न होने वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कुल बिक्री में भी काफी वृद्धि हुई, जो विपथन का जोखिम बढ़ाता है, विशेष रूप से उपभोक्ताओं की दो श्रेणियों में कर और लेवी में अंतर के कारण सब्सिडी के लिये अपात्र घरेलू एलपीजी सिलेंडरों और वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों के बीच महत्वपूर्ण मूल्य अंतर को ध्यान में रखते हुये।

अध्याय 4
जाली/दोहरे कनेक्शनों को समाप्त करना

एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 (यथा संशोधित) एक घर में एक एलपीजी रसोई गैस कनेक्शन की अनुमति देता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत घर में एक से अधिक एलपीजी कनेक्शन रखना वर्जित करता है। सभी तीन ओएमसी में विशिष्टता बनाये रखते हुए प्रत्येक घरेलू एलपीजी कनेक्शन का विशिष्ट उपभोक्ता आईडी है। घरेलू एलपीजी उपभोक्ता डाटाबेस में रिकॉर्ड किये गये मानदंडों में अन्य बातों के साथ-साथ नाम, पता, आधार संख्या और बैंक खाता संख्या भी शामिल है। एकाधिक कनेक्शन तब होते हैं जब दो या अधिक एलपीजी उपभोक्ता आईडी एक ही उपभोक्ता से जुडे पाये जाये जो समान आधार नंबर, बैंक खाता संख्या, नाम और पते के माध्यम से पहचाने जा सकते हैं। नियंत्रण आदेश को क्रियान्वित करने के लिये और सब्सिडी व्यय सीमित करने के लिये, एलपीजी पर सब्सिडी प्राप्त करने वाले एकाधिक कनेक्शनों का पता लगाना और ऐसे कनेक्शनों को बंद करने/काटने के लिये आवश्यक कदम उठाना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने वितरक के 34 *प्रतिशत* नमूनों को कवर करते हुये एकाधिक उपभोक्ता कनेक्शन की जांच की। निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा दोहरीकरण कम करने का कार्य किया गया था:

- 'समान आधार नंबर',
- 'समान बैंक खाता संख्या और आईएफएससी[1]',
- 'समान नाम और समान पता',
- 'समान नाम, जन्म तिथि और रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर'.

उपरोक्त मापदंड का प्रयोग करके विश्लेषण के आधार पर एकाधिक एलपीजी कनेक्शनों पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों की नीचे चर्चा की गई है:

[1] आईएफएससी का अर्थ है 'भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड'

4.1 समान आधार नंबर और समान बैंक खाता संख्या के आधार पर एकाधिक कनेक्शनों का पता लगाना

पहल (डीबीटीएल) योजना के शुरू होने से, उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ लेने के लिये एलपीजी उपभोक्ता डाटाबेस के साथ अपने बैंक खाते का विवरण जोड़ना आवश्यक है। यदि, उपभोक्ता के पास आधार नंबर है, तो वो भी उपभोक्ता डाटाबेस से लिंक होना चाहिये। ऐसे उपभोक्ताओं को कैश ट्रांसफर कम्पलाइंट (सीटीसी) उपभोक्ता के रूप में नामित किया जाता है जो सब्सिडी को अपने निर्दिष्ट बैंक खाते में डालने के लिये पात्र हो जाते है।

एकाधिक कनेक्शनों का पता लगाना सुनिश्चित करने के लिये, ओएमसी ने आधार नंबर के आधार पर अपने संबंधित डाटाबेस (इंट्रा ओएमसी डी-डुप्लिकेशन) में मई 2013 में डी- डुप्लिकेशन कार्य शुरू किया। पहल के शुरू होने के बाद, ओएमसी ने आधार नंबर पर इंटर-ओएमसी डी-डुप्लिकेशन कार्य भी शुरू किया, जो मई 2014 में शुरू हुआ। बाद में, 2015 में, बैंक आईएफएससी और खाता संख्या डी-डुप्लिकेशन भी शामिल किया गया था।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि ओएमसी आधार नंबर और बैंक खाता संख्या पर इंट्रा और इंटर ओएमसी डी-डुप्लिकेशन कर रहा है, ओएमसी से लेखापरीक्षा को प्राप्त उपभोक्ता डाटाबेस में एकाधिक कनेक्शन अपेक्षित नहीं थे। तथापि, लेखापरीक्षा ने चयनित नमूना (ओएमसी के 34 *प्रतिशत* वितरकों) में एकाधिक कनेक्शनों के मामले देखे।

4.1.1 इंट्रा ओएमसी डी-डुप्लिकेशन

लेखापरीक्षा ने ओएमसी के संबंधित डाटाबेस में समान आधार नंबर और बैंक खाता संख्या वाले एकाधिक मामले देखे। यह देखा गया था कि कुछ मामलों में, एकाधिक कनेक्शनों में से एक 'सक्रिय' था जबकि अन्य कनेक्शन को 'हस्तांतरित' या 'इन-ट्रांसिट' के रूप दर्शाया गया था। इन मामलों में सब्सिडी केवल 'सक्रिय' कनेक्शन के लिये दी गई थी जबकि भविष्य में उपभेक्ताओं द्वारा ऐसी सब्सिडी का लाभ लेने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। जहां दो या अधिक एकाधिक कनेक्शन 'सक्रिय' थे, सिलेंडर का वितरण जारी रहा और इन 'सक्रिय' एकाधिक कनेक्शनों के संबंध में सब्सिडी ट्रांसफर होती रही।

(i) **समान आधार नंबर वाले एकाधिक कनेक्शन-** यह देखा गया कि एचपीसीएल में जांच किये गये नमूनों में दोहरे कनेक्शन दर्शाते हुये 700 आधार नंबर के साथ लिंक 1400 एलपीजी उपभोक्ता थे। इन दोहरे कनेक्शनों का विस्तारपूर्वक विवरण नीचे पाई चार्ट में दर्शाया गया है।

चित्र-3: एचपीसीएल में दोहरे एलपीजी कनेक्शन का विस्तारपूर्वक विवरण

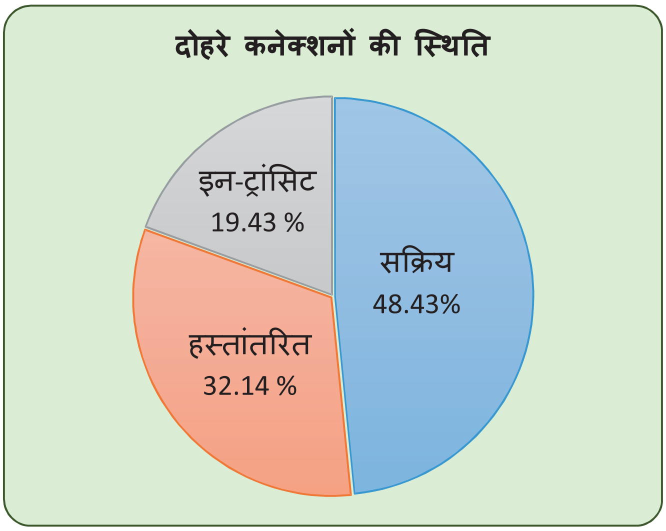

जैसा कि रेखाचित्र से देखा गया, करीब आधे दोहरे कनेक्शनों अर्थात 48.43 *प्रतिशत* की स्थिति "सक्रिय" थी, जबकि 32.14 *प्रतिशत* और 19.43 *प्रतिशत* दोहरे कनेक्शन क्रमश: 'हस्तांतरित' और 'इन-ट्रांसिट' हैं। यह सभी दोहरे कनेक्शन सब्सिडी वाले रीफिल की आपूर्ति का लाभ ले सकते हैं और इस प्रकार अनुचित लाभ मिलेगा।

बीपीसीएल में जांच किये गये नमूने समान आधार नंबर से लिंक किये गये कोई भी एकाधिक 'सक्रिय' कनेक्शन नहीं दर्शाते।

आईओसीएल द्वारा उपलब्ध कराया गया डाटा (दिसम्बर 2015/जनवरी 2016), समान आधार संख्या पर एकाधिक कनेक्शन होना दर्शाता है। तथापि, आईओसीएल ने उत्तर में (अप्रैल/मई 2016) स्पष्ट किया कि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया डाटा, डाटा वेयरहाउस (साइबेस आईक्यू) से था और इन एकाधिक कनेक्शनों को आधार संख्या फील्ड पर विशेष चिह्न लगाकर ओरेकल उत्पादन डाटा से बाहर किया गया है। आईओसीएल के तर्क की लेखापरीक्षा द्वारा पुष्टि की गई और स्वीकार्य पाया गया। इस प्रकार, समान आधार संख्या पर एकाधिक कनेक्शन आईओसीएल के उत्पादन सर्वर में नहीं देखे गये थे। तथापि यह नोट करना आवश्यक है कि जब नमूना डाटा आईओसीएल से मांगा गया था, लेखापरीक्षा को

सटीक डाटा उपलब्ध कराना चाहिये। इसके अतिरिक्त, एकाधिक डाटाबेस में समान उपभोक्ताओं के लिये अलग डाटा बनाने का तर्क लेखापरीक्षा को स्पष्ट नहीं था।

एचपीसीएल, ने अपने उत्तर में (अप्रैल/मई 2016) कहा कि चिन्हीत किए गए दोहरे कनेक्शनों के संबंध में डुप्लिकेट उपभोक्ता को हटा दिया गया और सब्सिडी का भुगतान रोक दिया गया। इसके अतिरिक्त, आधार नंबर सही करने के लिये कहा गया और गलत सीडिंग करने के लिये वितरक को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एचपीसीएल ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया और उन मामलों में जहां दोनों दोहरे कनेक्शन 'सक्रिय' थे में सुधारात्मक कार्यवाही की। इस पर जोर दिया गया कि अन्य मामलों में जहां दोहरे कनेक्शनों में से केवल एक 'सक्रिय' है और अन्य 'हस्तांतरित' या 'इन-ट्रांसिट' है; भविष्य में दोहरी सब्सिडी भुगतान की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में भविष्य में ऐसी संभावना को पहले ही रोकने के लिये विशेष सुरक्षा उपाय आवश्यक है।

(ii) समान बैंक आईएफएससी और समान बैंक खाता संख्या वाले एकाधिक कनेक्शन

आईओसीएल डाटाबेस में से चयनित नमूनों में, 43,323 एलपीजी उपभोक्ता आईडी, 21,504 बैंक आइएफएससी और बैंक खाता संख्या से लिंक किये हुये पाये गये। लेखापरीक्षा ने मामले देखे जहां दो कनेक्शनों से अधिक एक ही बैंक आईएफएससी और समान बैंक खाता संख्या जुडे थे। इसमें 12 सक्रिय एलपीजी उपभोक्ता आईडी से जुडे चार अलग-अलग बैंक खाते, दो मामले जहां बैंक खाता क्रमश: 11 और 16 'सक्रिय' एलपीजी आईडी से जुड़ा था, शामिल थे। दोहरे कनेक्शनों का विस्तारपूर्वक विवरण नीचे पाई चार्ट में दर्शाया गया है।

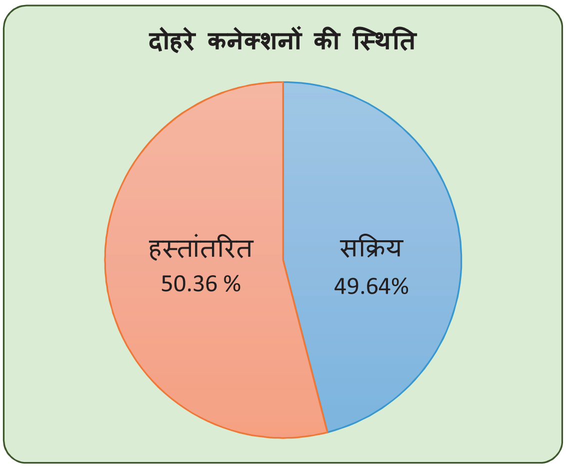

चित्र-4: दोहरे कनेक्शनों का विस्तारपूर्वक विवरण (आईओसीएल)

जैसा ग्राफ से देखा गया, 49.64 *प्रतिशत* दोहरे कनेक्शन 'सक्रिय' थे जबकि शेष 50.36 *प्रतिशत* दोहरे कनेक्शन 'हस्तांतरित' स्थिति में थे। यह सभी दोहरे कनेक्शन सब्सिडी रीफिल

की आपूर्ति का लाभ उठा सकते हैं और इस प्रकार अनुचित लाभ मिलेगा।

एचपीसीएल में चयनित नमूनों में, 14,198 एलपीजी उपभोक्ता आइडी, 6,614 बैंक आईएफएससी और खाता संख्या से जुड़े पाये गये थे। एचपीसीएल में मामले में भी लेखापरीक्षा ने दृष्टांत देखे जहां एक बैंक आईएफएससी तथा उसी बैंक खाता संख्या से दो से अधिक कनैक्शन जुड़े हुए थे। आगे संवीक्षा से पता चला कि 7,584 डूप्लीकेट कनैक्शनों में से, 7,561 कनैक्शन (99.70 *प्रतिशत)* 'सक्रिय' स्थिति में थे जबकि शेष 23 कनैक्शन ''अन्तरित/अन्तरण में'' की स्थिति में थे। ये डूप्लीकेट कनैक्शन छूट प्राप्त रिफिल की आपूर्ति प्राप्त कर सकते थे तथा इस प्रकार अनुचित लाभ ले सकते थे।

बीपीसीएल में जांच किया गया नमूना समान बैंक आईएफएससी तथा समान बैंक खाता संख्या वाले बहुविध सक्रिय एलपीजी कनैक्शन नहीं दर्शाता।

आईओसीएल ने अपने उत्तर (अप्रैल/मई 2016) में बताया कि पहल (डीबीटीएल) योजना की शुरूआत के समय बहुविध उपभोक्ताओं के लिए एक ही बैंक खाता देने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया था। यह विचार करते हुए कि उक्त प्रणाली के दुरूपयोग का जोखिम था, बाद में इन्ट्रा-तथा अन्तर-कम्पनी आधार पर बैंक खाता संख्या को एक यूनीक फील्ड के रूप में रखने के साथ डी-डूप्लीकेशन प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। डाटा विश्लेषण के पश्चात, ओएमसीज ने मई 2015 के माह में समान बैंक खाता संख्या के आधार पर चिन्हित बहुविध कनैक्शनों को बन्द करना प्रारंभ किया। वर्तमान में, बैंक की खाता संख्या तथा एलपीजी उपभोक्ता आईडी (केवल घरेलू श्रेणी के लिए) के बीच सीधा संबंध लागू किया गया है। तथापि, कुछ एनडीईसी[1] उपभोक्ता हैं, जिनके लिए क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय जांच के पश्चात समान बैंक आईएफएससी तथा खाता संख्या से बहुविध कनैक्शन जोड़ने के लिए अनुरोध का अनुमोदन करने के लिए प्राधिकृत थे।

---

[1] गैर-घरेलू छूट प्राप्त श्रेणी (एनडीईसी) उपभोक्ताओं में अस्पताल, छात्रावास, मिड-डे मील योजना हेतू आपूर्तियां, सरकारी कार्यालय कैन्टीन, पुलिस,सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के मैस, रक्षा प्रतिष्ठान, धर्माथ संस्थान इत्यादि शामिल हैं। एनडीएनई उपभोक्ता एलपीजी सिलैण्डरों पर सब्सिडी के लिए पात्र नहीं हैं।

एचपीसीएल ने उत्तर दिया (अप्रैल/मई 2016) कि ये मामले निम्नलिखित के कारण थे:

(i) बहुविध कनैक्शन वाले उपभोक्ता जिनके दोनों/दूसरे वितरकों के पास कनैक्शन थे, जिन्हें अब बन्द कर दिया गया है।

(ii) कुछ उपभोक्ता बैंक द्वारा गलत प्रविष्टियों तथा योजना कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरणों में डी-डूप्लीकेशन/प्रमाणीकरण जांच की अनुपस्थिति के कारण दो उपभोक्ताओं के प्रति दिए गए साझे बैंक खाते के साथ आधार कैश ट्रांसफर कम्पलाईन्ट उपभोक्ता थे। ऐसे उपभोक्ताओं को अब अपने बैंक खातों में सही आधार संख्या देने के लिए कहा गया है। कुछ मामलों में वितरक द्वारा अपनी प्रणाली में संशोधित बैंक विवरण देकर कार्यवाही किया जाना बताया गया है। एचपीसीएल ने आगे बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित सभी डूप्लीकेट बैंक खातों को बन्द कर दिया गया है तथा मामला दर मामला आधार पर उचित जांच के पश्चात ही सक्रिय किये जा रहे थे, क्योंकि लाभार्थियों के संयुक्त खाता स्वामी होने अथवा अलग अलग घर वाले उपभोक्ता होने के मामले में कुछ खाते वैध हो सकते थे। ऐसे उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत खाता संख्या उपलब्ध कराने की सलाह दी जा रही थी। एचपीसीएल ने 31 मई 2016 तक यह प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दिया।

ओएमसीज के उत्तर को निम्नलिखित के प्रकाश में देखा जाना हैः

- आईओसीएल का यह तर्क कि बैंक आईएफएससी तथा बैंक खाता संख्या और उपभोक्ता आईडी का सीधा संबंध सुनिश्चित किया गया है, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित बहुविध कनैक्शन जनवरी 2016 से संबंधित है, जो प्रबंधन द्वारा बताई गई बहुविधि कनेक्शनों को बंद किए जाने की तिथि अर्थात् मई 2014 से काफी समय बाद है। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा द्वारा केवल घरेलू एलपीजी उपभोक्ता डाटाबेस पर विचार किया गया है, अतः एनडीईसी उपभोक्ताओं के सम्मिलन की संभावना, जैसाकि उत्तर में बताया गया था, दूरस्थ थी।

- लेखापरीक्षा के कहने पर एचपीसीएल द्वारा की गई सुधारात्मक कार्यवाही नोट की गई है।

लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को दोहराती है कि एक बैंक आईएफएससी तथा बैंक खाता एक एलपीजी उपभोक्ता आईडी से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त, 'अन्तरित' के रूप में अभिनिहित बहुविध कनैक्शनों की भारी संख्या का समाधान करने की आवश्यकता है जहां भविष्य में सब्सिडी के भुगतान की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

(iii) समान नाम तथा पते के आधार पर डूप्लीकेट कनैक्शनों का अभिनिर्धारण

नेशनल इंफारमेटिक्स सेंटर (एनआईसी) ने बहुविध कनैक्शनों वाले परिवारों को चिन्हित करने के लिए दो मानदण्डों नामतः समान नाम समान पता (एसएनएसए) तथा अलग नाम समान पता (डीएनएसए), पर जून 2012 में डी-डूप्लीकेशन प्रक्रिया प्रारंभ की। जुलाई 2015 से, यह डी-डूप्लीकेशन नये एलपीजी कनैक्शनों के लिए ऑनलाईन तथा वास्तविक आधार पर किया जा रहा था।

नाम तथा पते के विशिष्ट मानदण्डों पर डी-डूप्लीकेशन करने के लिए, एनआईसी ने तीन ओएमसीज से डाटा प्राप्त किया तथा इसे एक संयुक्त फार्मेट में रूपान्तरित किया, इसका मानकीकरण किया तथा डी-डूप्लीकेशन प्रक्रिया करने के लिए नाम एवं पते के प्रति उपलब्ध सूचना की पर्याप्तता का निर्धारण किया। तब उपभोक्ताओं को समान नाम समान पता' (एसएनएसए) तथा 'अलग नाम समान पता' (डीएनएसए) श्रेणियों में प्रत्येक के अन्तर्गत निकट एवं दूर की एक उप-श्रेणी के साथ अलग अलग करने के लिए 'अस्पष्ट तर्क' कलन विधि का प्रयोग किया गया था। 'अपने उपभोक्ता को जानिए' (केवाईसी[1]) की आगे जांच के लिए 'संदेहास्पद सूची' के रूप में डी-डूप्लीकेशन प्रक्रिया का परिणाम आवधिक रूप से ओएमसीज को सूचित किया गया था।

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि एनआईसी द्वारा डी-डूप्लीकेशन प्रक्रिया वास्तविक समय आधार पर की गई है (जूलाई 2015 से), यह अपेक्षा की जा सकती थी कि ओएमसीज द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटाबेस में इन मानदण्डों पर (एसएनएसए तथा डीएनएसए) कोई डूप्लीकेट नहीं होगें। लेखापरीक्षा ने एसएनएसए पर वितरक डाटाबेस के 34 प्रतिशत के नमूने

[1] अपने उपभोक्ता को जानिये (केवाईसी) में पीओए-पते का प्रमाण तथा पीओआई-समर्थित दस्तावेजों के साथ पहचान का प्रमाण पर सूचना शामिल है।

की संवीक्षा की तथा समान नाम तथा समान पते के अनेक सटीक मेल (100 प्रतिशत) पाये। यह तीनों ओएमसीज में देखा गया था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका-4: ओएमसीज में एसएनएसए डूप्लीकेट के विवरण

ओएमसी का नाम	एसएनएसए के साथ उपभोक्ताओं की संख्या	कॉलम 2 में उपभोक्ताओं से जुड़े एलपीजी कनैक्शनों की संख्या
(1)	**(2)**	**(3)**
आईओसीएल	6,364	13,949
एचपीसीएल	586	1,193
बीपीसीएल	8,935	19,587
कुल	**15,885**	**34,729**

लेखापरीक्षा ने समान नाम तथा पते वाले बहुविध कनैक्शनों को चिन्हित करते समय केवल 'सक्रिय' एलपीजी उपभोक्ताओं पर विचार किया है।

ओएमसीज ने उत्तर दिया (अप्रैल/मई 2016):

- आईओसीएल ने बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची की स्पष्ट रूप से जांच करके यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एसएनएसए के रूप में कनैक्शन को चिन्हित करने के लिए अधिकतर मामलों में 'पता' फील्ड में उपलब्ध डाटा पर्याप्त नहीं था। इन उपभोक्ताओं के लिए जिनके पते पर्याप्त नहीं थे, केवाईसी पूरा करने की आवश्यकता थी जिसके पश्चात ही डी-डूप्लीकेशन परिणाम सही 'संदेहास्पद सूची' दर्शायेगें। उन्होंने आगे बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित कनैक्शनों को केन्द्रीय सर्वर से बन्द कर दिया गया है ताकि संबंधित उपभोक्ताओं से नये केवाईसीज प्राप्त किये जा सकें तथा फील्ड जांच के पश्चात ही उन्हें नियमित किया जाएगा।

- बीपीसीएल ने बताया कि लिगेसी डाटा जो वर्तमान प्रणाली में अन्तरित किया गया है, में पूरा नाम तथा पता नहीं था तथा इस सीमित डाटा के साथ, यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं था कि क्या ये बहुविध कनैक्शन थे। इन उपभोक्ताओं के लिए केवाईसी को पूरा किये जाने की आवश्यकता है और तब ही यह डी-डूप्लीकेशन प्रक्रिया कर सकता है।

- एचपीसीएल ने बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित सभी मामले ठीक किये गए है अथवा बन्द कर दिये गए हैं।

जैसा कि उत्तरों से देखा जा सकता है, ओएमसीज ने 'नाम'तथा 'पता' फील्ड में सूचना की अपर्याप्तता पर बल दिया था जिससे एनआईसी द्वारा डी-डूप्लीकेशन प्रक्रिया अधूरी रह गई थी। अतः, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि डी-डूप्लीकेशन प्रक्रिया काफी पहले जून 2012 में प्रारंभ कर दी गई थी, उपभोक्ताओं के प्रभावी डी-डूप्लीकेशन के लिए सटीक उपभोक्ता सूचना सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता डाटाबेस को सही करने की तत्काल आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर एचपीसीएल द्वारा की गई सुधारात्मक कार्यवाही को नोट किया गया है।

(iv) उपभोक्ताओं के नाम, जन्म तिथि, पंजीकृत मोबाईल नम्बर के आधार पर बहुविध कनैक्शनों का अभिनिर्धारण

एनआईसी द्वारा की गई डी-डूप्लीकेशन प्रक्रिया दो महत्त्वपूर्ण मानदण्डों नामतः उपभोक्ता के 'नाम' तथा 'पते' पर थी। ओएमसीज ने भी आधार संख्या तथा बैंक आईएफएससी तथा बैंक खाता संख्या पर इन्ट्रा तथा अन्तर ओएमसी डी-डूप्लीकेशन किया था। लेखापरीक्षा ने डाटाबेस में बहुविध कनैक्शनों की उपस्थिति की जांच करने के लिए मानदण्डों के अलग समूह पर विचार किया था। लेखापरीक्षा द्वारा विचार किये गए मानदण्ड ''समान नाम समान जन्मतिथि (डीओबी'' तथा 'समान पंजीकृत मोबाईल नम्बर' थे। मानदण्डों के इस संयोग को इस लिए चुना गया था क्योंकि यह आशा की गई थी कि इन तीन मानदण्डों का संयोग एक व्यक्ति के लिए अद्वीतीय होने की अत्यधिक संभावना थी। 34 प्रतिशत चयनित नमूने में ऐसे संयोग की जांच ने बहुविध कनैक्शनों की उपस्थिति दर्शायी जैसा नीचे तालिकाबद्ध किया गया है। लेखापरीक्षा ने विश्लेषण हेतू केवल 'सक्रिय' उपभोक्ताओं पर विचार किया है।

तालिका-5: ओएमसीज में समान नाम, डीओबी तथा मोबाईल नम्बर वाले कनैक्शनों का विस्तारपूर्वक विवरण

ओएमसी का नाम	साझे मानदण्ड वाले उपभोक्ताओं की संख्या	कालम 2 में उपभोक्ताओं के पास उपलब्ध एलपीजी कनैक्शनों की संख्या
(1)	(2)	(3)
आईओसीएल	6,322	13,163
एचपीसीएल	4,830	11,128
बीपीसीएल	19	38
कुल	**11,171**	**24,329**

ओएमसीज ने निम्नलिखित उत्तर दिया (अप्रैल/मई 2016):

(i) आईओसीएल ने बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में अधिकतर संदेहास्पद लोगों के नाम समान थे परन्तु पता अलग अलग था, इसलिए इन कनैक्शनों को एनआईसी की वर्तमान डी-डूप्लीकेशन प्रणाली में चिन्हित नहीं किया गया था। आईओसीएल ने आगे बताया कि वर्तमान डी-डूप्लीकेशन प्रक्रिया के अनुसार, एक संदेहास्पद को चिन्हित करने के लिए मोबाईल नम्बर का उपयोग नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, जन्म तिथि (डीओबी) को प्रणाली में उपयुक्त रूप से ग्रहण नहीं किया गया था क्योंकि लिगेसी डाटा को वर्तमान प्रणाली में डाटा साफ किये बिना ही अन्तरित किया गया था तथा इस प्रकार डीओबी को डी-डूप्लीकेशन के लिए फील्ड के रूप में उपयोग नहीं किया जा सका। आईओसीएल ने यह स्वीकार करते हुए कि उपरोक्त संयोग से बहुविध संदेहास्पद कनैक्शनों की पहचान की जा सकती है, आगे बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा साझा किये गए मामलों की फील्ड जांच किये जाने पर उन्होंने पाया कि:

क) कुछ मामले वास्तविक थे।

ख) कुछ मामलों में वितरक द्वारा डमी डाटा अपलोड किया गया था क्योंकि मोबाईल नम्बर तथा डीओबी अनिवार्य फील्ड थे।

ग) जहां भी बहुविध कनैक्शन थे, वहां कम्पनी ने आश्वासन दिया कि कार्यवाही की जा रही थी।

(ii) बीपीसीएल ने दर्शाया कि लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित मामलों की संख्या काफी कम थी। यह भी बताया गया था कि मोबाईल नम्बरों का एक अलग मास्टर अद्यतित किया जा रहा था तथा लिगेसी मोबाईल नम्बर अब प्रयोग में नहीं थे। बीपीसीएल ने यह भी बताया कि डाटाबेस में ग्रहण की गई डीओबी डी-डूप्लीकेशन करने के लिए विश्वसनीय नहीं थी।

(iii) एचपीसीएल ने सूचित किया कि एक वितरक के पास समान नाम और अलग अलग कनैक्शनों वाले सभी उपभोक्ताओं को बन्द कर दिया गया है तथा बहुविध कनैक्शनों की जांच के पश्चात सभी दोहरे कनैक्शनों को खत्म कर दिया जाएगा। आगे यह बताया गया था कि समान नाम वाले उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्रों से थे तथा वितरक ने उपभोक्ताओं को पंजीकृत करते समय समान जन्मतिथियां अपलोड कर दी थीं। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं द्वारा समान नम्बर से सिलैण्डर बुकिंग की गई बताई गई थी क्योंकि वे ओएमसीज के पारस्परिक भाषा प्रतिक्रिया प्रणाली (आईवीआरएस) से सुपरिचित नहीं थे। एचपीसीएल ने जन्मतिथियों, मोबाइल नम्बर में सुधार करने तथा प्रयोक्ताओं को आईवीआरएस प्रयोग में प्रशिक्षित करने का आश्वासन दिया।

ओएमसीज के उत्तरों को निम्नलिखित के प्रकाश में देखे जाने की आवश्यकता है:

(i) सभी तीनों ओएमसीज ने डाटाबेस विशेषकर एलपीजी उपभोक्ता की जन्म तिथि तथा मोबाईल नम्बर की खराब गुणवत्ता को दर्शाया है। बहुविध कनैक्शनों को निकालने के लिए डी-डूप्लीकेशन करने से पहले डाटाबेस की पूर्णता बनाए रखने की आवश्यकता है।

(ii) लेखापरीक्षा ने ओएमसीज द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटाबेस पर अपना विश्लेषण किया। यदि बीपीसीएल के पास उपभोक्ताओं के मोबाइल नम्बर के लिए अलग डाटाबेस है तो लेखापरीक्षा को गलत लेगेसी डाटा उपलब्ध कराने के स्थान पर वह उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(iii) आईओसीएल तथा एचपीसीएल के उत्तरों का तात्पर्य है कि वितरकों को कम से कम कुछ मामलों में उपभोक्ता डाटाबेस में डमी डाटा अथवा अपना डाटा भरने की अनुमति थी। अतः डाटाबेस की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपचारात्मक उपाय किये जाने की आवश्यकता है। यद्यपि, लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर एचपीसीएल द्वारा की गई सुधारात्मक कार्यवाही नोट की गई है।

4.1.2. अन्तर ओएमसी डी-डूप्लीकेशन

तीनों ओएमसीज ने अलग अलग उपभोक्ता डाटाबेस बनाया है और इसलिए ओएमसीज में बहुविध एलपीजी कनैक्शनों की जांच करने की आवश्यकता है।

(i) समान आधार संख्या वाले बहुविध कनैक्शन

34 प्रतिशत के चयनित नमूने में, लेखापरीक्षा ने देखा कि अलग अलग ओएमसीज में समान आधार संख्या वाले बहुविध कनैक्शन थे जो 'सक्रिय' थे। यह देखा गया था कि 74,180 एलपीजी उपभोक्ता आईडी 37,090 आधार संख्याओं से जोड़ी गई थी जो वहुविध कनैक्शन दर्शाता है जिसका विवरण नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका-6: ओएमसीज में समान आधार संख्या वाले कनैक्शनों का विवरण

ओएमसीज का संयोग	आधार नंबरों की संख्या	एलपीजी विशिष्ट उपभोक्ता आईडीज की संख्या
एचपीसीएल एवं आईओसीएल	13,698	27,396
आईओसीएल एवं बीपीसीएल	10,640	21,280
बीपीसीएल एवं एचपीसीएल	12,752	25,504
कुल	**37,090**	**74,180**

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि तीनों अलग अलग ओएमसीज में 69 'सक्रिय' घरेलू एलपीजी आईडी को 23 आधार संख्याओं से जोड़ा गया था (प्रत्येक ओएमसी में एक एलपीजी आईडी)।

ओएमसीज ने निम्न उत्तर दिया (अप्रैल/मई 2016):

- आईओसीएल ने बताया कि आधार संख्याओं के प्रति इन्ट्रा एवं अन्तर ओएमसी डी-डूप्लीकेशन के लिए सब्सिडी भुगतान से पहले प्रत्येक उपभोक्ता के आधार का पता लगाया गया था।
- बीपीसीएल ने बताया कि वर्तमान में आधार तथा बैंक खाता संख्याओं के लिए अन्तर ओएमसीज आनलाईन डी-डूप्लीकेशन किया जा रहा था तथा लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाये गए मामले वे थे जहां अन्तरण इस डी-डूप्लीकेशन प्रक्रिया की शुरूआत से पहले किये गए थे। कम्पनी ने यह भी सूचित किया कि बहुविध कनैक्शनों की पहचान होने पर केवल सबसे पुराना कनैक्शन रखा गया था और बाकी बन्द कर दिए गए थे।
- एचपीसीएल ने आश्वासन दिया कि लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित डूप्लीकेट उपभोक्ता कनैक्शन बन्द कर दिये गए थे तथा दूसरी ओएमसी का डूप्लीकेट कनैक्शन वापस करने के बाद ही कनैक्शन पुन: प्रारंभ किया जा रहा था।

ओएमसीज के उत्तर को (अप्रैल/मई 2016) निम्नलिखित के प्रकाश में देखा जाना है:

(i) आईओसीएल का यह तर्क कि आधार का पता लगाने से डूप्लीकेट की पहचान हो जाएगी, तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि लुकअप तालिका आईओसीएल के संबंध में है तथा सभी ओएमसीज में डूप्लीकेट की पहचान नहीं कर सकती। यह अलग अलग ओएमसीज में बहुविध घरेलू 'सक्रिय' कनैक्शनों की उपस्थिति से सामने आया था, जैसा लेखापरीक्षा द्वारा सूचित किया गया है।

(ii) बीपीसीएल का यह उत्तर कि लेखापरीक्षा द्वारा सूचित मामले अन्तर ओएमसी डी-डूप्लीकेशन प्रक्रिया से पहले की अवधि से संबंधित है, सही नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा विचारित डाटाबेस 31 अक्तूबर 2015 से संबंधित है जबकि अन्तर-ओएमसी डी-डूप्लीकेशन मई 2014 में प्रारंभ हुआ था।

(iii) लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर एचपीसीएल द्वारा की गई सुधारात्मक कार्यवाही नोट की गई है।

(iv) यह देखना भी महत्त्वपूर्ण है कि जहां डूप्लीकेट आधार संख्याओं (सभी ओएमसीज में) की पहचान के लिए ओएमसीज द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई वेब सेवा भावी

उपभोक्ताओं के लिए एक नियंत्रण के रूप में कार्य करेगी, वहीं यह ओएमसीज के वर्तमान डाटाबेस में डूप्लीकेट का पता नहीं लगाएगी जिसके लिए ऐसे डूप्लीकेट को निकालने के लिए विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

(ii) समान बैंक आईएफएससी तथा बैंक खाता संख्या वाले बहुविध कनैक्शन

लेखापरीक्षा ने ओएमसीज में समान बैंक खाते वाले बहुविध कनैक्शन के उदाहरण देखें। चयनित नमूने में, 8,847 बैंक आईएफएससी तथा बैंक खाता नम्बरों के प्रति 17,694 'सक्रिय' एलपीजी उपभोक्ता आईडी देखी गई थी जो बहुविध कनैक्शनों को दर्शाता है। विवरण नीचे तालिका बद्ध किये गए हैं:

तालिका-7: सभी ओएमसीज में समान बैंक आईएफएससी तथा खाता संख्या वाले बहुविध कनैक्शनों का विवरण

ओएमसीज का संयोग	बैंक खाताओं की संख्या	एलपीजी विशिष्ट उपभोक्ता आईडी की संख्या
एचपीसीएल एवं आईओसीएल	3,471	6,942
आईओसीएल एवं बीपीसीएल	3,010	6,020
बीपीसीएल एवं एचपीसीएल	2,366	4,732
कुल	**8,847**	**17,694**

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि 21 विशिष्ट एलपीजी आईडीज जो सक्रिय थे, को 3 ओएमसीज में 7 बैंक आईएफएससी तथा खाता संख्याओं के साथ जोड़ा गया था।

आईओसीएल ने बताया (अप्रैल/मई 2016) कि उन्होंने लेखापरीक्षा द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा पर ऑनलाइन डी-डूप्लीकेशन किया था जिसमें 5,710 अभिलेख अभी भी दोहरे पाए गए थे। इन बैंक खातों को खत्म कर दिया गया था तथा कनैक्शन बन्द किये गए हैं।

बीपीसीएल ने बताया (अप्रैल 2016) कि वर्तमान में अन्तर-ओएमसी बहुविध कनैक्शन चिन्हित किये जा रहे थे तथा कार्यवाही प्रारंभ की गई थी तथा लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाये गए दृष्टॉत अन्तर-ओएमसी डी-डूप्लीकेशन प्रक्रिया से पहले की अवधि से संबंधित हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर आईओसीएल द्वारा की गई सुधारात्मक कार्यवाही नोट की गई है। यद्यपि, बीपीसीएल का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने मई 2014 में अन्तर ओएमसी डी-डूप्लीकेशन प्रक्रिया की शुरूआत के पश्चात 30 अक्तूबर 2015 से संबंधित डाटाबेस में सभी ओएमसी में डूप्लीकेट बैंक आईएफएसी तथा खाता संख्या चिन्हित किये थे। इसी बीच, एचपीसीएल ने विशिष्ट रूप से इस मुद्दे का उत्तर नहीं दिया था (मई 2016)।

4.2 चिन्हित किये गए बहुविध कनैक्शनों पर ओएमसीज द्वारा की गई कार्यवाही की स्थिति

एनआईसी द्वारा 'नाम एवं पता' के आधार पर तथा ओएमसीज द्वारा 'आधार संख्या तथा बैंक आईएफएससी एवं बैंक खाता संख्याओं के आधार पर की गई डी-डूप्लीकेशन प्रक्रिया के माध्यम से वहुविध एलपीजी कनैक्शनों की पहचान की गई थी। एनआईसी ने प्राप्त हुई वहुविध कनैक्शनों की संदेहास्पद सूची की जांच पहले ओएमसीज द्वारा पहचान तथा पते के प्रमाण के साथ केवाईसी प्रक्रियाओं के भाग के रूप में इन उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के प्रति की गई थी। यदि कनैक्शन बहुविध प्रमाणित हुए थे तो पहला कनैक्शन रखा गया था तथा उपभोक्ता द्वारा बाद में लिए गए सभी कनैक्शन बन्द कर दिए गए थे। बन्द किये गए कनैक्शनों पर किसी सिलैण्डर की आपूर्ति नहीं की गई थी तथा सब्सिडी का अन्तरण नहीं किया गया था। यद्यपि, ऐसे बन्द किये गए कनैक्शनों को बाद में उपभोक्ता द्वारा यह प्रमाणित करने के लिए कि बन्द किया गया कनैक्शन अद्वितीय था, प्रस्तुत किये गये संशोधित/सही किये गए केवाईसी के आधार पर खोला जा सकता था। यदि ओएमसीज द्वारा स्वयं ही बहुविध कनैक्शनों की पहचान की गई थी, तो केवाईसी प्रक्रिया के भाग के रूप में उपलब्ध सूचना की जांच की प्रतीक्षा किये बिना ही डूप्लीकेट कनैक्शनों को तुरन्त बन्द कर दिया गया था।

जून 2012 से 30 अक्तूबर 2015 तक डी-डूप्लीकेशन प्रक्रिया प्रारंभ होने से चिन्हित किये गए, बन्द किये गए, नियमित किये गए तथा समाप्त किये गए बहुविध कनैक्शनों की ओएमसी-वार स्थिति नीचे दी गई हैः

तालिका-8: सभी ओएमसीज में जून 2012 से 30 अक्तूबर 2015 तक चिन्हित किये गए, बन्द किये गए, नियमित किये गए तथा समाप्त किये गए बहुविध कनैक्शन

(अंकों में)

ओएमसी का नाम	चिन्हित किये गए संदेहास्पद बहुविध कनैक्शनों की सं.	बन्द किये गए कनैक्शनों की सं.	केवाईसी के प्रस्तुतिकरण के पश्चात नियमित किये गए कनैक्शनों की सं.	समाप्त किये गए कनैक्शनों की सं.
आईओसीएल	2,67,06,353	64,40,445	77,21,680	2,02,869
एचपीसीएल	69,86,654	18,73,936	46,26,931	41,485
बीपीसीएल	1,10,67,453	15,10,351	77,12,503	5,712
कुल	**4,47,60,460**	**98,24,732**	**2,00,61,114**	**2,50,066**

उपरोक्त तालिका का विश्लेषण निम्नलिखित दर्शाता है:

- जहां ओएमसीज द्वारा जून 2012 से 30 अक्तूबर 2015 तक 4.48 करोड़ बहुविध कनैक्शन चिन्हित किये गए थे, वहीं केवल 0.98 करोड़ कनैक्शन बन्द रहने के साथ 2.01 करोड़ कनैक्शनों को उपभोक्ताओं द्वारा केवाईसी प्रपत्रों के प्रस्तुतिकरण के पश्चात नियमित किया गया है। कनैक्शनों की कुछ सीमित संख्या अर्थात केवल 2.50 लाख (अक्तूबर 2015 तक) वास्तव में इस कारण से समाप्त की गई थी। अधिकतर कनैक्शन जिन्हें संदेहास्पद बहुविध कनैक्शन होने के कारण बन्द किया गया था, को इस प्रकार बाद में चालू कर दिया गया था।

- एक कनैक्शन को संदेहास्पद बहुविध कनैक्शन होने से अलग कारणों से बन्द किया जा सकता था। तथापि, संदेहास्पद 4.48 करोड़ बहुविध कनैक्शन होने के कारण बन्द किये गए, नियमित किये गए तथा समाप्त किये गए कनैक्शनों की कुल संख्या केवल 3.01 करोड़ (30 अक्तूबर 2015 तक) थी जो दर्शाता है कि 1.47 करोड़ कनैक्शनों के सम्बन्ध में, बन्द करना, नियमित करना अथवा समाप्त करना नहीं किया गया था।

ओएमसीज ने अपने उत्तर (अप्रैल/मई 2016) में पुष्टि की कि सभी संदेहास्पद बहुविध कनैक्शनों को बन्द नहीं किया गया था। बीपीसीएल तथा आईओसीएल ने दर्शाया कि ओएमसीज द्वारा 'अलग नाम समान पता' (डीएनएसए) श्रेणी के उपभोक्ताओं को बन्द नहीं किया गया था। आईओसीएल ने यह भी बताया कि अपनी संशोधित प्रक्रिया में सभी निष्क्रिय कनैक्शनों को 'बहुविध कनैक्शनों के कारण बन्द करना' की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।

ओएमसीज के उत्तर के अनुसार एनआईसी द्वारा चिन्हित संदेहास्पद बहुविध कनैक्शनों की डीएनएसए श्रेणी को बन्द नहीं किया गया था। इस प्रकार, चिन्हित किये गए इन डीएनएसए कनैक्शनों के जांच के लिए ओएमसी द्वारा सुधार उपाय नहीं किया गया था। सभी निष्क्रिय कनैक्शनों को बहुविध कनैक्शनों के कारण बन्द किये गए मान लेने की पद्धति, जैसा आईओसीएल द्वारा दर्शाया गया था, चिन्हित किये गए बहुविध कनैक्शनों पर ओएमसीज द्वारा की गई कार्यवाही का गलत परिदृश्य प्रस्तुत करेगी।

4.3 कनेक्शन के ब्लाकिंग और अन-ब्लॉकिंग की प्रक्रिया

लेखापरीक्षा ने 34 *प्रतिशत* चयनित नमूनों में एलपीजी कनेक्शन की ब्लाकिंग और बाद की अन-ब्लाकिंग की प्रक्रिया का आकलन किया। यह पाया गया कि यद्यपि अधिकांश ब्लाक्ड कनेक्शन अंततः अन-ब्लॉक्ड कर दिए गए थे, कनेक्शन ब्लाकिंग और अन-ब्लाकिंग के कारण और ब्लाकिंग और अन-ब्लाकिंग की तिथियों का पर्याप्त विवरण दर्ज नहीं था।

- आईओसीएल में, 57.95 लाख कनेक्शन ब्लॉक किये गये थे, जिसमें से 30.81 लाख (53.16 *प्रतिशत*) को बाद में अन-ब्लॉक कर दिया गया था। 24.04 लाख मामलों (41.48 *प्रतिशत*) में ब्लाकिंग की तिथि रिकॉर्ड नहीं की गई थी और अन्य 6.71 लाख मामलों (11.58 *प्रतिशत*) में अवैध तिथि (01/02/1900) रिकॉर्ड की गई थी। 9.62 लाख अन-ब्लॉक कनैक्शन (31.22 *प्रतिशत*) में अन-ब्लॉक की गलत तिथि 01/02/1900 बताई गई थी। इसके अलावा यह पाया गया कि 30.81 लाख मामलों में अन-ब्लॉक करने के कारण रिकॉर्ड नहीं किये गये थे।

- एचपीसीएल में, 1.09 करोड़ कनैक्शन ब्लॉक किये गये थे जिसमें से 67.07 लाख (61.53 *प्रतिशत*) बाद में अन-ब्लॉक कर दिये गये थे। ब्लॉकिंग की तिथि 68.14 लाख

मामलों (62.51 *प्रतिशत*) में निर्दिष्ट नहीं थी; जबकि अन-ब्लॉक करने की तिथि 320 मामलों में अवैध थी। ब्लॉक किये गये 74.19 लाख मामलों (68.06 *प्रतिशत*) में ब्लॉकिंग के लिए कारण नहीं दर्शाये गये थे जबकि 19.37 लाख अन-ब्लॉक कनैक्शन (28.88 *प्रतिशत*) में अन-ब्लॉक का कारण 'अन्य' दर्शाया गया।

- बीपीसीएल में, 47.14 लाख कनैक्शन ब्लॉक किये गये थे जिनमें से 31.06 लाख कनैक्शन (65.88 *प्रतिशत*) को बाद में अन-ब्लॉक कर दिया गया था। 4.93 लाख कनैक्शन (10 *प्रतिशत*) के मामले में ब्लाकिंग की तिथि निर्दिष्ट नहीं थी जबकि इनमें 0.67 लाख मामलों में ब्लाकिंग की तिथि और कारण नहीं बताये गये थे। 17.15 लाख ब्लॉक्ड कनैक्शन (36 *प्रतिशत*) के मामलों में ब्लॉकिंग का कारण 'अन्य' दर्शाया गया था।

चयनित एक *प्रतिशत* वितरक (165 वितरक) में ब्लॉकिंग और अन-ब्लॉकिंग प्रक्रिया की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा ने दर्शाया कि:

- 27 मामलों में, डुप्लीकेट कनैक्शन को बंद किया जाना दर्शाते हुए अन्य ओएमसी के निरस्तीकरण वाऊचर के आधार पर कनैक्शन अन-ब्लॉक किये गये थे। ऐसे मामलों में, यद्यपि समाप्त किये गये कनैक्शन का स्थाई अग्रिम वसूल किया गया था, बहुविध कनैक्शन के कारण प्राप्त अतिरिक्त सब्सिडी वसूल नहीं की गई थी। इसको ध्यान में रखते हुए कि किसी उपभोक्ता द्वारा उपयोग किये गये सब्सिडी प्राप्त सिलेंडर की संख्या निरस्तीकरण वाऊचर पर दर्शाई गई, यह चालू एलपीजी कनैक्शन के प्रति समायोजित की जानी चाहिए थी।

निम्नलिखित आधार पर लेखापरीक्षा को ओएमसी ने उत्तर दिया(अप्रैल/मई 2016):

(i) आईओसीएल ने कहा कि ब्लॉकिंग और अन-ब्लॉकिंग की वास्तविक तिथि विश्लेषण हेतु लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई तालिका (MST_CONSUMER) के स्थान पर अलग तालिका (TBL_ADMIN_ACTION) से प्राप्त की गई थी। यह भी कहा गया कि केंद्रीयकृत इंडोसॉफ्ट सिस्टम पुराने डाटा से भरा हुआ था और 'नये' ब्लाकिंग और अन-ब्लॉकिंग से संबंधित डाटा की जांच की गई और वह ठीक पाया गया था।

(ii) एचपीसीएल ने कहा कि विभिन्न स्रोतों जैसे वितरक स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से, वैब एप्लीकेशन और थोक उपभोक्ता की सेंट्रल ब्लॉकिंग द्वारा सेल अधिकारियों द्वारा ब्लाकिंग कर सिस्टम में कनैक्शन की ब्लॉकिंग और अन-ब्लॉकिंग की गई है। ब्लॉकिंग और अन-ब्लॉकिंग की तिथि एक सिस्टम स्टंप तिथि थी और सिस्टम में स्वचालित रूप से प्राप्त की गई थी। यह भी आश्वासन दिया गया था कि आवश्यक केवाईसी दस्तावेज प्राप्त करने के बाद और डुप्लीकेट कनैक्शन की वापसी, यदि कोई है, के बाद ही वितरकों द्वारा उपभोक्ता को अन-ब्लॉक किया गया था।

(iii) बीपीसीएल ने कहा कि 2013 से पहले, डाटा विकेंद्रीकृत वितरक सर्वर में अनुरक्षित किया गया था और इन मामलों के लिए सिस्टम में ब्लॉकिंग की तिथि रिकॉर्ड न किये जाने की संभावना थी। केंद्रीकृत सर्वर को स्थानांतरण के बाद, सिस्टम लॉग ब्लॉकिंग और अन-ब्लॉकिंग तिथियाँ प्राप्त करने के लिए अनुरक्षित किये गये थे। यह भी कहा गया कि स्थानांतरण के बाद, ब्लॉकिंग के लिए कारण अधिकतम स्तर तक अनुरक्षित किये गये थे, और अनुमानत: संगत नहीं पाये गये, कोड 'अन्य' के अंतर्गत रखे गये थे।

(iv) ओएमसी ने अभिस्वीकृति दी कि वर्तमान में बहुल कनैक्शन द्वारा किसी उपभोक्ता द्वारा प्राप्त सब्सिडी उपभोग किये गये रिफिल के समायोजन हेतु कोई प्रणाली नहीं है। यद्यपि, वापसी के समय पर बहुत कनैक्शन को जोड़ने के लिए लेखापरीक्षा का परामर्श माना गया था और बाद की प्रक्रिया में जोड़ा जाएगा।

ओएमसी के उत्तर निम्नलिखित के संदर्भ में समझने की आवश्यकता है:

(i) ब्लाकिंग और अन-ब्लॉकिंग की तिथियों हेतु विभिन्न प्रविष्टियों के साथ डाटाबेस के विभिन्न सेट के अस्तित्व के संबंध में आईओसीएल का तर्क जोखिम पूर्ण है। विशिष्ट क्षेत्रीय डाटा के रूप में 'तिथि' सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से एकल बिंदु पर प्राप्त की जानी चाहिए और सभी प्रासंगिक तालिकाओं में भरी जाएगी। यह अस्पष्ट है कि विभिन्न तालिकाओं में एक ही क्षेत्र के लिए भिन्न-भिन्न मूल्य क्यों हैं और इसकी उचित रूप से जांच करने की आवश्यकता है।

(ii) ब्लॉकिंग और अन-ब्लॉकिंग तिथियों को स्वत: प्राप्त किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए एचपीसीएल द्वारा उठाये गये कदमों की सराहना करते हुए, आवश्यक विवरण रहित लेखापरीक्षा द्वारा पाये गये कई मामलों की संख्या के मद्देनजर ब्लॉकिंग और अन-ब्लॉकिंग कनैक्शन के संबंध में सटीक और पारदर्शी अभिलेख रखने के लिए आगे कार्रवाई अपेक्षित है।

(iii) यद्यपि वीपीसीएल द्वारा बताये गये पुराने डाटा की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, विशेषत: यह ध्यान रखते हुए कि केंद्रीकृत सिस्टम में स्थानांतरण 2013 में किया गया था। इसको ध्यान में रखते हुए 34 *प्रतिशत* जांच किये गये नमूनों में लगभग 17.15 लाख उपभोक्ताओं को ब्लॉक करने के कारण को 'अन्य' के रूप में रिकॉर्ड किया गया था, डाटाबेस में पारदर्शिता बनाये रखने के लिए ब्लॉकिंग और बाद में अन-ब्लॉकिंग के सटीक कारण बताये जाने और अनुवर्ती कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

किसी कनैक्शन के निरस्तीकरण के दौरान बहुल कनैक्शन के द्वारा किसी उपभोक्ता द्वारा उपभोग किये गये सब्सिडी वाले रिफिल के प्रस्तावित समायोजन के संबंध में ओएमसीज का आश्वासन नोट किया गया है।

4.4 उपभोक्ता डाटाबेस की समग्रता

झूठे और दोहरे कनैक्शनों को छांटने के लिए उपभोक्ता डाटाबेस की समग्रता सुनिश्चित करना आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने डाटाबेस में अवैध प्रविष्टियां पाई जो खराब प्रविष्टि नियंत्रण को दर्शाती हैं और इसलिए, यह उपभोक्ता डाटाबेस की प्रामाणिकता और समग्रता से समझौता है।

4.4.1 उपभोक्ताओं की जन्म तिथि का रिकार्ड न रखना/गलत रिकॉर्ड रखना

एलपीजी कंट्रोल आर्डर यह दर्शाता है कि एलपीजी कनैक्शन केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले उपभोक्ता को ही उपलब्ध कराया जाये। अत:, इस एलपीजी उपभोक्ता डाटाबेस में उपभोक्ता की सही जन्म तिथि लिखना महत्वपूर्ण है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 9.94 करोड़ उपभोक्ताओं के कुल नमूने में से, 3.40 करोड़ घरेलू उपभोक्ता (आईओसीएल में 0.30 करोड़, एचपीसीएल में 1.09 करोड़ और बीपीसीएल में 2.01 करोड़) के संबंध में जन्म तिथि नहीं लिखी गई थी। अन्य 55,407 एलपीजी उपभोक्ता अव्यस्क (आईओसीएल में 48,405; एचपीसीएल में 7,001 और बीपीसीएल में एक) पाये गये थे। इसके अतिरिक्त, 73.50 लाख (आईओसीएल में 73.43 लाख, एचपीसीएल में 0.06 लाख और बीपीसीएल में 0.01 लाख) उपभोक्ताओं की जन्म तिथि जनवरी और दिसम्बर 1900 के बीच की थी जो कि संभव नहीं है। दूसरे 2100 उपभोक्ताओं (1,047 आईओसीएल में, एचपीसीएल में 1,053) की जन्म तिथि भविष्य की दर्शाई गई थी जो स्पष्टत: गलत थी।

अपने उत्तर में आईओसीएल (अप्रैल/मई 2016) ने कहा कि जन्म तिथि सिस्टम में उचित नहीं थी क्योंकि पूराना डाटा बिना डाटा परिमार्जन के मौजूदा सिस्टम में स्थानांतरित किया गया था। बीपीसीएल द्वारा इसे पुन: दोहराया गया। एचपीसीएल (अप्रैल/मई 2016) ने कहा कि उनका डाटाबेस बहुत पुराना था और समय-समय पर उसे स्थानांतरित किया गया है तथा इसलिए सभी मामलों में सही जन्म-तिथि अनुरक्षित नहीं की गई थी। सभी ओएमसी ने आश्वासन दिया कि इसके सुधार के लिए कदम उठाये जा रहे थे। इसके अतिरिक्त ओएमसी ने कहा कि:

- आईओसीएल ने जन्म तिथि के लिए वैध प्रविष्टियां लिखने में त्रुटियां स्वीकार की और स्वीकार किया कि आयु वैधता तर्क चयनित न्यूनतम तिथि जांच नहीं कर रहा था। इसके अतिरिक्त, आईओसीएल ने कहा कि सिस्टम प्रतिबंध भी आरंभ किया जाएगा ताकि 1899 से पहले का जन्म वर्ष या अवैध डीओबी की प्रविष्टि न की जा सके। उत्तर में आश्वासन दिया गया कि अव्यस्क के कनैक्शन हेतु भी कार्य योजना बनाई गई थी। क्षेत्रीय कर्मियों को इस बारे में सचेत किया जाएगा और अव्यस्क को कनैक्शन जारी न करने के लिए संबंधित वितरकों को सलाह दी जाएगी। लेखापरीक्षा द्वारा दी गई सूची सत्यापन हेतु साझा की जाएगी और यदि अव्यस्क को कनैक्शन जारी किये पाये गये तो गलत वितरकों पर कार्रवाई की जाएगी और इन्हे बाद में ब्लॉक किया जाएगा। यह भी सूचना दी गई कि सिस्टम नियंत्रण यह सुनिश्चित करने के लिए आरंभ किया गया कि एलपीजी कनैक्शन अव्यस्क को जारी नहीं किये गये

थे। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सर्वर और ग्राहक डाटाबेस में अपने उपभोक्ता मास्टर में वैध जन्म तिथि और पिन कोड दोनों की वैधता हेतु मापदंड और अद्यतन करने हेतु उपाय में अब आरंभ किये जा रहे हैं, जिनका एक उदाहरण "तिथि सत्यापन लौजिक" है।

- बीपीसीएल ने सूचित किया कि हाल ही में डीओबी फिल्ड क्षेत्र को अनिवार्य बना दिया गया है और सभी नये दिये गये कनैक्शन में यह फिल्ड सही से भरा गया था। सिस्टम नियंत्रण यह सुनिश्चित करने के लिए आरंभ किया गया है कि आवेदक एक व्यस्क है। अव्यस्क को जारी किया गया कनैक्शन निरस्त कर दिया गया है और विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एमडीजी) के अनुसार वितरक के विरूद्ध कार्रवाई आरंभ की गई है।
- एचपीसीएल (मई 2016) ने कहा कि वितरकों को दस्तावेज सत्यापन के बाद सिस्टम में जन्म तिथि को सही करने का परामर्श दिया है।

ओएमसीज ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया और सुधारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया और इस संबंध में उनके द्वारा उठाये गये विशिष्ट कदम नोट किए जाते हैं।

4.4.2. पते में पिन-कोड का गलत लिखा जाना

लेखापरीक्षा ने पाया कि 83.34 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता (83.22 लाख आईओसीएल में, एचपीसीएल में 2,969 और बीपीसीएल में 8,904) ने वह पता दिया है जिसमें सेना पिन कोड है। अन्य 80.25 लाख मामलों में (एचपीसीएल में 2.20 लाख और बीपीसीएल में 78.05 लाख), पिन कोड लिये ही नहीं गये और अन्य 3.39 लाख मामलों में (आईओसीएल में 45,332, एचपीसीएल में 275 और बीपीसीएल में 2.93 लाख), छः अंकों से कम के पिन कोड लिखे गये थे।

उत्तर में आईओसीएल (अप्रैल/मई 2016) ने कहा कि इन असामान्यताओं को शुरू होने से पहले ही रोकने के लिए भावी नये कनैक्शन के लिए प्रणाली नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा। बीपीसीएल ने आश्वासन दिया (अप्रैल 2016) कि प्रणाली नियंत्रण में पिन कोड के रूप में केवल छः अंकों को ही स्वीकृत करना सुनिश्चित किया गया है और यह भी कि डाटा

जनगणना 2011 से प्राप्त किया है जिसे जिला-वार पिन कोड की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम में डाला जाएगा। एचपीसीएल ने कहा (अप्रैल 2016) कि उनका एलपीजी उपभोक्ता डाटाबेस बहुत पुराना था और समय-समय पर उसे स्थानांतरित किया गया है और इसलिए पिन-कोड अनुपलब्ध या गलत अनुरक्षित किये गये थे। एचपीसीएल ने आश्वासन दिया कि वे परिष्कृत विशेषताओं और नियंत्रण वाले केंद्रीकृत डाटाबेस जो आगामी समय में उत्तोतर त्रुटियों को खत्म कर देगा; में मौजूदा सॉफ्टवेयर में सुधार करने में प्रक्रियारत है। एचपीसीएल (मई 2016) ने आगे कहा कि वितरकों ने अब दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही सिस्टम में सही पिन-कोड अपलोड किया है।

ओएमसी ने आपत्ति को स्वीकार किया और लेखापरीक्षा दृष्टांत पर सुधारात्मक कार्रवाई आरंभ की जिसे नोट किया जाता है।

4.4.3. उपभोक्ता डाटाबेस में आधार संख्या का गलत लिखा जाना

आधार संख्या विशिष्ट रूप से किसी व्यक्ति विशेष की पहचान करता है। इस डाटा की सटीक रिकॉर्डिंग उपभोक्ता डाटाबेस की विशिष्टता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। आधार संख्या में आवश्यक रूप से 12 अंक होने चाहिए और यह कभी भी '0' या '1' से आरंभ नहीं होता। लेखापरीक्षा ने की गई नमूना जांच में आधार संख्या गलत लिखे जाने की घटनाएं पाई जो नीचे दर्शाई गई है:

- आईओसीएल के 188 एलपीजी उपभोक्ताओं, बीपीसीएल के 258 एलपीजी उपभोक्ताओं और एचपीसीएल के 252 एलपीजी उपभोक्ताओं के संबंध में '1' से आरंभ होने वाली आधार संख्या सिस्टम में लिखी पाई गई। इसके अतिरिक्त बीपीसीएल के 62 उपभोक्ता '0' से आरंभ होने वाली आधार संख्या से जुड़े पाये गये थे।

- आईओसीएल और एचपीसीएल द्वारा प्रयुक्त किये जा रहे सिस्टम ने विनिर्दिष्ट 12 अंकों से कम वाली आधार संख्या को लिखने की अनुमति दी। आईओसीएल में 42 और एचपीसीएल में 14 ऐसे मामले पाये।

- एचपीसीएल में 19,538 सक्रिय एलपीजी घरेलू उपभोक्ताओं के संबंध में आधार संख्या रिकॉर्ड नहीं की गई थी, यद्यपि डाटाबेस में ये उपभोक्ता एसीटीसी उपभोक्ता के रूप में दर्शाये गये थे।

- इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में वितरकों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा करते समय गलत लिखी गई आधार संख्या प्राप्त की गई। (अध्याय 6, पैरा 6.1 में विवरण दिया गया है)।

आईओसीएल ने अपने उत्तर में (अप्रैल/मई 2016) यह बताते हुए कि त्रुटियां मामूली थीं (8 करोड़ प्रविष्टियों में केवल 45 प्रतिष्टियां पाई गई) स्वीकार किया कि '1' से आरंभ होने वाली आधार संख्या की प्रविष्टि को रोकने के लिए कोई रोक नहीं लगाई गई थी। यह आश्वासन दिया गया कि इन उपभोक्ता विशिष्ट आईडी को रोकने के लिए कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है और ऐसी अवैध प्रविष्टियां को रोकने के लिए सिस्टम नियंत्रण अब क्रियान्वित कर दिया गया है।

बीपीसीएल ने कहा (अप्रैल 2016) कि डाली गई गलत आधार संख्या को ठीक करने के लिए पहले ही कार्रवाई कर दी गई है और इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम नियंत्रण है कि आधार संख्या की लंबाई 12 तक सीमित की गई है।

एचपीसीएल ने कहा (मई 2016) कि आधार नकद स्थानांतरण अनुवर्तन (एसीटीसी) उपभोक्ता के प्रति आधार संख्या की अनुपलब्धता की घटना कई मामलों में पाई गई थी। जहां आधार संख्या स्थानांतरण वाऊचर तैयार करने से पहले सिस्टम से हटा दी गई थी एचपीसीएल ने आश्वासन दिया कि ऐसा कार्य अब रोक दिया गया है और अमान्य और गलत प्रविष्टियों के मामले में, वितरक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अपने सिस्टम में सही आधार संख्या पुन: भरने के द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई कर रहे थे।

ओएमसीज ने लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर सुधारात्मक कार्रवाई आरंभ की। यद्यपि यह पुन: दोहराया गया कि केवल 34 *प्रतिशत* वितरकों से संबंधित लेखापरीक्षा के परिणामों की संवीक्षा की गई और इसलिए ओएमसी को संपूर्ण डाटाबेस का सत्यापन करने और सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ओएमसी को उपभोक्ता डाटाबेस में सटीक आधार संख्या को ही भरा जाना सुनिश्चित करने की आवश्यकता है क्योंकि यह योजना के सहज क्रियान्वयन के लिए प्रमुख प्रविष्टि है।

4.4.4. उपभोक्ता डाटाबेस में एलपीजी आईडी के साथ उपलब्ध आधार संख्या को न जोड़ना

165 वितरकों के चयनित नमूने की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 104 मामलों में, उपभोक्ताओं की आधार संख्या उपलब्ध होने के बावजूद वितरक द्वारा प्रासंगिक एलपीजी आईडी लिंक नहीं की गई थी।

आईओसीएल और बीपीसीएल ने उत्तर (अप्रैल/मई 2016) में कहा कि जनवरी 2015 से पहल (डीबीटीएल) योजना के आरंभ के साथ ही, पार्किंग अवधि के समाप्त होने से पहले अपेक्षित सीटीसी लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी प्रयास किये गये थे ताकि इच्छुक उपभोक्ताओं की सब्सिडी समाप्त न हो जाये। नकद स्थानांतरण अनुवर्तन हेतु एटीसी उपभोक्ताओं के पात्र होने के लिए एलपीजी डाटाबेस और उपभोक्ता बैंक दोनों में आधार संख्या भरा जाना आवश्यक था और ओएमसीज/वितरकों/उपभोक्ताओं ने बैंक में आधार संख्या भरे जाने से संबंधित कई समस्याओं का सामना किया; आधार भरे गये उपभोक्ताओं और नकद स्थानांतरण अनुवर्ति उपभोक्ताओं के बीच 10-15 *प्रतिशत* अंतराल होने के परिणामस्वरूप इन उपभोक्ताओं को बैंक में आधार संख्या जोड़ने में समस्याएं आने की संभावना थी। ओएमसीज ने सूचित किया कि मामला पट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के समक्ष रखा गया है और ओएमसीज को उपभोक्ता असुविधाओं को कम करने के लिए बैंक खातों से आधार जोड़ने में उपभोक्ताओं द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के संबंध में बैंक खाते को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की। ओएमसीज ने भी कहा कि नवम्बर 2015 के बाद, सभी वितरकों को एलपीजी डेटाबेस में आधार संख्या भरने का प्रबल परामर्श दिया गया और परिणामस्वरूप मार्च 2016 तक एलपीजी डेटाबेस में आधार संख्या भरने में सुधार हुआ।

संबंधित बैंक खातों से आधार संख्या जोड़ने में ओएमसी और उपभोक्ताओं द्वारा प्रकाश में लाई गई समस्याओं का संज्ञान लिया गया है। यद्यपि, उपभोक्ता डाटाबेस और बैंक खातों को साथ-साथ आधार संख्या से जोड़ना डाटाबेस की विशिष्टता सुनिश्चित करने का अधिक सुरक्षित तरीका है और इसलिए घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी डाटाबेस में एटीसी उपभोक्ताओं की अधिकतम कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए सर्वांगीण आवश्यक हैं।

लेखापरीक्षा ओएमसीज के आश्वासन को ध्यान में रखता है कि आधार सीडिंग की अधिकतम प्रतिशतता के लिए प्रयास अब भी जारी था।

एचपीसीएल के उत्तर में (मई 2016) इस मामले का प्रत्युत्तर शामिल नहीं है।

4.4.5. उपभोक्ता डाटाबेस में आईएफएससी की गलत सीडिंग

उपभोक्ता बैंक के भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी) उपभोक्ता को एलपीजी सब्सिडी के सीधे स्थानांतरण को प्रभावित करने वाली आवश्यक सूचना है। इनमें बैंक नाम दर्शाने वाले पहले चार अक्षरात्मक संकेताक्षर, पांचवा '0' और अंतिम छः अक्षर बैंक शाखा दशाते हुए कुल ग्यारह अक्षर होते हैं। लेखापरीक्षा ने की गई नमूना जांच में बैंक आईएफएससी को गलत भरे जाने के निम्नलिखित मामले पाये।

- आईओसीएल के 17,852 एलपीजी घरेलू उपभोक्ताओं और बीपीसीएल के 3,714 एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए, बैंक आईएफएससी के रूप में ग्यारह अंकों से कम, गैर-अक्षरात्मक अंक रिकॉर्ड किये गये।
- आईओसीएल के 12,762 और एचपीसीएल के 4,725 अन्य एलपीजी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, बैंक आईएफएससी में बैंक का नाम दर्शाने वाले पहले चार अक्षरात्मक संकेताक्षर नहीं थे। इनमें से, 253 उपभोक्ताओं के मामले में, बैंक आईएफएससी में छः संख्यात्मक संकेताक्षर थे जबकि अन्य 4,472 उपभोक्ताओं के संबंध में आईएफएससी में केवल नौ संख्यात्मक संकेताक्षर थे।
- इसके अतिरिक्त, एचपीसीएल के 1,691 अन्य सक्रिय एलपीजी उपभोक्ताओं के मामले में उनके आईएफएससी और बैंक खातों के प्रति कुछ भी दर्ज नहीं किया गया था जबकि उनकी स्थिति बीसीटीसी है।

यह देखा गया कि उपभोक्ताओं के बैंक खाता संख्या भी ठीक से दर्ज नहीं की गई थी। छः अंको से कम वाले खाता संख्या, अक्षरांकीय संकेताक्षर, विशेष संकेताक्षर देखे गए थे। उपभोक्ताओं के आईएफएससी और बैंक खाता संख्या दर्ज करने में ऐसी असंगतियों से उपभोक्ता सब्सिडी लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे।

आईओसीएल ने उत्तर (अप्रैल/मई 2016) में बताया कि 16,582 मामलों की पहचान की गई है और शुरूआती प्रक्रिया में इन मुद्दों का पता लगाया गया है जहां कुछ आईएफएससीज का

अंतिम अंक कट गया था और यह आश्वासन दिया कि सम्पूर्ण मास्टर डेटा हेतु चिह्नित किए जा रहे मामलों में सुधार किया जाएगा। आईओसीएल ने यह भी कहा कि वितरक की ओर से मैनुअल प्रविष्टि करते समय आंशिक रूप से गलत प्रविष्टि हो सकती है जिनके लिए प्रविष्टिकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के क्रम में बैंक सत्यापन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामले जहां बैंक का नाम दर्शाने वाले पहले चार अक्षर गायब थे, वे बैंकों द्वारा प्रविष्ट किए जा रहे बैंक खाता डाटा आईओसीएल को भेजे जाने का परिणाम था, जैसे कि पंजाब महाराष्ट्र सहकारी बैंक (पीएमसीबी) जिसने आईएफएससीज का गलत सेट भेज दिया था और इन मामलों को अब सुधारा जा रहा था।

बीपीसीएल ने कहा (अप्रैल 2016) कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से आईएफएससी मास्टर डाटा प्राप्त करने से पूर्व बीपीसीएल ने आरबीआई साइट से उपलब्ध आईएफएससी मास्टर को अपलोड कर दिया था। बीपीसीएल ने 3,714 मामलों के सत्यापन करने हेतु लेखापरीक्षा से डाटा शेयर करने का अनुरोध किया।

एचपीसीएल ने बैंकों और उपभोक्ताओं के सहयोग से आईएफएससी की जांच करने और उनमें सुधार करने का आश्वासन दिया (मई 2016)। यह भी कहा गया कि सुधार करने के पश्चात् अवैध बैंक खाता संख्याओं वाले सभी उपभोक्ताओं को एसीटीसी में बदल दिया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा बीपीसीएल को वांछित सूचना प्रदान कर दी गई है। लेखापरीक्षा के कहने पर डाटाबेस में सुधारों हेतु ओएमसीज़ द्वारा किए जा रहे प्रयासों को नोट किया गया है। गलत आईएफएससी और बैंक खाता दर्ज करने से योजना के अंतर्गत सब्सिडी लाभ लेने से वास्तविक एलपीजी उपभोक्ता वंचित हो सकते हैं और इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। यहां यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि आईएफएससी की गलत प्रविष्टि वाले 16,582 मामलों में से 12,678 मामले आईओसीएल में देखे गए थे और साथ ही साथ सक्रिय बैंक नकदी स्थानान्तरण अनुवर्ती (बीसीटीसी) घरेलू उपभोक्ताओं के संबंध में एचपीसीएल में 'शून्य' प्रविष्टि वाले 1,691 मामले देखे गए थे। गलत प्रविष्टि के परिणामस्वरूप इन मामलों में सब्सिडी का गैर-भुगतान हुआ जिनकी मात्रा निर्धारित की जानी चाहिए और ओएमसीज़ द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। यह भी ध्यान देना

प्रासंगिक होगा कि देखी गई ऐसी कमियों को इनपुट डाटा नियंत्रण का एक सेट अनिवार्य करने से इनमें आसानी से सुधार किया जा सकता हैं ताकि उपभोक्ता डाटाबेस की वैधता और सटीकता सुनिश्चित की जा सके।

अध्याय 10 में उपरोक्त पहलुओं पर दिये गये निष्कर्षों की प्रतिक्रिया में एमओपीएनजी ने कहा (जून 2016) कि नए एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए ओएमसीज़ लगातार अंतर और इंट्रा कंपनी डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया का निष्पादन कर रही है। 02 मई 2016 तक डी-डुप्लीकेशन के पश्चात् कुल 3.49 करोड़ एलपीजी कनेक्शन ब्लॉक किए गए थे।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाए कि ओएमसीज़ द्वारा की गई डी-डुप्लीकेशन में परस्पर कमियां देखी गई थी क्योंकि डी-डुप्लीकेशन करने के बावजूद भी ओएमसीज में और ओएमसीज के बीच में बहुविध कनेक्शन मौजूद थे। डाटा एकीकरण और सत्यापन में कमियों की ऐसी कई घटनायें भी देखी गई थी।

यद्यपि राष्ट्रीय सूचना केंद्र और ओएमसीज़ ने घरेलू एलपीजी उपभोक्ता डाटाबेस पर डी-डुप्लीकेशन जांच की थी, लेखापरीक्षा ने देखा कि ओएमसीज में परस्पर और ओएमसीज के बीच में बहुविध कनेक्शन मौजूद थे। इसके अलावा, बहुविध कनेक्शन होने के संदेह पर ब्लॉक किए गए कनेक्शनों को अधिकांशत: ऐसे अन ब्लॉकिंग के औचित्य संबंधी पर्याप्त अभिलेख बनाए बिना ही अन-ब्लॉक कर दिया गया था। चयनित नमूने की जांच से यह पता चला कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ता डेटाबेस के लिए इनपुट नियंत्रण अपर्याप्त थे, जिससे इसकी सटीकता और एकीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

अध्याय 5
वास्तविक उपयोगकर्ताओं को सिलेंडरों का वितरण

5.1 उपभोगकर्ताओं की शिकायतें और उनका निवारण

लेखापरीक्षा ने पहल (डीबीटीएल) योजना के कार्यान्वयन के बाद घरेलु एलपीजी उपभोगकर्ताओं की संतुष्टि के आंकलन के लिए ओएमसीज द्वारा उपभोक्ता शिकायतों के निवारण की समीक्षा की। योजना में प्रावधान था कि एक उपभोक्ता एक शिकायत संबंधित ओएमसी को एक टोल फ्री नम्बर द्वारा या एलपीजी वितरक को शारीरिक रूप से उनकी शिकायतें या वेब आधारित ओएमसी पोर्टल के प्रयोग द्वारा पंजीकृत कर सकते हैं। पहल (डीबीटीएल) योजना की हस्तपुस्तिका ने प्रस्तावित किया कि 98 प्रतिशत उपभोक्ता शिकायतों का निपटान सात दिनों के भीतर करना था। तीन मोड द्वारा प्राप्त पहल (डीबीटीएल) योजना पर उपभोक्ता शिकायतों की लेखापरीक्षा में समीक्षा ने दर्शाया कि ओएमसीज सात दिनों के भीतर निवारण की 98 प्रतिशत की लक्षित दर को प्राप्त नहीं कर सकी। लेखापरीक्षा ने देखा कि प्राप्त दर आईओसीएल में 86 प्रतिशत, एचपीसीएल में 76 प्रतिशत और बीपीसीएल में 82 प्रतिशत थी। कुल प्राप्त दर, यद्यपि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत डाटा के अनुसार 1 जनवरी 2015 से 15 अगस्त 2015 तक पहल (डीबीटीएल) योजना के संबंध में प्राप्त शिकायतों का 97.8 प्रतिशत था। तथापि वहां ऐसे उदाहरण थे जहां शिकायतों के निपटान के लिए लिया गया समय एक महीने से लेकर छह महीनों से अधिक था (आईओसीएल में 1,611 मामले; एचपीसीएल में 2,292 और बीपीसीएल में 11,740)।

आईओसीएल ने अपने उत्तर (अप्रैल/मई 2016) में कहा कि आईओसी संबंधित मुद्दों के संबंध में शिकायतों का 89 प्रतिशत को 7 दिनों के भीतर निपटाया गया था। शेष 11 प्रतिशत शिकायतों में से, 7 प्रतिशत का 7-15 दिनों के बीच समाधान किया गया था और केवल 4 प्रतिशत शिकायतों को 15 दिनों से अधिक लगे। यह भी कहा गया था कि यह संभव था कि वास्तविक शिकायत का समाधान पहले ही किया गया था किंतु उनकी प्रणाली में बंद होने की इनपुट दिनांक पर रोक की अनुपस्थिति के कारण जिसका बाद में सम्मिलित किया गया था, विलंब हुई स्थिति को बाद में अद्यतित किया गया था।

बीपीसीएल ने कहा (अप्रैल/मई 2016) कि अधिकतर शिकायतें बैंकों, भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और भारत का एकल पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के पास लंबित मामलों के कारण थीं और केवल कुछ ही बीपीसीएल के संबंध में थी जिसके लिए इसने आवश्यक कार्रवाई की।

एचपीसीएल ने कहा (मई 2016) की उपभोक्ता शिकायतों को बंद करने की अवधि एक सप्ताह तक थी क्योंकि कुछ मुद्दे जैसे की बैंक खाता संख्याओं/आईएफएस कोड में सुधार में समाधान में कम समय लगा जबकि अन्य जैसे कि एक बैंक से दूसरे में नकद अंतरण के अधिमान्य मोड के परिवर्तन में कुछ और समय लग सकता था। तथापि, पहल (डीबीटीएल) योजना से संबंधित सभी शिकायतों को बंद किया गया था और यह कि वहां कोई खुली शिकायत नहीं थी।

जबकि उपभोक्ता शिकायतों के समाधान के लिए ओएमसीज के प्रयासों को सराहा गया है, यहां एक त्वरित समाधान की आवश्यक्ता है। इसके अलावा, यह मानते हुए कि एजेंसियों की एक संख्या उपभोक्ता शिकायतों के समाधान में शामिल थी, यहां इस संबंध में सभी पणधारियों जैसे की ओएमसीज, एनपीसीआई, यूआईडीएआई और बैंक के समन्वित दृष्किोण का एक मामला है।

5.2 12 सिलेंडर प्रति वर्ष पर भुगतेय सब्सिडी के कोटा का उल्लंघन

घरेलु एलपीजी सिलेण्डरों पर वार्षिक उच्चतम सीमा जिस पर सब्सिडी भुगतेय होगी को 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी 12 पर निश्चित किया गया था। लेखापरीक्षा ने ध्यान दिया कि सब्सिडाइज्ड 12 सिलेण्डरों की उच्चतम सीमा का निम्न मामलों में उल्लंघन किया गया थाः

(i) 2014-2015 में, प्रति वर्ष 12 सिलेंण्डरों की उच्चतम सीमा जिस पर सब्सिडी भुगतेय होगी का उल्लंघन किया गया था और 15.57 लाख सक्रिय घरेलु उपभोक्ताओं (आईओसीएल में 1,881, एचपीसीएल में 365 और बीपीसीएल में 15.55 लाख) अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक 12 सब्सिडी सिलेंण्डरों से अधिक पर सब्सिडी प्राप्त की थी जिसके परिणामस्वरूप सब्सिडी का अधिक भुगतान हुआ।

(ii) लेखापरीक्षा ने ध्यान दिया कि नमूना परीक्षण जांच (जैसा कि उपरोक्त पैरा 4.1.1 में टिप्पणी की गई है) के दौरान 'आधार संख्या', 'बैंक खाता संख्या और आईएफएससी','समान नाम, समान पता' और 'समान नाम, समान जन्म तिथि और समान पंजीकृत मोबाइल नम्बर' पर इण्ट्रा-ओएमसीज डी-डुप्लीकेशन करने के आधार पर कुछ उपभोक्ताओं को कई कनेक्शन के तौर पर अभिज्ञात किया गया था। उपभोक्ताओं के पास कई कनेक्शनों को ध्यान में रखते हुए इन उपभोक्ताओं ने 12 सिलेण्डरों से अधिक पर सब्सिडी प्राप्त की और इस प्रकार उन्हें अतिरिक्त सब्सिडी का भुगतान हुआ। इनमें से कुछ उपभोक्ताओं को उनके बहुल कनैक्शनों पर स्थायी अग्रिम का भी भुगतान किया गया था और इस प्रकार अतिरिक्त अग्रिम की प्राप्ति हुई। नमूना जांच में, इण्ट्रा-ओएमसी डी-डुप्लीकेशन ने दर्शाया कि बहुल कनेक्शन वाले वर्ष 2014-15 के दौरान 37,499 उपभोक्ताओं (आईओसीएल के 20,389, बीपीसीएल के 3,772 और एचपीसीएल के 13,338) और 2015-16 के दौरान (31 अक्तुबर 2015 तक) 8,707 उपभोक्ता (आईओसीएल के 4,449, बीपीसीएल के 1,293 और एचपीसीएल के 13,338) ने 12 सिलेण्डर से अधिक पर सब्सिडी का लाभ उठाया था। इसके अलावा, 51,443 उपभोक्ताओं (आईओसीएल के 27,631, बीपीसीएल के 6,788 और एचपीसीएल के 17,024) ने बहुल कनेक्शनों पर स्थायी अग्रिम प्राप्त किया। विवरण अनुबंध II में हैं।

नमूना परीक्षण जांच के इंटर-ओएमसीज डी-डुप्लीकेशन के दौरान समान आधार संख्या और बैंक आईएफएससी और खाता संख्या वाले बहुल कनेक्शन भी देखे गए। इनमें से, उपभोक्ता जिन्होंने 12 सिलेण्डरों से अधिक पर सब्सिडी का लाभ उठाया था की संख्या 2014-15 में 38,286 और 2015-16 में 6,488 (31 अक्तुबर 2015) थी। इसके अलावा, नमूने में अभिज्ञात इंटर-ओएमसी में दोहरे 65,498 उपभोक्ताओं ने बहुल कनेक्शन पर ₹1.30 करोड़ की राशि का दो बार स्थायी अग्रिम का लाभ उठाया था (विवरण अनुबंध II में)।

ओएमसीज ने अपने उत्तर में (अप्रैल/मई 2016) कहा कि उपभोक्ताओं ने निर्धारित अवधि में 12 सब्सिडाइज्ड सिलेण्डरों से अधिक की खपत नहीं की, जो कि एलपीजी नियंत्रण आदेश के अनुसार उच्चतम सीमा थी।

ओएमसीज के उत्तर को इस तथ्य के विरूद्ध देखा जाए कि 2014-15 के लेखापरीक्षा विश्लेषण ने अधिक संख्या में दृष्टांत दर्शाए जहां पर उच्चतम सीमा का उल्लंघन हुआ था। बहुल कनेक्शन के मामले में, उपभोक्ता ने प्रत्येक कनेक्शन के 12 सिलेंण्डरों की उच्चतम सीमा का उल्लंघन नहीं किया है, बल्कि समान उपभोक्ता के बहुत कनेक्शन पर संयुक्त खपत ने प्रति वर्ष 12 सिलेण्डर की अभिप्रेत उच्चतम सीमा को पार किया।

5.3 केन्द्रीय सर्वर में पायी गई खराबी के परिणामस्वरूप सिलेण्डर की गलत गणना जिस पर सब्सिडी का लाभ उठाया गया

वितरकों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, यह देखा गया था कि उत्तरी क्षेत्र में आईओसीएल के वितरक में, कोटा गणना गलती से उपभोक्ताओं को वास्तव में वितरित सब्सिडाइज्ड सिलंण्डर से कम गणना दिखा रही थी जिन पर सिब्सडी भुगतेय थी। इन आठ मामलों में देखा गया क्योंकि कोटा गणना ने स्वयं को दोहराया (उदाहरणतः चार की गणना को एक मामले मैं दो बार दिखाया गया) जिसके कारण अनियमितता हुई। आगे, 82 मामलों में, वितरित रीफिल की संख्या जिन पर सब्सिडी भुगतेय थी जैसाकि व्यापार पोर्टल में दर्शाया गया था, वितरण वृत्तांत में सब्सिडी भुगतान विवरणों के साथ मेल नहीं हुए।

आईओसीएल ने अपने उत्तर (अप्रैल/मई 2016) में कहा कि उपभोक्ताओं से संबंधित आठ मामलें जिन्होंने पार्किंग अवधि के दौरान एक या अधिक रीफिल का ऑडर दिया था जिनके लिए सब्सिडी राशि रखी गई थी। चूंकि, कोटा रीफिल बुकिंग के समय पर निर्धारित किया गया था, यह रीफिल उस उपभोक्ता के लिए सब्सिडाइज्ड सिलेण्डर कोटा (12 सिलेण्डर) में गिने गए थे। किंतु बाद में, पार्किंग अवधि के बाद अगले रीफिल खपत के समय पर यह रीफिल पार्किंग अवधि में सीटीसी रुपांतरण पर आधारित गिना या निकाला गया था।

तथापि, उत्तर तर्कसंगत नही है, चूंकि पहल (डीबीटीएल) योजना एक वित्तीय वर्ष में 12 सिलेण्डर से अधिक खपत की अनुमति नहीं देती जिन पर सब्सिडी भुगतेय है और प्रणाली को पार्किंग अवधि के दौरान ऐसे सिलेण्डरों की खपत को समायोजित करना चाहिए था।

एमओपीएनजी ने, अध्याय 10 के उत्तर के तौर पर कहा (जून 2016) कि शिकायत निवारण तंत्र की निरंतर समीक्षा की जा रही थी। तकनीकी मंच जैसे मोबाइल ऐप और सामाजिक मीडिया भी एलपीजी से संबंधित शिकायतों का निवारण कर रहे थे।

तथापि, तथ्य रहता है कि ओएमसीज शिकायत निवारण के लक्ष्य की प्राप्ति के योग्य नहीं थे।

ओएमसीज ने बहुत अधिक पहल (डीबीटीएल) योजना संबंधित शिकायतों को निवारण किया है यद्यपि निवारण के सात दिनों के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

अध्याय 6
हकदारी का संरक्षण और सब्सिडी सुनिश्चित करना

6.1 असफल संव्यवहार

पहल (डीबीटीएल) योजना का सुचारू प्रचालन और उपभोक्ता की हकदारी का संरक्षण, अधिकारी एलपीजी उपभोक्ता के खाते में अग्रिम और सब्सिडी के निर्बाध अंतरण पर निर्भर करता है। तथापि, जब एक संव्यवहार को असफल संव्यवहार माना जाता है तो उपभोक्ता को नकद अंतरण प्रभावित नहीं होता है। एक संव्यवहार को असफल माना जाता हैं जब संव्यवहार को बैंक या भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा वापस या अस्वीकार किया जाता है। ऐसे मामलों में, बैंक गैर प्रदत्त राशि को ओएमसीज के खाते में वापस जमा करा देता है। संव्यवहार असफलताओं और एलपीजी उपभोक्ताओं को स्थायी अग्रिम (पीए) के गैर-भुगतान का मुख्य कारण (जैसा कि सीमित परिक्षण जांच की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा से देखा गया है) नीचे दर्शाए गए हैं:

तालिका-9: 1 जनवरी से 15 अगस्त 2015 तक असफल संव्यवहारों के विस्तृत कारण

कारण	मामलों की संख्या			
	आईओसीएल	एचपीसीएल	बीपीसीएल	कुल
वितरक द्वारा गलत खाता संख्या की प्रविष्टि	161	70	39	270
वितरक द्वारा अन्य डाटा प्रविष्टि त्रुटियां (नाम,आधार संख्या, आईएफएससी आदि)	80	12	29	121
वितरक की ओर से अपूर्ण कार्यवाई	38	40	16	94
उपभोक्ता द्वारा दिया गया गलत डाटा	69	2	13	84
असफल संव्यवहारों[1] के अन्य कारण	52	15	115	182
कुल	**400**	**139**	**212**	**751**

[1] असक्रिय आधार संख्या, ओएमसी डाटाबेस और बैंक खाता, बैंक में परिवर्तित खाता नाम.

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 751 असफल संव्यवहारों में से 485 (64 प्रतिशत प्रस्तुत करते हुए) वितरकों से संबंधित कारणों से थे, जो कि इसकी सटीकता सुनिश्चित करने के लिए ओएमसीज द्वारा प्रभावी निगरानी और डाटाबेस में पर्याप्त इनपुट नियंत्रणों और वैधताओं की आवश्यकता पर बल देता है

उपरोक्त के अलावा, यह देखा गया था कि कुछ संव्यवहार निष्क्रिय हो गये थे चूंकि कुछ ग्रामीण बैंक एनपीसीआई के सिस्टम में नहीं थे। आर्यवर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मामले में सम्पूर्ण बैंक के केवल एक आईएफएस कोड का पता गलाया गया था। इसके अलावा, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक के संबंध में रीफिल सब्सिडी के अनियमित भुगतान को देखा गया था। इसलिए यह आवश्यक है कि ओएमसीज सभी उपभोक्ता बैंक को एनपीसीआई के भुगतान ब्रिज के साथ संकालन सुनिचित करने के लिए पर्याप्त प्रयासो पर ध्यान दे।

आईओसीएल और बीपीसीएल ने कहा (अप्रैल/मई 2016) के केवल उचित सत्यापन के बाद ही उपभोक्ता सब्सिडी अंतरण के लिए योग्य होते हैं। एसीटीसी उपभोक्ताओं के लिए, एलपीजी डाटाबेस में डाली गयी आधार संख्या को बैंक खाता सूचना की उपलब्धता के लिए एनपीसीआई डाटाबेस में देखा गया था और केवल इसकी उपलब्धता पर दी सब्सिडी दी गई थी। बीसीटीसी उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी डाटाबेस में डाली गयी खाता संख्या और आईएफएससी को संबंधित बैंक से सत्यापित किया गया था और केवल सफल सत्यापन के बाद ही सब्सिडी अंतरित की गई थी। डाटा प्रविष्टि में त्रुटि की दशा में, ऐसे उपभोक्ताओं को सब्सिडी का अंतरण नहीं किया जायेगा। सत्यापन की यह प्रकिया, तथापि नियंत्रण आदेश के अनुसार दिसम्बर 2014 और मार्च 2015 की अवधि के दौरान निष्क्रिय रही जिसने उच्च असफलता दर में योगदान दिया। सफल मैपिंग के बाद भी संव्यवहार असफल हुए जिसके कारण एनपीसीआई पोर्टल से देखे जा सकते थे। ओएमसीज ने यह भी इंगित किया कि संव्यवहार असफल हुए चूंकि बैंक सीडिंग पहले एनएसीएच/एपीबी[1] तक एनपीसीआई (उदाहरण ग्रामीण बैंक) से लिंक किए गए अनुपालित बैंक तक प्रतिबाधित नहीं था, जिन्हें अब केवल एनपीसीआई से लिंक किए गए बैंकों से बैंक सीडिंग को स्वीकार करने के लिए संशोधित किया गया है।

[1] राष्ट्रीय स्वचालित निकासी हाउस (एनएसीएच) और आधार भुगतान सेतु (एपीबी)

एचपीसीएल ने उत्तर दिया (मई 2016) कि संव्यवहारों की निष्क्रियता से बचने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई पहले ही संस्थापित की जा चुकी है और वर्तमान स्थिति प्रचंड रूप से सुधरी है।

आईओसीएल ओर बीपीसीएल के उत्तर केवल एनपीसीआई अनुरूप बैंक खातों की संतति के लिए उठाए गए कदमों की पुष्टि करते हैं। यद्यपि यह असफल संव्यवहारों की संख्या को घटाएगा, यह असंख्य असली उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ उठाने से वंचित करेगा चूंकि उनके बैंक (उदाहरणः ग्रामीण बैंक) एनपीसीआई से जुडे नहीं हैं। हकदार उपभोक्ताओं को नकद के सुचारू अंतरण को सुनिश्चित करने के लिए एनपीसीआई से जुडे बैंकों की कवरेज का विस्तारण करने की आवश्यकता है। इस पर भी ध्यान दिया गया कि योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता को योग्य बनाने के लिए बैंक विवरणों की सटीक सीडिंग को सुनिश्चित करने हेतु वितरक की ओर डाटा प्रविष्टि तंत्र को सरल बनाने की आवश्यकता पर ओएमसीज ने ध्यान नहीं दिया। आगे, लेखापरीक्षा के समय पर एचपीसीएएल द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई को देखा गया है।

6.2 स्थायी अग्रिम का गैर-अंतरण

लेखापरीक्षा ने ध्यान दिया कि यद्यपि उपभोक्ता पहल (डीबीटीएल) योजना में शामिल हो गए है और उनके बैंक खातों को और कुछ मामलों में आधार संख्या को घरेलु उपभोक्ता डाटाबेस से लिंक करा लिया है, स्थायी अग्रिम के अंतरण के लिए संव्यवहार निष्क्रिय हो गये हैं। लेखापरीक्षा में अध्ययन किए गए नमूने में वहां 47.23 लाख सक्रिय घरेलु एलपीजी उपभोक्ता थे जो कि 31 अक्तुबर 2015 तक स्थायी अग्रिम प्राप्त करने में असफल हुए थे जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया हैः

तालिका-10: एलपीजी उपभोक्ताओ और अंतरण के लिए विलम्बित पीए का विवरण

ओएमसी का नाम	सीटीसी बनने के बाद पीए प्राप्त नहीं करने वाले सक्रिय एलपीजी घरेलु उपभोक्ताओं की संख्या	उपभोक्ता खातों में अंतरण के लिए विलम्बित पीए की राशि (₹ करोड़ में)
आईओसीएल	35,60,916	127.48*
बीपीसीएल	2,59,596	9.31
एचपीसीएल	9,02,277	32.30*
कुल	**47,22,789**	**169.09**

**चूंकि आईओसीएल और एचपीसीएल के उपभोक्ताओं को अंतरण के लिए विलम्बित पीए की राशि लेखापरीक्षा में प्रस्तुत डाटा में निहित नहीं थी, बीपीसीएल की औसत पीए राशि (₹ 358) राशि तैयार करने के दौरान को स्वीकार किया गया है।*

चूँकि स्थायी अग्रिम (पीए) के भुगतान का उद्देश्य बिना किसी वित्तीय बोझ के बाजार मूल्य पर एलपीजी सिलेण्डर की खरीद में उपभोक्ता की सहायता करना था, यह अत्यावश्यक था कि सभी योग्य एलपीजी उपभोक्ता उनकी पहली रीफिल बुकिंग पर उनका पीए प्राप्त करें। पीए के गैर-अंतरण ने, इसलिए, स्थायी अग्रिम प्रदान करने के उद्देश्य को पराजित कर दिया।

ओएमसीज़ ने निम्न पंक्तियों पर उत्तर(अप्रैल/मई 2016) दिया:

(i) आईओसीएल ने कहा कि अंतरिम विश्लेषण ने सीटीसी अनुवर्ती उपभोक्ताओं को स्थायी अग्रिम को प्रारंभ नहीं करने के निम्न कारणों को दर्शाया:

- पीए पहली बुकिंग करने पर केवल सीटीसी अनुवर्ती उपभोक्ता को शुरू किया गया था। नमूने में असंख्य मामले थे जहां उपभोक्ता अनुवर्ती हो गये हैं किंतु अब भी एक रीफिल बुक करना है।
- कुछ मामलों में, यहां तक की पहले रीफिल जारी करने के बाद भी पीए प्रारंभ नहीं किया गया था। यह इस तथ्य के कारण था कि या बैंक डाटा पूर्ण/सत्यापित नहीं/ठण्डे बस्ते में डाला गया/गैर-वरीयता प्राप्त था या उपभोक्ता एनसीटीसी में बदल गया था। (यूआईडी मास्टर पूर्ण नहीं)। आईओसीएल भी परिवर्तन डाटा अभिग्रहण सेवा के डाउनटाइम जैसे सिस्टम में पीए के गैर-अंतरण का कारण था जिसके लिए इसने सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके सिवाय,

यह सूचित किया गया था कि दिनांक 8 मार्च 2016 को वित्त मंत्रालय के पत्र से पीए के प्रारंभ को ठण्डे बस्ते में डाला गया था।

(ii) बीपीसीएल ने कहा कि बीसीटीसी उपभोक्ताओं के लिए बैंक से प्राप्त विलंबित खाता सत्यापन प्रतिक्रिया या नकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण पीएज़ को रोका गया था या एसीटीसी उपभोक्ताओं के आधार निष्क्रिय स्थिति के मामले में सभी ऐसे उपभोक्ताओं को उसमें सुधार करने की सलाह दी गई। एक बार त्रुटि में सुधार किया गया भुगतान को प्रति रि-ट्रिगर चक्र के अनुसार प्रारंभ किया जायेगा। बीपीसीएल ने यह भी दावा किया कि अग्रिम और सब्सिडी दोनों उपभोक्ताओं के लिए रोके गये थे जहां सुधारात्मक कार्रवाई विलम्बित थी।

(iii) एचपीसीएल ने कहा (मई 2016) कि एक नमूना समीक्षा में, यह पाया गया था कि:

क. कुछ उपभोक्ताओं ने गलत बैंक खाता संख्या विवरण दिए थे जिन्हें प्रारंभ में पोर्टल द्वारा स्वीकार किया गया था, किन्तु बाद में सत्यापन के बाद बैंक द्वारा अस्वीकार किया गया और बाद में सीटीसी से एनसीटीसी में बदले गये।

ख. कुछ मामलों में, गलत बैंक खाता विवरणों को सही किया गया और रिफिलों के अनुसार बाद में भुगतान का अंतरण किया गया था।

एचपीसीएल ने आश्वासन दिया कि चूँकि इन मामलों के लिए आधार संख्या वितरकों के पास सरलता से उपलब्ध थी, उपभोक्ताओं को उन्हें सीटीसी बनाने के लिए भी बैंकों में उनके आधार संख्या को अद्यतित करने की सलाह दी जा रही थी और यह की सुधारात्मक कार्रवाई की जायेगी।

ओएमसीज के उत्तर को निम्न संदर्भ में देखने की आवश्यकता है:

- जबकि लेखापरीक्षा आईओसीएल के इस प्रतिक्रिया की सराहना करती है कि कुछ मामलों में पीए नहीं शुरू की गई थी क्योंकि रीफिल बुक नहीं किए गए थे, कुल 20.73 लाख ऐसे मामले थे जहां पीए ने उपभोक्ता को जारी पहले रीफिल के बाद से ही शुरू नहीं किया था। आईओसीएल का तर्क कि पीए नहीं शुरू किया जा सका क्योंकि बैंक डाटा अपूर्ण/गलत था, तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सब्सिडी उन्ही

उपभोक्ताओं के खाते में दी गई थी। जहां प्रणालीगत मुद्दों की सराहना की जाती है, वही पीए के गैर-स्थानांतरण में दी गई समस्याओं को एक निर्धारित अवधि के अंदर सुधार किए जाने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा सुधारात्मक कार्रवाई से संबंधित आईओसीएलके आश्वासन को नोट करती है।

- बीपीसीएल का उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि नमूने के लेखापरीक्षण विश्लेषण से पता चला कि 8,509 (2014-15) और 18,394 (2015-16) उपभोक्ता ऐसे थे जिन्हें सीटीसी शुरू होने के पश्चात उनके पीए प्राप्त नहीं हुए थे जबकि उन्हें क्रमश: वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 28.19 लाख तथा वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 98.61 लाख तक की सब्सिडी प्राप्त हुई थी।

- जबकि उपभोक्ताओं को उनकों आधार संख्या के लिए, जहां कहीं भी उपलब्ध हो सीटीटी में उपलब्ध करने के क्रम में आधार संख्या की शुरूआत हेतु एचपीसीएल द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की जाती है यह कहा जा सकता है कि बैंक खाता संख्याओं में सुधार, जहां रीफिल लिए जाने के बाद भुगतान किया गया था, के पश्चात् इन उपभोक्ताओं को स्थायी अग्रिम के स्थानान्तरण हेतु भी कदम अवश्य उठाए जाने चाहिए।

भारी संख्या में विफल लेन-देन भी देखा गया था जोकि चिंता का विषय है क्योंकि यह वास्तविक एलपीजी उपभोक्ताओं को उनके जायज सब्सिडी से वंचित कर सकता है। लेखापरीक्षा ने देखाकि लेन-देन की विफलता का प्रमुख कारण वितरकों द्वारा गलत डाटा प्रविष्टि था।

अध्याय 7
सब्सिडी में स्व-चयन

7.1 गैर नकदी स्थानान्तरण की शिकायत वाले (एनसीटीसी) उपभोक्ता

गैर नकदी स्थानान्तरण की शिकायत वाले (एनसीटीसी) उपभोक्तार वे है जो पहल (डीबीटीएल) योजना से नहीं जुड़े है। इन उपभोक्ताओं के बैंक खाते और/या आधार संख्या के विवरण उनके उपभोक्ता आईडी से नहीं जुड़े हैं और उन्हें एलपीजी खपत पर कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। 31 अक्टूबर तक एनसीटीसी उपभोक्ताओं की संख्या 1.72 करोड़ थी। लेखापरीक्षा सराहना करती है कि एनसीटीसी उपभोक्ताओं में फर्जी/कई एलपीजी कनेक्शन हो सकते हैं जिन्हें अच्छी तरह से समाप्त किया जा रहा है। हालांकि, पहल (डीबीटीएल) योजना कार्यान्वयन (मई 2015) के संबंध में एलपीजी उपभोक्ताओं से फीडबैक लेने हेतु बीपीसीएल द्वारा संबद्ध मै. नीलसन (मार्केटिंग अनुसंधान एजेंसी) की रिपोर्ट में उल्लेख के अनुसार अधिक से अधिक 77 प्रतिशत एनसीटीसी उपभोक्ताओं ने इस योजना से जुड़ने के इच्छुक थे लेकिन जानकारी के अभाव, लंबी प्रक्रिया, धीमे प्रक्रिया स्पष्टता, प्रक्रिया में लिए गए समय आदि के कारण जुड़ने से रह गए। यह इस संभावना की ओर इशारा करती है कि सभी एलपीजी उपभोक्ताओं की पहुँच के लिए और अधिक प्रयास की आवश्यकता है कि योग्य उपभोक्ता सब्सिडी से वंचित रह जाएं, विशेषकर यह ध्यान रखते हुए कि 28 प्रतिशत एनसीटीसी उपभोक्ता ग्रामीण उपभोक्ता हैं। इस संदर्भ में, लेखापरीक्षा ने नोट किया कि एनसीटीसी उपभोक्ताओं की संख्या में गिरावट आई है जो 31 दिसम्बर 2015 तक 1.55 करोड़ तक घट गई है। हालांकि, योग्य घरेलू उपभोक्ता के हक और सब्सिडी की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु और प्रयास किया जाना आवश्यक है।

7.2 गिव-इट अप पहल

गिव-इट अप अभियान ऐसे समृद्ध उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के क्रम में पहल (डीबीटीएल) योजना के भाग के रूप में शुरू किया गया था जो सब्सिडी छोड़ने हेतु एलपीजी आपूर्ति के बाजार मूल्य का भुगतान कर सकते थे। इस प्रथा से ओएमसीज़ हेतु कम वसूली में महत्वपूर्ण कमी तथा सरकारी सब्सिडी के बहिर्गमन में भी कमी आएगी।

यह देखा गया कि सब्सिडी छोड़ने वाले उपभोक्ताओं की संख्या जनवरी 2015 में 0.22 लाख उपभोक्ताओं से बढ़कर मार्च 2015 में 1.67 लाख हो गई, जो फरवरी 2016 में और बढ़कर 67.27 लाख हो गई।

31 दिसम्बर 2015 तक गैर नकदी स्थानान्तरण वाले 1.55 करोड़ उपभोक्ता थे। यह संभावना कि इसमें ऐसे उपभोक्ता भी शामिल हैं जो सब्सिडी के लिए योग्य हैं, से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।

अध्याय 8
अन्य मुद्दे

8.1 उपभोक्ताओं को दिए गए स्थायी अग्रिम की वसूली

पहल (डीबीटीएल) योजना में शामिल होने पर बाजार दरों पर आपूरित पहले सिलेन्डर के लिए भुगतान हेतु घरेलू एलपीजी उपभोक्ता को सक्षम बनाने हेतु दिए गए एकमुश्त अग्रिम को 'स्थायी अग्रिम' (पीए) कहा जाता है। यह अग्रिम उपभोक्ता के पास कनेक्शन की समाप्ति तक रहेगा, यद्यपि अग्रिम की वसूली ओएमसीज के पास पड़ी प्रतिभूति जमा से कर ली जाएगी। तथापि, यह देखा गया कि 29.92 लाख मामलों (आईओसीएल में 16.68 लाख, एचपीसीएल में 5.95 लाख और बीपीसीएल में 7.29 लाख मामलें) में ओएमसीज द्वारा धारित प्रतिभूति जमा भुगतान किए गए अग्रिम से काफी कम थी, कमी की मात्रा ₹68.39 करोड़ (आईओसीएल में ₹ 35.70 करोड़, एचपीसीएल में ₹ 15.77 करोड़ और बीपीसीएल में ₹ 16.92 करोड़) थी। अत: इन मामलों में पीए की वसूली संभव नहीं होगी।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि उपभोक्ता द्वारा पीए का धारण जारी रखा गया, जबकि उपभोक्ता का स्टेटस नान कैश ट्रांसफर कम्प्लाइन्ट (एनसीटीसी) में बदल गया था। लेखापरीक्षा में सामूहिक रूप से स्थायी अग्रिम (पीए) के रूप में ₹ 49.21 करोड़ धारण करने वाली तीन ओएमसीज (आईओसीएल में ₹ 41.09 करोड़, एचपीसीएल में ₹ 2.82 करोड़ और बीपीसीएल में ₹ 5.30 करोड़) में ऐसे 9.58 लाख (आईओसीएल में 7.92 लाख, एचपीसीएल में 0.53 लाख और बीपीसीएल में 1.13 लाख) एनसीटीसी उपभोक्ता देखे गए थे। चूंकि, ऐसे उपभोक्ता इस योजना के अंतर्गत पीए के पात्र नहीं थे, इसके परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ।

ओएमसीज ने निम्नलिखित उत्तर दिए (अप्रैल/मई 2016):

(i) ओईओसीएल तथा बीपीसीएल ने बताया कि पूराने कनेक्शनों तथा शून्य प्रतिभूति जमा के साथ बीपीएल परिवारों को जारी किए गए कनेक्शनों हेतु प्रतिभूति जमा पीए को कवर करने के लिए अपर्याप्त था। ओएमसीज ने यह भी बल दिया कि सभी

उपभोक्ताओं को पीए का निर्गम पहल नीति के अनुसार किया गया था। नान कैश ट्रांसफर कम्प्लाइन्ट उपभोक्ताओं को पीए के हस्तांतरण के संबंध में आईओसीएल तथा बीपीसीएल ने बताया कि यह सभी उपभोक्ता पीए के हस्तांतरण के समय सीटीसी थे और बाद में एनसीटीसी बन गए।

(ii) आईओसीएल ने फिर बताया कि यदि उपभोक्ता बाद में आधार या बैंक अकाऊंट संख्या देकर सीटीसी बन जाता है, तब पीए का अगला भुगतान नहीं किया जाएगा। हस्तांतरण के समय अग्रिम राशि को प्रतिभूति जमा के प्रति इसके समायोजन द्वारा या नकद द्वारा वसूल किया गया था, यदि प्रतिभूति जमा वसूलीयोग्य राशि से कम हो।

(iii) बीपीसीएल ने यह भी सुझाव दिया इन मामलों को एमओपीएनजी के पास भेजा जा सकता था।

(iv) एचपीसीएल ने बताया कि सिलेन्डर एवं रेग्युलेटर तथा पीए की प्रतिभूति जमा में कोई संबंध नहीं था, इन्हे अलग लेखा शीर्षों में रखा गया था, अत: पीए की वसूली हेतु प्रतिभूति जमा की अपर्याप्तता का प्रश्न ही नही उठता। नान-कैश ट्रांसफर कम्पलाइन्ट (एनसीटीसी) उपभोक्ताओं को पीए जारी रखने के संबंध में एचपीसीएल ने बताया कि अग्रिम का भुगतान उपभोक्ता को सीटीसी बनने पर किया जाता था और समापन तक रखा जाता था। तत्पश्चात, यदि एक उपभोक्ता एनपीसीआई में आधार हटाने के कारण या बैंक अकाऊंट के बंद होने के कारण एनसीटीसी बन जाता है तब डाटा एनसीटीसी उपभोक्ता को पीए के भुगतान को दर्शाएगा कि इस मामले में कोई अनियमितता नहीं थी।

ओएमसीज के उत्तरों को निम्नलिखित के मद्देनजर देखे जाने की आवश्यकता है:

- प्रतिभूति जमा तथा स्थायी अग्रिम (पीए) का रख-रखाव अलग शीर्षों में किया जाता था, जैसाकि एचपीसीएल द्वारा बताया गया था, को माना जाता है। लेखापरीक्षा ने केवल समस्या को दर्शाया जो उन मामलों, जहां प्रतिभूति जमा अपर्याप्त थी, में कनेक्शन को समाप्त करते समय पीए की वूसली में ओएमसीज के सामने आएंगी।

इसके अलावा, आईओसीएल प्रतिभूति जमा के प्रति पीए का समायोजन कर रही है, जैसाकि इसने अपने उत्तर में बताया।

- एचपीसीएल ने उत्तर दिया कि जब एक सीटीसी उपभोक्ता एनसीटीसी में परिवर्तित होता है, तब पीए रहेगा तथा यह इस तथ्य के प्रति कोई अनियमितता नहीं देखी जानी चाहिए कि पीए को उद्देश्य पात्र घरेलू एलपीजी उपभोक्ता को किसी अतिरिक्त वित्तीय भार के बिना बाजार कीमत पर पहला सिलेन्डर खरीदने हेतु समर्थ बनाना था। जब उपभोक्ता का स्टेटस सीटीसी से एनसीटीसी में बदल जाता है, तब वास्तविक उद्देश्य, जिसके लिए पीए का भुगतान किया गया था, विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ जिसका अधिक पात्र एलपीजी उपभोक्ताओं को बाजार कीमत पर उनका पहला सिलेन्डर खरीदने के लिए विचलन किया जा सकता था।

लेखपरीक्षा ने संवीक्षा किए गए नमूने में देखा कि नान-कैश ट्रांसफर कम्पलाइन्ट उपभोक्ताओं के पास स्थायी अग्रिम के रूप में ₹ 49.21 करोड़ था। चूंकि ये उपभोक्ता अग्रिम हेतु पात्र नहीं थे, इसके परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने देखा कि काफी संख्या में उपभोक्ताओं की प्रतिभूति जमा उनको भुगतान किए गए स्थायी अग्रिम से काफी कम थी। चूंकि, स्थायी अग्रिम की कनेक्शन की समाप्ति पर प्रतिभूति जमा से वूसली अपेक्षित थी, ऐसे मामलों में इसकी वसूली संदेहास्पद रही।

अध्याय 9
पहल (डीबीटीएल) योजना के माध्यम से सब्सिडी में बचत

पहल (डीबीटीएल) योजना से अन्य बातों के साथ-साथ जाली/नकली कनेक्शनों को निकालने, सब्सिडी में विचलन तथा स्वत: चयन को प्रोत्साहित करना अपेक्षित था। बदले में यह वाणिज्यिक उपयोग में लिए जाने वाले घरेलू एलपीजी सिलेन्डरों के विचलन को कम करेगा, सब्सिडी व्यय में गिरावट आएगी और इससे सरकार के लिए बचत का सृजन होगा। पहल (डीबीटीएल) योजना को 54 जिलों में 15 नवम्बर 2014 को शुरू किया गया था और बाद में 1 जनवरी 2015 को शेष 622 जिलों में विस्तारित किया गया था। योजना को तीन माह की अनुग्रह अवधि दी गई थी। चूंकि, वर्ष 2014-15 के लिए योजना का विशेष प्रभाव 15 फरवरी से 31 मार्च 2015 की अवधि के लिए 54 जिलों तक सीमित था, जोकि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा। 2015-16 के लिए बचत की मात्रा एमओपीएनजी तथा ओएमसीज से प्राप्त की गई थी और निम्नलिखित देखा गया:

9.1 पहल (डीबीटीएल) योजना के आधार पर भारत सरकार द्वारा 2015-16 के लिए अनुमानित बचत

एमओपीएनजी ने अनुमान लगाया (फरवरी 2016) की 2015-16 के लिए एलपीजी सब्सिडी में ₹ 9,211 करोड़ की संभावित बचत होगी। इसकी संगणना यह विचार करने के बाद की गई है की 4.53 करोड़ घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 2015-16 के दौरान सब्सिडी युक्त सिलेन्डर नहीं लेंगे (इसमें 1.42 करोड़ घरेलू उपभोक्ता जिन्होंने योजना में भाग नहीं लिया था, अत: सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है और 3.11 करोड़ ब्लॉक किए गए/निष्क्रिय उपभोक्ता शामिल है)। यह भी माना गया है कि यह सभी उपभोक्ताओं ने प्रति सिलेन्डर ₹ 169.45 की सब्सिडी पर 12 सब्सिडी युक्त सिलेन्डर प्राप्त किए होंगे (दिल्ली राज्य में 2015-16 में औसत सब्सिडी)। एमओपीएनजी द्वारा संगणित सब्सिडी बचत का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:

4.53 करोड़ घरेलू एलपीजी उपभोक्ता योजना में शामिल नहीं हुए/ब्लॉक किए गए/ निष्क्रिय x 12 सिलेन्डर प्रति वर्ष x ₹ 169.45 मौजूदा औसत सब्सिडी= ₹ 9,211 करोड़

भारत सरकार द्वारा अनुमानित सब्सिडी में बचत के लेखापरीक्षा विश्लेषण के परिणाम को नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है:

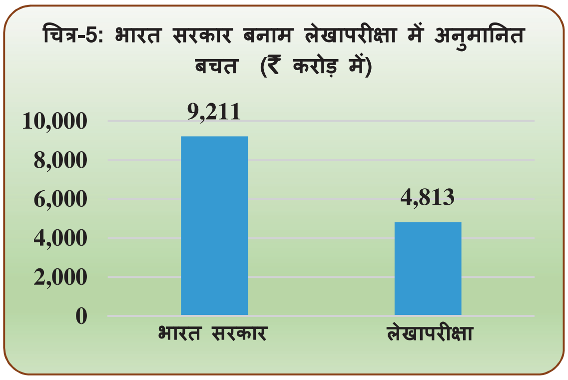

(i) 2014-15 में घरेलू एलपीजी सिलिन्डरों की प्रति व्यक्ति खपत का राष्ट्रीय औसत 6.27 सिलेन्डर थी। सब्सिडी बचत की गणना करते समय लगाया गया मुख्य अनुमान की ब्लॉक किए गए/निष्क्रिय उपभोक्ता ने 12 सिलिन्डरों का अधिकतम कोटा प्राप्त किया होगा जिस पर सब्सिडी भुगतान योग्य है, अतिशयोक्तिपूर्ण कथन प्रतीत होता है। 6.27 सिलिन्डरों के राष्ट्रीय औसत उठाव (2014-15 की औसत) पर विचार करते हुए मंत्रालय द्वारा अपनाई गई कार्यपद्धति के अनुसार 2015-16 के लिए सब्सिडी बचत ₹ 4,813[1] करोड़ होगी। प्रति व्यक्ति खपत का उच्चतर राष्ट्रीय औसत अपनाने के आधार पर सब्सिडी बचत में आया अंतर ₹ 4,398 करोड़ है। तथापि, वास्तविक सब्सिडी बचत वह है जो की निम्नलिखित पैरा 9.3 में दर्शाई गई है।

(ii) जैसाकि 1.42 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं जो पहल (डीबीटीएल) योजना में शामिल नहीं हुए, ने ₹ 1508.68 करोड़ की सब्सिडी बचत (1.42 करोड़ उपभोक्ता x ₹ 169.45 प्रति सिलेन्डर x 6.27 सिलेन्डर प्रति वर्ष) में योगदान दिया जोकि निश्चय ही 2015-16 में योजना कार्यान्वयन का प्रत्यक्ष परिणाम था, ₹ 3.11 करोड़ ब्लॉक किए गए/निष्क्रिय उपभोक्ताओं से हुई बचत 2015-16 में पहल (डीबीटीएल) योजना के कार्यान्वयन पर पूर्ण रूप से आरोपित नहीं की जा सकती। वास्तव में, यह देखा गया कि 1 अप्रैल 2015 को ब्लॉक किए गए/ निष्क्रिय घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 3.34 करोड़ थी जो घटकर 3.11 करोड़ हो गई (19 फरवरी 2016)।

एमओपीएनजी ने बताया (जून 2016) कि नकली/जाली/प्रतिच्छाया/निष्क्रिय घरेलू एलपीजी कनेक्शनों की पहचान करने के लिए गहन परिश्रम किया गया था और 1 अप्रैल 2016 तक ऐसे 3.46 करोड़ उपभोक्ताओं को ब्लॉक कर दिया गया था। डीबीटीएल तंत्र के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप ऐसे उपभोक्ताओं को ब्लॉक करना संभव हुआ, चूंकि सब्सिडी का हस्तांतरण केवल उन उपभोक्ताओं के खाते में किया जाता था जिन्होंने पहल के तहत पंजीकरण कराया था और जिन्होंने डी-डुप्लिकेशन को पास किया था। इसके अतिरिक्त, 1.33 करोड़ उपभोक्ता सब्सिडी नहीं ले रहे थे तथा कुल 4.79 करोड़ उपभोक्ताओं की गणना हुई तथा इन उपभोक्ताओं के लिए, जो सब्सिडी दायरे से बाहर थे, अनुमानित बचत ₹ 9740 करोड़ होगी (अर्थात 4.79 करोड़ उपभोक्ता x 12 सिलेन्डर x ₹ 169.45, 2015-16 के लिए

[1] 4.53 करोड़ उपभोक्ता x 169.45 प्रति सिलेन्डर x 6.27 सिलेन्डर प्रति वर्ष।

मौजूदा औसत सब्सिडी प्रति सिलेन्डर)। आगे यह बताया गया कि लागू सिद्धांत उचित था, चूंकि पिछला अनुभव यह था कि 12 सिलिन्डरों का पूरा कोटा उन संदिग्ध उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त कर लिया गया था जो घरेलू सिलिन्डरों का विचलन कर रहे थे।

इस उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि डि-डुप्लिकेशन जून 2012 में नेशनल इंफॉरमैटिक्स सेंटर के माध्यम से ओएमसीज द्वारा किया गया था और जिसके परिणामस्वरूप नकली/जाली/प्रतिच्छाया/निष्क्रिय घरेलू एलपीजी कनेक्शनों को ब्लॉक कर दिया गया था। दूसरी तरफ, डीबीटीएल योजना जून 2013 में शुरू की गई थी और पहल (डीबीटीएल) योजना नवम्बर 2014 में शुरू की गई थी। इसलिए जाली, प्रतिच्छाया या निष्क्रिय उपभोक्ताओं की पूरी ब्लॉकिंग पहल (डीबीटीएल) योजना के परिणामस्वरूप नहीं हो सकती। अन्य शब्दों में, जैसेकि लेखापरीक्षा द्वारा ऊपर बताया गया है, पहल (डीबीटीएल) योजना का वास्तविक परिणाम उन 1.33 करोड़ उपभोक्ताओं के कारण हुई सब्सिडी बचत थी जिन्होंने अपने आधार नबर और बैंक अकाऊंट को योजना के साथ लिंक नहीं किया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा का मत है कि प्रति 6.27 सिलिन्डरों की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति खपत अनुमानित बचत की गणना हेतु 12 सिलिन्डरों के पूरे अनुमत कोटा की बजाय अधिक उपयुक्त और वास्तविक पैरामीटर है।

9.2 वर्ष 2015-16 के लिए ओएमसी द्वारा अनुमानित बचत:

लेखापरीक्षा ने पाया कि ओएमसीज ने वर्ष 2015-16 के लिए प्रक्षेपित सब्सिडी बचत की गणना भिन्न प्रकार से की थी। आईओसीएल (एलपीजी के लिए भारत सरकार के साथ ओएमसीज की संयोजक एजेंसी) ने निम्नलिखित पर विचार करते हुए पेट्रालियम नियोजन एवं विश्लेषण सैल (पीपीएसी) को अपनी प्रस्तुति में ₹ 5107.48 करोड़ की सब्सिडी बचत का अनुमान लगाया था:

- घरेलू एलपीजी खपत में कमी के कारण बचत (घरेलू सिलिन्डरों के उठाव में कमी के साथ 2014-15 की तुलना में 2015-16 में घरेलू उपभोक्ता आधार में वृद्धि पर विचार करते हुए): **₹ 1,036 करोड़**
- 1.73 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को गैर-सब्सिडीयुक्त बिक्रियों के कारण बचत (सितम्बर 2015 तक नान कैश ट्रांसफर कम्पलाइन्ट उपभोक्ता): **₹ 3,672 करोड़**
- गैर-घरेलू व छूट न दिए गए (एनडीएनई) एलपीजी सिलिन्डरों की बिक्री में बढ़ोतरी के कारण अतिरिक्त कर/शुल्क: **₹ 399.48 करोड़**

लेखापरीक्षा ने ओएमसीज द्वारा लगाए गए अनुमान और अनुमानित सब्सिडी बचत की गणना का विश्लेषण किया था। विश्लेषण के परिणाम निकट चार्ट में दर्शाए गए है। इस संबंध में, निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है:

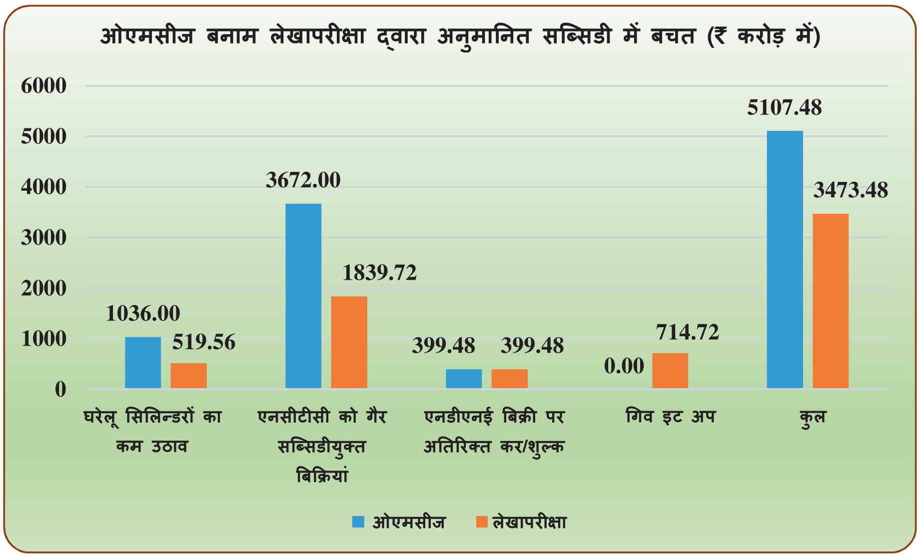

(i) ओएमसीज ने सब्सिडी बचत[1] की गणना करते समय प्रति उपभोक्ता 6.27 सिलेन्डिरों की औसत वार्षिक खपत और ₹ 338 प्रति सिलेन्डर की औसत सब्सिडी (2014-15 में दिल्ली बाजार में लागू औसत सब्सिडी दर) पर विचार किया था। तथापि, 2014-15 के औसत राष्ट्रीय उठाव के आधार पर प्रति उपभोक्ता 6.27 सिलेन्डर की वार्षिक खपत का अनुमान उचित था, ₹ 338 प्रति सिलेन्डर पर 2014-15 की औसत सब्सिडी दरें लेने के परिणामस्वरूप 2014-15 की तुलना में 2015-16 के दौरान कीमतों में तीव्र गिरावट के मद्देनजर बचत की अधिक अभिव्यक्ति हुई। वास्तव में, यदि 2015-16 के लिए ₹ 169.45 प्रति सिलेन्डर की औसत सब्सिडी पर विचार किया जाए (जैसाकि एमओपीएनजी द्वारा अपने अनुमान में उपयोग किया गया था), तब अनुमानित सब्सिडी बचत में सब्सिडी के मूल्य को छोड़कर ओएमसीज की उस पद्धति को अपनाते हुए ₹ 2359.28 करोड़ (₹ 1839.72 करोड़ + ₹ 519.56 करोड़) तक कमी आएगी।

(ii) पहल (डीबीटीएल) योजना के कार्यान्वयन के साथ-साथ 'गिव इट अप कैम्पेन' चालू है जिसके परिणामस्वरूप 67.27 लाख घरेलू उपभोक्ताओं ने 29 फरवरी 2016 तक बाहर

[1] घरेलू एलपीजी खपत तथा घरेलू उपभोक्ताओं को घरेलू उपभोक्ताओं को गैर-सब्सिडीयुक्त बिक्री में कमी से संबंधित सब्सिडी बचत

निकलने का निर्णय लिया। इसके परिणामस्वरूप भी ₹ 714.72[1] करोड़ की सब्सिडी में अनुमानित बचत हुई। अत: 2015-16 के लिए प्रक्षेपित कुल अनुमानित सब्सिडी बचत ₹ 3473.48[2] करोड़ गिनी जाएगी (ब्यौरे अनुबंध-III में है)।

(iii) यह भी नोट किया जा सकता है कि ओएमसीज ने 1.73 करोड़ नान कैश ट्रांसफर कम्पलाइन्ट (एनसीटीसी) घरेलू उपभोक्ताओं का अनुमान लगाया था (सितम्बर 2015 तक)। तथापि, उनकी संख्या में फरवरी 2016 तक 1.42 करोड़ हो गई है जैसे कि एमओपीएनजी द्वारा बताया गया। चूंकि, एनसीटीसी उपभोक्ताओं के आधार पर सब्सिडी में बचत, जैसाकि ओएमसी द्वारा संगणना की गई, को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता होगी।

उपर्युक्त (i), (ii) और (iii) में ही इंगित किए गए अनुमानों में विसंगतियों के आधार पर अनुमानित बचत में अंतर ₹ 1,634 करोड़ है। तथापि, वास्तविक सब्सिडी बचत वह है जो निम्न पैरा 9.3 में दर्शाई गई है। सब्सिडी बचत, जैसेकि ओएमसीज द्वारा ₹ 5107.48 करोड़ पर संगणित तथा लेखापरीक्षा द्वारा ₹ 3473.48 करोड़ पर संशोधित (उपर्युक्त (i), (ii) तथा (iii) की टिप्पणियों के अनुसार), अनुबंध-III में दी गई।

यद्यपि, बीपीसीएल (अप्रैल 2016) लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से सहमत थी, फिर भी एचपीसीएल ने इस मामले पर विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी (मई 2016)। दूसरी तरफ, यद्यपि आईओसीएल ने इस मामले पर कोई विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी थी, फिर भी इसने ''एलपीजी सब्सिडी पर बचत'' पर संसदीय प्रश्न के संबंध में एमओपीएनजी को ओएमसीज की तरफ से दिया गया उत्तर भेजा था (मई 2016)। उक्त की संवीक्षा से पता चला कि एलपीजी सब्सिडी पर बचतों की गणना करते समय आईओसीएल ने एमओपीएनजी द्वारा अपनाए गए समान उपागम का पालन किया (उपर्युक्त पैरा 9.1 देखे) जैसाकि 31 मार्च 2016 को अद्यतित था (4.48 करोड़ ब्लॉक किए गए/ निष्क्रिय उपभोक्ताओं, प्रति उपयोक्ता प्रति वर्ष 12 सिलेन्डरों के उठाव और 2015-16 में ₹ 156.48 प्रति सिलेन्डर की औसत सब्सिडी पर विचार करते

---

[1] 67.27 लाख उपभोक्ता x ₹ 169.45 सब्सिडी प्रति सिलेन्डर x 6.27 सिलेन्डर प्रतिवर्ष= ₹ 714.72 करोड़

[2] ₹ 2359.28 करोड़ + ₹ 714.72 करोड़ + ₹ 399.48 करोड़ (एनडीएनई बिक्री पर अतिरिक्त कर/शुल्क) = ₹ 3473.48 करोड़

हुए जिससे ₹ 9,144 करोड़ की बचत संगणित हुई)। इस कार्यप्रणाली की कमियों को उपर्युक्त कथित पैरा में पहले ही दर्शाया गया है।

9.3 2014-15 की तुलनीय अवधि की तुलना में 2015-16 की पहली तीन तिमाहियों (अप्रैल से दिसम्बर 2015) में वार्षिक सब्सिडी बचत

लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2014 से दिसम्बर 2014 के दौरान उक्त के प्रति अप्रैल 2015 से दिसम्बर 2015 के दौरान वास्तविक सब्सिडी भुगतान की तुलना की थी। यह देखा गया कि अप्रैल 2015 से दिसम्बर 2015 तक भुगतान की गई सब्सिडी ₹ 12,084.23 करोड़ थी जिसके प्रति 2014-15 में समान अवधि के दौरान ₹ 35,400.44 करोड़ की सब्सिडी थी। 2014-15 की तुलना में 2015-16 में सब्सिडी भुगतान में कमी (अप्रैल से दिसम्बर 2015 तक नौ माह की अवधि हेतु संगणित) घरेलू सिलिन्डरों के उठाव में कमी, जिस पर सब्सिडी का भुगतान किया जाता था, और 2015-16 में कच्चे तेल में तीव्र गिरावट से उत्पन्न न्यूनतर सब्सिडी दरों का संयुक्त प्रभाव था।

2014-15 (अप्रैल-दिसम्बर 2014) की तुलना में 2015-16 (अप्रैल-दिसम्बर 2015) में सब्सिडी में कुल कमी ₹ 23,316.21 करोड़ थी (अर्थात ₹ 35,400.44 करोड़-₹ 12,084.23 करोड़)।न्यूनतर सब्सिडी दरों तथा मात्रा में न्यूनतर उठाव के योगदान से सब्सिडी भुगतान में यह कमी आई थी जिसका सार निम्नानुसार है (विस्तृत गणना अनुबंध IV में दी गई है)।

- 2015-16 न्यूनतर सब्सिडी भुगतान पर कम सब्सिडी दरों का प्रभाव प्राप्त करने हेतु 2014-15 और 2015-16 के बीच सब्सिडी दरों में अंतर को ठीक करते समय 2015-16 के खपत स्तर पर विचार किया गया था जो ₹ 21,552.28 करोड़ गिना गया था।
- सब्सिडीयुक्त एलपीजी के उठाव की घटी हुई मात्रा के प्रभाव का पता लगाने के लिए 2014-15 से 2015-16 में खपत स्तर में कमी पर विचार करते समय सब्सिडी दरें 2014-15 के स्तरों पर स्थिर रखी गई थी जो पहल (डीबीटीएल) योजना का परिणाम था। यह ₹ 1,763.93 करोड़ बनती है।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि 2015-16 में कम सब्सिडी दरों का प्रभाव अब तक सब्सिडी बचत में सबसे महत्वपूर्ण कारक रहा था। जबकि सब्सिडीयुक्त एलपीजी का कम उठाव जोकि पहल (डीबीटीएल) योजना के कार्यान्वयन का एक परिणाम माना जा सकता है, ने सब्सिडी में बचत में योगदान दिया था, तथापि इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं था।

उपर्युक्त से निम्नलिखित मुद्दे सामने आते है :

(i) एक वर्ष के दौरान किए गए प्रयासों के परिणाम के रूप में उस वर्ष सब्सिडी बचत की गणना करते समय बाहरी मानदंडों, जैसे कच्चे तेल के मूल्यों में परिवर्तन, पर विचार करने के पश्चात पिछले वर्ष की बचतों की तुलना में उस वर्ष प्राप्त की गई बचतों की तुलना करना उचित हो सकता है। इस प्रकार, उस वर्ष के दौरान समग्र रूप से किए गए प्रयासों के लिए वर्ष में बंद किए गए/निष्क्रिय उपभोक्ताओं की संख्या को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा।

(ii) सब्सिडी में बचत की गणना/अनुमान लगाते समय घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा सिलिन्डरों के औसत उठाव तथा वर्ष के लिए औसत सब्सिडी दरों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। इसकी विशेष महत्ता है क्योंकि सिलिन्डरों का औसत उठाव योजना के अंतर्गत अनुमत सीमा के आधे से थोड़ा सा ज्यादा था (12 की सीमा के प्रति 6.27 का औसत उठाव) तथा सब्सिडी दरें प्रति सिलेन्डर आधी की गई थी (2014-15 में ₹ 338 प्रति सिलेन्डर की औसत सब्सिडी के प्रति यह 2015-16 में प्रति सिलेन्डर ₹ 169.45 थी (अप्रैल से दिसम्बर 2015 तक की अवधि के लिए औसत))।

(iii) 2014-15 की तुलनीय अवधि से 2015-16 (अप्रैल-दिसम्बर 2015) में वास्तविक सब्सिडी भुगतान की तुलना करने पर सब्सिडी बचत की भारी मात्रा देखी गई थी। यद्यपि, ऐसी बचत के 92 प्रतिशत के लिए केवल सब्सिडी दरों में आई कमी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जहां पहल (डीबीटीएल) योजना के कार्यान्वयन के साथ 'गिव इट अप कैम्पेन' को जोड़ने के परिणामस्वरूप घरेलू सब्सिडीयुक्त सिलिन्डरों के उठाव में कमी आई थी, वहीं परिणामी सब्सिडी बचत सब्सिडी दरों की गिरावट के माध्यम से सृजित बचत की तुलना में महत्वपूर्ण नहीं थी।

अप्रैल 2015 से दिसम्बर 2015 की अवधि के लिए सब्सिडी भार 2014 में तुलनीय अवधि के लिए ₹ 23,316.21 करोड़ तक कम था। तथापि, यह 2015-16 में उपभोक्ताओं द्वारा सब्सिडीयुक्त सिलिन्डरों के उठाव में कमी (₹ 1763.93 करोड़) तथा कच्चे तेल के मूल्य में भारी गिरावट से उत्पन्न निम्नतर सब्सिडी दरों (₹ 21552.28 करोड़) का संयुक्त प्रभाव था। जहां पहल (डीबीटीएल) योजना के कार्यान्वयन के साथ 'गिव इट अप कैम्पेन' को जोड़ने के परिणामस्वरूप घरेलू सब्सिडीयुक्त सिलेन्डरों के उठाव में कमी आई थी, वहीं परिणामी सब्सिडी बचत सब्सिडी दरों की गिरावट के माध्यम से सृजित बचत की तुलना में महत्वपूर्ण नहीं थी।

अध्याय 10
निष्कर्ष एवं सिफारिशें

10.1 निष्कर्ष

नवम्बर 2014 में प्रारंभ, पहल (डीबीटीएल) योजना, और जनवरी 2015 में पूरे देश में विस्तारिक की गयी, अप्रोत्साहित अपरोधन, नकली और प्रतिरूप संयोजको को बाहर निकालने, पात्रता की रक्षा, एलपीजी सिलेण्डेरों की उपलब्धता को उत्तम बनाना और घरेलु उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी को सुनिश्चित करते हुए सब्सिडी में आत्म चयन की अनुमति का प्रयोजन रखती है। लेखापरीक्षा, 19.26 करोड़ पंजीकृत घरेलु गैस उपभोक्ताओं को कवर करने वाली (16.17 करोड़ सक्रिय और 3.09 करोड़ सक्रिय उपभोक्ताओं के अलावा) और तीन तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) में 16,781 वितरकों जैसे-इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की योजना के क्रियान्वयन की सराहना करता है। योजना के क्रियान्वयन के साथ लेखापरीक्षा निम्नलिखित निष्कर्ष प्रकट करता है:

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि पहल (डीबीटीएल) योजना के क्रियान्वयन के उपरान्त व्यवसायिक उपभोक्ताओं को रसोई गैस सिलेंडरों की बिक्री में वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों को उठाने में वृद्धि, सब्सिडी प्राप्त करने के हकदार नहीं है। जो अपरोधन के खतरे को बढ़ाता है, विशेष रूप से घरेलू एलपीजी के मध्य महत्वपूर्ण कीमतों में अंतर पर विचार किया गया सब्सिडी प्राप्त करने के हकदार नहीं है और व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडरों पर विभिन्न करो और शुल्को को उपभोक्ताओं दो श्रेणियों पर लगाया गया।
- यद्यपि नेशनल इनफॉरमेटीक्स संेटर और ओएमसीज ने घरेलू एलपीजी उपभोक्ता डेटाबेस पर अ-प्रतिरूप जाँच की थी, लेखापरीक्षा में ओएमसी के बीच और भीतर मौजूदा बहु कनेक्शनों के उदाहरण देखे। इसके अतिरिक्त, बहु कनेक्शन होने के संदेह पर अवरूद्ध किये गये कनेक्शन अनवरूद्ध करने के लिए औचित्य के पर्याप्त प्रलेखन

बनाए बिना अनवरूद्ध किये गये। चयन किए गए नमूने की जाँच से संकेत मिलता है कि घरेलु रसोई गैस उपभोक्ता डेटाबेस के लिए अपर्याप्त इनपुट की जाँच की गयी, जो प्रतिकूल रूप से इसकी सटीकता और प्रामणिकता को प्रभावित करता है।

- ओएमसीज पहल (डीबीटीएल) योजना से संबंधित शिकायतों को बड़े परिणाम में निवेदित करता है यद्यपि निपटारण के लिये सात दिनों का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।
- असफल लेन-देन का एक महत्वपूर्ण परिणाम देखा गया था जोकि एक चिंता का विषय है क्योंकि इससे वैध सब्सिडी प्राप्त करने वाले रसोई गैस उपभोक्ता वंचित रह सकते है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि लेन-देन के असफल होने का मुख्य कारण वितरकों द्वारा त्रुटिपुर्ण डेटा एन्ट्री करना है।
- 31 दिसम्बर 2015 तक, 1.55 करोड़ गैर-नकदी हस्तांतरण अनुवर्ति उपभोक्ता थे। इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता है कि इसमें उन उपभोक्ताओं को सम्मिलित किया गया है जिनको सब्सिडी मिलनी चाहिए थी।
- नमूने की संवीक्षा में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि गैर-नकदी हस्तांतरित अनुवर्ति उपभोक्ता स्थायी अग्रिम के रूप में ₹ 49.21 करोड़ रखते हैं। इस प्रकार के उपभोक्ता अग्रिम के पात्र नहीं थे, अत: निधियां अवरूद्ध हो गयी। जिसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि उपभोक्ताओं की एक महत्वपूर्ण संख्या की सुरक्षा जमा उन्हे भुगतान की गयी स्थायी अग्रिम की तुलना में बहुत कम थी। कनेक्शन समाप्त की स्थिति में स्थायी अग्रिम को सुरक्षा जमा से वसूल किया जाना है, इस प्रकार के मामलों में इसकी वसूली संदेह पूर्ण है।
- अप्रैल 2015 से दिसम्बर 2015 की अवधि के दौरान सब्सिडी भार 2014 की तुलनीय अवधि की तुलना में ₹ 23,316.21 करोड़ कम थी। यद्यपि, यह उपभोक्ताओं द्वारा रियायती सिलेंडरों की निकासी में कमी की एक सयुंक्त प्रभाव था (₹ 1,763.93 करोड़) और कम रियायत दरे 2015-16 में कच्चे तेल की कीमतों में (₹ 21,552.28 करोड़) तेज गिरावट से उत्पन्न हुई है। जबकि पहल (डीबीटीएल)

योजना 'गिव इट अप' छोड़ने के अभियान के साथ मिलकर कार्यान्वयन की गयी परिणामस्वरूप सब्सिडी दर पर रसोई गैस सिलेंडरों के उठाने में कमी हुई, जिसके परिणामस्वरुप सब्सिडी बचत उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही जितनी की सब्सिडी मूल्यों में गिरावट हुई।

10.2 सिफारिशें

लेखापरीक्षा ने इस प्रतिवेदन में दर्शित तथ्यों के समाधान के लिए निम्नलिखित सिफारिशों का सुझाव दिया है।

(i) वाणिज्यिक वर्ग को गैर-सब्सिडी प्राप्त घरेलू एलपीजी सिलेंडरो के विपथन को निरूत्साहित करने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाएं।

(ii) चयनित नमूने की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने विविध कनेक्शनों की मौजूदगी दर्शायी, इसे ध्यान में रखते हुए ओएमसीज द्वारा सम्पूर्ण डाटाबेस की संवीक्षा की जाने की आवश्यकता है तथा प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। डाटाबेस की समेकितता को अनुरक्षित करने की आवश्यकता है। हालांकि, ओएमसीज ने उपभोक्ता डाटाबेस में नई वृद्धि के लिए उचित जांच का आश्वासन दिया है तथापि मौजूदा डाटाबेस की यथार्थता तथा समेकितता सुनिश्चित करने की अधिक आवश्यकता है। संदेहास्पद विविध कनेक्शनों के अवरोधन तथा गैर अवरोधन के उपयुक्त तथा पारदर्शी प्रलेखन को भी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

(iii) वितरक इंटरफेस में उपयुक्त इनपुट नियंत्रण, डाटा वैधीकरण तथा कठोर निगरानी अनिवार्य है जो केवल उपभोक्ता डाटाबेस की समेकितता ही नहीं सुधारेगा अपितु गलत सूचना से उत्पन्न विफल संव्यवहारो को भी हटाएगा।

(iv) लेखापरीक्षा ने गैर नकदी हस्तांतरण अनुवर्ति उपभोक्ता की संख्या में कमी का उल्लेख किया है। तथापि, अधिक ध्यान केन्द्रित सामाजिक आउटरीच प्रयासों की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का ज्ञान और प्रक्रिया के संबंध में स्पष्टता न होने की वजह से पात्र उपभोक्ता सब्सिडी से वंचित न रह जाए।

(v) गैर नकदी हस्तांतरण अनुवर्ति उपभोक्ताओं के पास स्थाई अग्रिम अवरूद्ध करने और इसकी तुलना में कम सुरक्षा जमा राशि वाले उपभोक्ताओं से स्थाई अग्रिम की वसूली के मामलों के समाधान के लिए उचित नीति निर्णय की आवश्यकता है।

(एच. प्रदीप राव)
उप नियंत्रक महालेखापरीक्षक एवं
अध्यक्ष लेखापरीक्षा बोर्ड

नई दिल्ली
दिनांक : 18 जुलाई 2016

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक : 18 जुलाई 2016

अनुबन्ध

अनुबन्ध I

(जैसाकि पैरा 2.6 में उल्लेखित है)

(क) डीबीटीएल योजना के तहत विभिन्न दावों की स्थिति (जून 2013 से फरवरी/मार्च 2014)

(₹ करोड़ में)

ओएमसी	स्थायी अग्रिम दावे			रियायती दावे			परियोजना प्रबंधन व्यय दावे		
	दावा की गई राशि	प्राप्त राशि	31.3.2014 को शेष राशि	दावा की गई कुल राशि	प्राप्त राशि	31.3.2014 को शेष राशि	दावा की गई कुल राशि	प्राप्त राशि	31.3.2014 को शेष राशि
आईओसीएल	529.17	529.17	**0.00**	1,600.06	1,586.96	**13.10**	16.82	16.82	**0.00**
बीपीसीएल	300.11	300.11	**0.00**	866.58	859.92	**6.67**	16.87	16.87	**0.00**
एचपीसीएल	404.91	404.91	**0.00**	1,401.90	1,390.12	**11.78**	9.85	9.33	**0.52**
कुल	**1,234.19**	**1,234.19**	**0.00**	**3,868.54**	**3,836.70**	**31.84**	**43.54**	**43.02**	**0.52**

(ख) पहल (डीबीटीएल) योजना के तहत विभिन्न दावों की स्थिति (नवम्बर 2014 से मार्च 2016)

(₹ करोड़ में)

ओएमसी	स्थायी अग्रिम दावे			रियायती दावे			*परियोजना प्रबंधन व्यय दावे		
	दावा की गयी राशि	प्राप्त राशि	31.3.16 को शेष राशि	दावा की गयी कुल राशि	प्राप्त राशि	31.316 को शेष मूल्य राशि	दावा की गयी कुल राशि	प्राप्त राशि	31.3.16 को शेष राशि
आईओसीएल	2,731.15	2,349.62	381.53	10,122.93	7,313.14	2,809.79	149.35	55.23@	94.12
बीपीसीएल	1,386.12	1,166.81	219.31	4,880.63	3,519.03	1361.6	71.20	56.01	15.19
एचपीसीएल	1,256.27	1,004.29	251.98	5,029.33	3,653.66	1,375.67	83.86	54.22	29.64
कुल	**5,345.54**	**4,520.72**	**824.82**	**20,032.89**	**14,485.83**	**4,573.61**	**304.41**	**165.46**	**138.95**

*स्वेच्छा से छोड़ देने और कर्मचारी पुरस्कार पर व्यय सहित @ ₹ 23.94 करोड़ 02.04.2016 को प्राप्त हुए।

(ग) 31 मार्च 2016 को बफर खातों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

ओएमसी का नाम	बफर खातों में जमा करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सब्सिडी	बफर खातों से ओएमसी द्वारा निकाली गयी रियायती राशि#
आईओसीएल	8,482.77	8,289.17
बीपीसीएल	4,279.62	3,963.22
एचपीसीएल	4,406.70	4,017.49
कुल	**17,169.09**	**16,269.88**

#इसमें स्थायी अग्रिम के प्रति एकमुश्त ₹ 2,878.80 करोड़ (आईओसीएल), ₹ 1,466.93 करोड़ (बीपीसीएल) और ₹ 1,409.19 करोड़ (एचपीसीएल) राशि सम्मिलित है।

नोट: भारत सरकार ने अभी तक दिसम्बर 2015 से मार्च 2016 के लिए दावे की गयी रियायती के संबंध मे बफर खाते में जमा करने के लिए किसी मूल्यराशि को स्वीकृत नहीं किया है।

अनुबन्ध II

(जैसाकि पैरा 5.2 में उल्लेखित है)

(क) पुन: भराई सब्सिडी के भुगतान पर इन्ट्रा-ओएमसी प्रतिरूप का प्रभाव (अतिरिक्त रियायती दर पर सिलेंडरों की डिलीवरी के कारण)

बहु कनेक्शन के विवरण की पहचान	12 सिलेंडरों से अधिक की सुविधा लेने वाले एकाधिक सक्रिय कनेक्शनो की संख्या					
	आईओसीएल		बीपीसीएल		एचपीसीएल	
	2014-15	2015-16 (अक्टूबर 2015 तक)	2014-15	2015-16 (अक्टूबर 2015 तक)	2014-15	2015-16 (अक्टूबर 2015 तक)
एकही आधार संख्या (इन्ट्रा) पर एकाधिक कनेक्शन	-	-	0	0	146	10
एकही आईएफएससी और बैंक खाता संख्या पर एकाधिक कनेक्शन	12,236	1,730	0	0	8,301	1.271
एकही नाम और एकही पते पर एकाधिक कनेक्शन	3,099	1,417	3,764	1,293	384	64
एकाधिक कनेक्शन (एकही नाम, जन्म तिथि और पंजीकृत मोबाइल संख्या)	5,054	1,302	8	0	4,507	1,620
कुल	**20,389**	**4,449**	**3,772**	**1,293**	**13,338**	**2,965**

(ख) स्थायी अग्रिम (पीए) के भुगतान पर इन्ट्रा-ओएमसी प्रतिरूप का प्रभाव

एकाधिक कनेक्शन के विवरण की पहचान	दोबारा स्थाई अग्रिम की सुविधा लेने वाले एकाधिक सक्रिय कनेक्शनों की संख्या		
	आईओसीएल	बीपीसीएल	एचपीसीएल
एकही आधार संख्या (इन्ट्रा) पर एकाधिक कनेक्शन	-	0	80
एकही आईएफएससी और बैंक खाता संख्या पर एकाधिक कनेक्शन	15,819	0	10,238
एकाधिक कनेक्शन (एसएनएसए)	6,367	6,780	314
एकाधिक कनेक्शन (एक ही नाम, जन्म तिथि और पंजीकृत मोबाइल संख्या)	5,445	8	6,392
कुल	**27,631**	**6,788**	**17,024**

(ग) पुन: भरन सब्सिडी के भुगतान पर इन्ट्रा-ओएमसी प्रतिरूप का प्रभाव (अतिरिक्त रियायती दर पर सिलेंडरों की डिलीवरी के कारण)

एकाधिक कनेक्शन के विवरण की पहचान	12 सिलेंडरों से अधिक की सुविधा लेने वाले एकाधिक सक्रिय कनेक्शनो की संख्या					
	आईओसीएल और बीपीसीएल		बीपीसीएल और एचपीसीएल		एचपीसीएल और आईओसीएल	
	2014-15	2015-16 (अक्टूबर 2015 तक)	2014-15	2015-16 (अक्टूबर 2015 तक)	2014-15	2015-16 (अक्टूबर 2015 तक)
एकही आधार संख्या (इन्ट्रा) पर एकाधिक कनेक्शन	9,332	1,942	10,926	1,708	12,370	2,172
एकही आईएफएससी और बैंक खाता संख्या पर एकाधिक कनेक्शन	1,400	152	1,910	254	2,348	260
कुल	**10,732**	**2,094**	**12,836**	**1,962**	**14,718**	**2,432**

(घ) स्थायी अग्रिम (पीए) के भुगतान पर इन्ट्रा आएमसी प्रतिरूप का प्रभाव

एकाधिक कनेक्शन के विवरण की पहचान	दोबारा स्थाई अग्रिम की सुविधा लेने वाले एकाधिक सक्रिय कनेक्शनों की संख्या					
	आईओसीएल और बीपीसीएल		बीपीसीएल और एचपीसीएल		एचपीसीएल और आईओसीएल	
	एकाधिक कनेक्शनों की संख्या	पीए की राशि (₹ लाख में)	एकाधिक कनेक्शनों की संख्या	पीए की राशि (₹ लाख में)	एकाधिक कनेक्शनों की संख्या	पीए की राशि (₹ लाख में)
एकही आधार संख्या (इन्ट्रा) पर एकाधिक कनेक्शन	14,114	39.60	18,704	28.29	20,108	38.68
एकही आईएफएससी और बैंक खाता संख्या पर एकाधिक कनेक्शन	3,946	9.08	3,528	7.68	5,098	6.23
कुल	**18,060**	**48.68**	**22,232**	**35.97**	**25,206**	**44.91**

अनुबन्ध III

(जैसाकि पैरा 9.2 में उल्लेखित है)

वर्ष 2015-16 के लिए पहल (डीबीटीएल) योजना के कारण अनुमानित बचत की विवरणी

विवरण	ओएमसीज के अनुसार बचत	लेखापरीक्षा के अनुसार बचत
क) घरेलू एलपीजी खपत मे कमी के कारण बचत		
2014-15 की उपभोग पद्धति के अनुसार, 94 प्रतिशत सिलेंडर कैप के भीतर विक्रय किये गये थे, इसलिए रियायती विक्रय में कमी है (सिलेंडरों की संख्या)	1,53,30,493	1,53,30,493
औसत सब्सिडी को ध्यान में रखते हुए 6 महीने में सब्सिडी की बचत	518*	259.78**
अनुमानित वार्षिक बचत (₹ करोड़ में) (क)	**1,036.00**	**519.56**
ख) घरेलु उपभोक्ताओं एनसीटीसी को गैर-सब्सिडी विक्रय के कारण बचत		
सितम्बर 2015 में गैर-सब्सिडी सिलेंडरों की निकासी में एनसीटीसी उपभोक्ताओं की संख्या	1,73,15,837	1,73,15,837
औसत सब्सिडी को ध्यान में रखते हुए अनुमानित बचत (₹ करोड़ में) (ख) (वर्ष 2015-16 में 6.27 सिलेंडर प्रति व्यक्ति खपत को ध्यान में रखते हुए)	**3,672.00***	**1,839.72****
ग) अतिरिक्त कर/शुल्कों के कारण एनडीएनई बिक्री में वृद्धि		
अप्रैल-सितम्बर 2014 में विक्रय (एमटी)	4,70,854	4,70,854
अप्रैल-सितम्बर 2015 में विक्रय (एमटी)	6,50,501	6,50,501
अप्रैल-सितम्बर में पूर्व वर्ष की तुलना पर एनडीएनई बिक्री में वृद्धि (एमटी)	1,79,647	1,79,647
प्रति एमटी एनडीएनई का औसत मूल्य	42,000	42,000
रिफाइनरी हस्तांतरण मूल्य @ 5 प्रतिशत की दर से सीमा शुल्क (₹)	1,250	1,250
एनडीएनई के औसत मूल्य पर 8.33 प्रतिशत की दर पर उत्पादन शुल्क का कुल मूल्य (x) (₹)	45,498.6	45,498.6
(x) पर 14 प्रतिशत की दर पर वैट के बाद कुल मूल्य (₹)	51,868.4	51,868.4
अत: (सीमाशुल्क + उत्पादन शुल्क + वैट) से प्रति एमटी कुल योगदान	11,118.4	11,118.4
एनडीएनई बिक्री में वार्षिक वृद्धि (₹ करोड़ में) (ग)	**399.48**	**399.48**
घ) गिव-इट अप अभियान के कारण अनुमानित बचत		
सब्सिडी छोडने का विकल्प चुनने वाले कुल घरेलू एलपीजी उपभोक्ता (फरवरी 2016)	ओएमसीज द्वारा नहीं लिया गया	67,27,130
सब्सिडी छोड़ने के कारण अनुमानित बचत (₹ करोड़ में) (घ) (वर्ष 2015-16 के लिए 6.27 सिलेंडरों के प्रति राशि खपत के औसत को ध्यान में रखते हुए)		714.72**
भारत सरकार के लिए (क+ख+ग+घ) के लिए अनुमानित वार्षिक बचत (₹ करोड़ में)	**5,107.48**	**3,473.48**

*प्रति सिलेन्डर ₹ 338 लेते हुए (2014-15 का भारित औसत)

** प्रति सिलेन्डर ₹ 169.45 लेते हुए (2015-16 (दिसम्बर 2015) का भारित औसत)

अनुबन्ध IV

(जैसाकि पैरा 9.3 में उल्लेखित है)

क. 2014-15 की तुलना में 2015-16 मे कुल सब्सिडी में बदलाव, सब्सिडी दरो में कमी के कारण 2015-16 की मात्रा को निरतंर रखते हुए

माह	एलपीजी की मात्रा जिसपर 2015-16 में सब्सिडी दी गयी (एमटी)	2014-15 में प्रति एमटी सब्सिडी का औसत (₹ में)	2015-16 में प्रति एमटी/ सब्सिडी का औसत (₹ में)	सब्सिडी/ एमटी में औसत कमी (₹ में)	राशि (₹ करोड़ में)
	Q^{I}	S	S^{I}	$s = (S - S^{I})$	sQ^{I}
अप्रैल	1159831	33528	13132	20396	2,365.59
मई	1195246	31864	12990	18874	2,255.91
जून	1187242	34188	14978	19210	2,280.69
जुलाई	1225906	33057	11498	21559	2,642.93
अगस्त	1214751	32580	9818	22762	2,765.02
सितम्बर	1241519	30227	10878	19349	2,402.22
अक्टूबर	1305094	27184	6456	20728	2,705.20
नवम्बर	1254082	25673	6903	18770	2,353.91
दिसम्बर	1386063	24170	11322	12848	1,780.81
कुल					**21,552.28**

ख. 2014-15 की सब्सिडी दरों को बरकरार रखते हुए सब्सिडी सिलेंडरों की घटी हुई कुल बिक्री के कारण 2014-15 तुलना में 2015-16 की सब्सिडी राशि में आया बदलाव

माह	2014-15 में प्रति एमटी सब्सिडी औसत*	एलपीजी की मात्रा जिन पर 2014-15 में सब्सिडी भुगतान किया गया (एमटी)*	एलपीजी की मात्रा जिन पर 2014-15 में सब्सिडी भुगतान किया गया (एमटी)*	मात्रा मे कमी (एमटी)	मूल्य राशि (₹ करोड़ में)
	S	Q	Q'	q = (Q - Q')	Sq
अप्रैल	33528	1205900	1159831	46069	154.46
मई	31864	1268860	1195246	73614	234.56
जून	34188	1182600	1187242	-4642	-15.87
जुलाई	33057	1257180	1225906	31274	103.38
अगस्त	32580	1275580	1214751	60829	198.18
सितम्बर	30227	1374860	1241519	133341	403.05
अक्टूबर	27184	1324750	1305094	19656	53.43
नवम्बर	25673	1402730	1254082	148648	381.62
दिसम्बर	24170	1489960	1386063	103897	251.12
कुल					**1,763.93**

* 2014 और 2015 के लिए वास्तविक

संक्षेपणों की सूची

क्रम संख्या	प्रतिवेदन में प्रयोग किए गए शब्द	विवरण
1	एसीटीसी	आधार नकदी हस्तांतरण अनुवर्ति
2	एपीबी	आधार भुगतान ब्रिज
3	बीसीटीसी	बैंक नकदी हस्तांतरण अनुवर्ति
4	सीटीसी	नकदी हस्तांतरण अनुवर्ति
5	बीपीसीएल	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
6	डीबीटीएल	एलपीजी उपभोक्ता के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण
7	डीएनएसए	अलग नाम समान पता
8	डीओबी	जन्म तिथि
9	जीओआई	भारत सरकार
10	एचपीसीएल	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
11	आईएफडी	एमओपीएनजी का एकीकृत वित्तीय विभाग
12	आईएफएससी	भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड
13	आईओसीएल	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड
14	आईवीआरएस	इटंरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम
15	केवाईसी	अपने ग्राहक को जानना
16	एलपीजी	तरलीकृत पेट्रोलियम गैस
17	एमओएफ	वित्त मंत्रालय
18	एमओपीएनजी	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
19	एमटी	मीट्रिक टन
20	एनएसीएच	राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाऊस
21	एनसीटीसी	गैर-नकदी हस्तांरण अनुवर्ति
22	एनडीईसी	गैर-घरेलू रियायत श्रेणी
23	एनडीएनई	गैर-घरेलू गैर-रियायत
24	एनआईसी	नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेंटर
25	एनपीसीआई	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
26	ओएमसी	तेल विपणन कंपनियॉ

क्रम संख्या	प्रतिवेदन में प्रयोग किए गए शब्द	विवरण
27	पीए	स्थाई अग्रिम
28	पीएएचएएल	प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना
29	पीएमसीबी	पंजाब महाराष्ट्र कॉपरेटिव बैंक
30	पीपीएसी	पेट्रोलियम नियोजन और विश्लेषण प्रकोष्ठ
31	एसबीआई	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
32	एसएनएसए	समान नाम समान पता
33	टीवी	हस्तांतरण/समापन वाउचर
34	यूआईडीएआई	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

विशेष पदों की शब्दावली

पद	अर्थ
आधार संख्या	आधार 12 अंकों का एक व्यक्तिगत पहचान संख्या है जेकि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा निर्गत की गयी (यूआईडीएआई)
सक्रिय उपभोक्ता	उपभोक्ता जो निर्धारित अन्तराल पर रसोई गैस सिलेंडरों को भरवाता है।
ऑटो एलपीजी उपभोक्ता	उपभोक्ता जो अपने आटोमोबाइल में एलपीजी ईंधन का प्रयोग करता है।
बफर खाता	भारत सरकार से घरेलू एलपीजी की नकद सब्सिडी प्राप्त करने के लिए सरकारी स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनियों द्वारा खोला गया पृथक बैंक खाता
वाणिज्यिक प्रयोग	लाभ कमाने के उद्देश्य के साथ व्यापार संचालन हेतु प्रयुक्त की गई एलपीजी का प्रयोग
सीटीसी	नकदी हस्तांतरण अनुवर्ति: एक उपभोक्ता जो पहल (डीबीटीएल) योजना में निम्न दो तरीकों से जुड़ा हुआ है और प्रत्यक्ष रूप से अपने बैंक खाते में एलपीजी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए तैयार है। एसीटीसी (आधार नकदी हस्तांतरण अनुवर्ति) यदि एलपीजी उपभोक्ता ने अपनी एलपीजी उपभोक्ता संख्या और बैक खाता आधार संख्या से जोड दिया है। या बीसीटीसी (बैंक नकदी हस्तांतरण अनुवर्ति) यदि एलपीजी उपभोक्ता अपनी बैंक खाता संख्या एलपीजी आईडी से जोडता है।
डीसीएमएस	वितरक और उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली (डीसीएमएस) एचपीसीएल के एलपीजी वितरक के द्वारा प्रयुक्त सॉफ्टवेयर।
डी-डुप्लीकेशन	प्रतिरूप/एकाधिक कनेक्शनों का पता लगाने के लिए की गयी कार्यविधि
घरेलू उपभोक्ता	खाना पकाने के उद्देश्य के लिए घरो में एलपीजी उपभोग करने वाले उपभोक्ता
असफल लेन-देन	बैक/एनपीसीआई द्वारा वापस किये गये/रद्द किये गये किसी भी लेन-देन को असफल लेन-देन की श्रेणी मे रखा जाता है।
गिव-इट अप योजना	स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने के लिए संपन्न उपभोक्ताओ को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा आरंभ की गयी योजना
रियायत अवधि	गैर-सीटीसी उपभोक्ता से सीटीसी बनने के लिए एलपीजी योजना के शुभारंभ की तिथि से 3 माह की अवधि
इन्डसोफ्ट	आईओसीएल के एलपीजी वितरको द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर

पद	अर्थ
इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम	एलपीजी उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग किये जाने वाली स्वत: उत्तर देने वाली दूरसंचार प्रणाली जैसे-पुन: भरना की बुकिंग, अनुवर्ति इत्यादि के प्रयोग करने के लिए
अपने उपभोक्ता को जानना	समर्थन दस्तावेजो के साथ पहचान का प्रमाण और पते के प्रमाण के लिए सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया का पालन करना
एलपीजी नेक्सट	इन्टरफेस के रूप में एचपीसीएल द्वारा अपने एलपीजी वितरकों को प्रदान किया गया एलपीजी नेक्सट एक सॉफ्टवेयर है।
एनसीटीसी	गैर-नकदी हस्तांतरण अनुवर्ति एक एलपीजी उपभोक्ता जिसने या तो एलपीजी उपभोक्ता और बैक खाता या दोनो एलपीजी उपभोक्ता संख्या या बैक खाता आधार संख्या से जोडा नहीं है या एक एलपीजी उपभोक्ता जिसने अपना बैंक खाता संख्या एलपीजी उपभोक्ता संख्या से जोड़ा नहीं है।
पहल	डीबीटीएल (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए) योजना जिसका नाम पहल है जिसका अर्थ है 'पहल' यह योजना का हिन्दी अनुवाद पर आधारित एक परिवर्णी शब्द है: "प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) हस्तांतरित (टान्सफर्रड) लाभ (बैनीफिट)

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
www.cag.gov.in